




थाना प्रबंधन

थाने पर नवनियुक्ति के समय किए जाने वाले कार्य



हाकिम राय

थाना प्रबंधन

थाना प्रबंधन

(थाने पर नव नियुक्ति के समय किए जाने वाले कार्य)

लेखक

हाकिम राय

पुलिस उपाधीक्षक (से.नि.)

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

(गृह मंत्रालय भारत सरकार)

नई दिल्ली

मूल्य :

प्रकाशक : पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

संस्करण : प्रथम, 2009

अक्षरांकन एवं कवर डिजाइन : रचना इंटरप्राइजिज, दिल्ली-110032

THANA PRABHANDHAN by Hakim Rai

प्रस्तावना

पुलिस विभाग में कार्य की दृष्टि से थाना एक आधार भूत एवं महत्वपूर्ण इकाई है। थाने के थाना प्रभारी अपने साथ नियुक्त उप निरीक्षक पुलिस, प्रधान लेखक, चौकी के मुख्य आरक्षी व आरक्षियों की सहायता से थाना क्षेत्र में अपराध के निवारण व अपराध की विवेचना के कार्य को संपन्न कराता है। मुझे अपने लगभग 36 वर्ष के सेवाकाल में यह अनुभव हुआ कि थाने के प्रभारी व उसके साथ नियुक्त उप निरीक्षक पुलिस, प्रधान लेखक, चौकी के मुख्य आरक्षी व आरक्षियों के पास अपने कार्यों के सटीक निष्पादन हेतु कोई मार्गदर्शिका थाने पर उपलब्ध नहीं रहती है। इसी कारण से प्रत्येक थाना प्रभारी व अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी के कार्यों में विविधता देखने को मिलती है और यह सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने अपने तरीके से प्रत्येक नियुक्ति के स्थान पर कार्य करते हैं। पुलिस की कार्यशैली की विभिन्नता का प्रभाव सीधे-सीधे क्षेत्र की जनता पर पड़ता है और उसका परिणाम देखने को मिल जाता है। जहां कहीं भी अच्छी कार्यशैली अपनाई जा रही है वहां जनता मुक्तकंठ से पुलिस की प्रशंसा कर रही है व पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अभिनंदन किया जा रहा है। इसके विपरीत जहां कार्य शैली व्यवस्थित व योजनाबद्ध नहीं है वहां जनता द्वारा पुलिस के विरुद्ध धरना, प्रदर्शन किया जा रहा है और थाना प्रभारी या उपनिरीक्षक पुलिस आदि के स्थानांतरण की मांग की जा रही है। इन बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए यह पुस्तक तैयार की गई है जिसमें थाने पर नियुक्त होने वाले प्रत्येक पुलिस अधिकारी व कर्मचारी के द्वारा नवनियुक्ति के स्थान पर किए जाने वाले कार्यों को विस्तार से बिंदुवार लिखा गया है। यदि इनका पालन किया जाए तो निश्चित रूप से थाना स्तर पर अपराध के निवारण और अपराध की विवेचना का कार्य श्रेष्ठ स्तर का रहेगा और पुलिस जनता की आलोचना के बजाय प्रशंसा का पात्र बन सकती है क्योंकि यह बिंदु प्रयोग में लाए गए हैं और इनके परिणाम अच्छे प्राप्त हुए हैं। इस पुस्तक में साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी दी जा रही है, मेरा विचार है कि संबंधित जानकारी भी पुलिस कर्मियों के लिए उपयोगी होगी।

हाकिम राय

पुलिस उपाधीक्षक (से.नि.)

प्राक्कथन

कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस भी एक मुख्य साधन है। पुलिस विभाग आज के समय की एक ऐसी महत्वपूर्ण संस्था है जिसकी भूमिका छोटी से छोटी घटना से लेकर बड़े से बड़े कार्यों में महत्वपूर्ण है। इस संस्था के कर्मी एक छोटे से गांव में होने वाले अपराधों, आमजन की समस्याओं की जिम्मेदारी ही नहीं निभाते, बल्कि बड़े से बड़े महानगर में होने वाली बड़ी-बड़ी समस्याओं के निदान के लिए भी आमजन इन्हीं की ओर देखता है। ऐसी महत्वपूर्ण संस्था के कर्मी को अपनी नियुक्ति और अपने कार्यस्थल पर क्या-क्या कार्य किए जाएं इसकी जानकारी बहुत ही आवश्यक है। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि एक ऐसी सुलभ पुस्तिका तैयार की जाए जिसमें एक नवनियुक्त कर्मी को थाने पर किस प्रकार की कार्यप्रणाली अपनानी चाहिए उसके बारे में पूर्ण जानकारी मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे पुलिस अधिकारी को यह कार्य सौंपने का निर्णय किया गया जो नवनियुक्त कर्मियों का प्रशिक्षण देने में सक्षम हो और अनुभवी हो। इसके लिए लेखक श्री हाकिम राय से अनुरोध किया गया कि वे इस विषय पर लेखन कार्य करें। श्री राय ने अपने पूर्ण अनुभव व आज के बदलते परिप्रेक्ष के अनुसार ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर जो सामान्यतः जानते हुए भी प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं, पर पुनः ध्यान आकर्षित किया है; साथ ही साइबर क्राइम विषय जो आजकल महत्वपूर्ण हो गया है, के बारे में भी अपनी तरफ से एक छोटा सा किन्तु सार्थक प्रयास किया है।

मैं आशा करता हूँ कि थाने पर नवनियुक्त होने वाले पुलिस कर्मी के लिए तो यह बहुत ही उपयोगी रहेगी साथ ही जो पुराने प्रशिक्षण प्राप्त पुलिसकर्मी हैं, वे भी इस पुस्तक के द्वारा पुनः इस जानकारी का उपयोग अपने रोजमर्रा के कार्यों में कर पाएंगे।

इस पुस्तक के लेखन के लिए मैं श्री हाकिम राय जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा तथा इस पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए ब्यूरो के संपादक हिन्दी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

प्रसून मुखर्जी

14.7.99.

(प्रसून मुखर्जी)

महानिदेशक

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

विषयों की अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय का नाम	पृष्ठ सं.
1.	सामान्य (थाना प्रभारी के संबंध में)	9
2.	थाना क्षेत्र की जानकारी करना	11
3.	खुफिया नोट बुक का अध्ययन करना	21
4.	अपने अधीनस्थों का सम्मेलन करना	24
5.	सरकारी संपत्ति का सत्यापन करना	26
6.	थाने के अभिलेखों का निरीक्षण करना	28
7.	जनपद की दंगा नियंत्रण योजना	57
8.	कानून व्यवस्था बनाए रखना	61
9.	कानून व्यवस्था में जनता की भागीदारी	67
10.	मानवाधिकार का संरक्षण	71
11.	थाना प्रभारी का मीडिया से संबंध	74
12.	थाने के उपनिरीक्षक पुलिस के कार्य	77
13.	थाने के प्रधान लेखक के कार्य	82
14.	चौकी के मुख्य आरक्षी के कार्य	85
15.	थाने/चौकी के आरक्षी के कार्य	90
16.	साइबर क्राइम	95

सामान्य

थाने का भार साधक अधिकारी कहीं पर उपनिरीक्षक पुलिस होता है और कहीं पर निरीक्षक पुलिस के पद का होता है। वह अपने थाने की सीमा के अंदर पुलिस प्रशासन को चलाता है। वह अपने अधीनस्थों की दक्षता, उनके कर्तव्यों के उचित पालन, उनके द्वारा तैयार किए जाने वाले सभी अभिलेखों व रिपोर्टों की शुद्धता, थाने में रखे जाने वाली मूल्यवान संपत्ति व धन व गिरफ्तार अभियुक्तों की सुरक्षित अभिरक्षा व अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण बनाए रखने और उनके अनुशासन के लिए उत्तरदायी होता है।

इन सब कार्यों को करने के लिए उसे कार्य ग्रहण करने के तत्काल बाद निम्न कार्य कर लेने चाहिए, जिससे वह थाने के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके और अपराध को नियंत्रित रखने के लिए व अपराधियों के विरुद्ध रोकथाम की कार्रवाई करने के लिए आवश्यक उपाय कर सके।

1. थाना क्षेत्र की जानकारी करना।
2. खुफिया नोट बुक का अध्ययन करना।
3. अपने अधीनस्थों के बारे में जानकारी करना।
4. थाने की सरकारी संपत्ति को चैक करना।
5. थाने के अपराध संबंधी अभिलेखों का अध्ययन करना।
6. अपराध की तुलनात्मक स्थिति की जानकारी करना।
7. क्रियाशील अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
8. बीट सूचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
9. क्षेत्र के गुंडों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
10. क्षेत्र में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
11. संभावित झगड़ों के प्रकरणों व स्थानों की जानकारी प्राप्त करना।
12. राजनैतिक दलों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
13. क्षेत्र के रजिस्टर्ड अपराधियों के गैंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
14. क्षेत्र में मीडिया के संवाददाताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

15. थाना पुलिस द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
16. जनसहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना।
उक्त बिंदुओं पर किए जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण अगले अध्यायों में दिया जा रहा है।

प्रथम अध्याय थाना क्षेत्र की जानकारी करना

नवनियुक्त थाना प्रभारी को अपने थाना क्षेत्र में भ्रमण करके निम्न बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए क्योंकि निम्न लिखित बिंदुओं की जानकारी प्राप्त करने के उपरांत अपराध की रोकथाम की योजनाबद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

(1) थाने की सीमा की जानकारी करना :

- थाना क्षेत्र में कुल कितनी चौकियां/हल्के हैं।
- थाने की सीमा किन-किन थानों से कहां-कहां पर मिलती है।
- जिन थानों से सीमा मिलती है वह उसी जनपद के हैं या किसी अन्य जनपद के हैं या किसी अन्य राज्य के जनपद के हैं।
- सीमा मिलने के स्थान पर कोई बोर्ड या चिन्ह लगा है या नहीं?

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई :

उक्त जानकारी प्राप्त करने के पश्चात नवनियुक्त थाना प्रभारी द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है :

- सीमावर्ती थानों के थाना प्रभारियों से मिलकर सीमावर्ती अपराध के संबंध में विचार विमर्श किया जा सकता है।
- दोनों थाना क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाने की योजना बनाई जा सकती है।

(2) थाना क्षेत्र में अपराधियों के आने-जाने के मार्ग कौन-कौन से हैं :

- थाना क्षेत्र में अपराधियों के आने-जाने के कच्चे मार्ग कौन-कौन से हैं?
- थाना क्षेत्र में अपराधियों के आने-जाने के लिए नहर और नदी के मार्ग कौन-कौन से हैं?

- क्या थाना क्षेत्र में अपराधी अपने आवागमन के लिए किसी नहर या रेलवे के पुल का प्रयोग करते हैं?
- थाना क्षेत्र में अपराधियों के रूकने/छिपने के लिए सार्वजनिक स्थान (पार्क, स्टेडियम, धर्मशाला और होटल आदि) कहां-कहां पर हैं?

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई

उक्त जानकारी प्राप्त करने के पश्चात आवश्यकता पड़ने पर अपराधियों के आने जाने वाले मार्गों पर नाकाबंदी करके उनको पकड़ा जा सकता है।

- किसी अपराध की घटना होने के पश्चात अपराधियों के रूकने या छिपने के स्थानों पर उनकी तलाश की जा सकती है।

(3) थाने के औद्योगिक क्षेत्र की जानकारी करना

- औद्योगिक क्षेत्र एक ही जगह पर है या कई जगह फैला हुआ है?
- किस वस्तु का उत्पादन किया जाता है?
- श्रमिकों की संख्या विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में कितनी-कितनी है?
- औद्योगिक संस्थानों में कार्य करने का समय क्या है?
- बंदी (छुट्टी) का दिन कौन सा है?
- श्रमिकों की कोई समस्या, जो चल रही हो?
- श्रमिक यूनियन कितनी हैं और किस किस राजनैतिक दलों से संबंधित है और उनके प्रमुख नेता कौन से हैं।

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई

उक्त जानकारी करने के पश्चात थाना प्रभारी निम्नलिखित कार्रवाई कर सकते हैं।

- औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही समस्या के संबंध में दोनों पक्षों से वार्ता की जा सकती है व समस्या का हल निकाला जा सकता है।
- विद्यमान समस्या पर सतर्क दृष्टि रखी जा सकती है।
- आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

(4) थाना क्षेत्र के स्कूल/कालेजों की जानकारी करना

- कुल कितने स्कूल कालेज हैं?
- वह कहां-कहां पर स्थित हैं?

- इनके खुलने व बंद होने का समय क्या है?
- किसी स्कूल/कालेज के अंदर या बाहर (छात्र और प्रबंधकों के बीच में कोई विवाद या छात्राओं के साथ अश्लीलता का व्यवहार) की कोई समस्या है या नहीं?

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है :

- यदि स्कूल कालेज में कोई समस्या छात्रों और प्रबंधकों के बीच में पाई जाए तो दोनों पक्षों को धैर्यपूर्वक सुनकर समस्या का हल निकालने का प्रयास करना चाहिए, जिससे स्थिति और बिगड़ने न पाए।
- यदि स्कूल कालेज के बाहर महिलाओं के साथ अश्लीलता करने की बात ज्ञात हो तो स्कूल-कालेज खुलने और बंद होने के समय पुलिस गश्त की व्यवस्था की जाए और अश्लील हरकतें करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

(5) थाना क्षेत्र के सिनेमाघरों की जानकारी करना

- थाना क्षेत्र में कुल कितने सिनेमाघर हैं?
- उनके नाम क्या-क्या हैं और कहां-कहां पर स्थित हैं?
- कितने शो चलते हैं। प्रथम शो प्रारंभ होने और अंतिम शो समाप्त होने का समय क्या है?
- पुलिस की ड्यूटी वहां लगती है या नहीं?
- क्या किसी सिनेमाघर पर अश्लीलता या झगड़े की समस्या विद्यमान है?
- सिनेमाघरों पर महिलाओं के साथ अश्लीलता, जेब काटने या गुंडा-गर्दी की कोई शिकायत है या नहीं। यह जानकारी सिनेमाघरों के मैनेजरों से मिलकर की जा सकती है।

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए।

- अश्लीलता, जेब काटने व मारपीट की समस्या से निपटने के लिए प्रभावित सिनेमाघर पर पुलिस पिकेट की व्यवस्था की जानी चाहिए।

- अश्लील हरकत करने वालों और जेब काटने वालों को पकड़ने के लिए सादे कपड़ों में भी ड्यूटी लगाई जानी चाहिए।
- इस पुलिस प्रबंध में सिनेमाघरों के मैनेजर और कर्मचारियों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि वह उक्त प्रकार के लोगों को पहचानते हैं।
- सिनेमाघरों के प्रबंधकों की एक मीटिंग थाने पर थाना प्रभारी द्वारा की जा सकती है और उनको सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- थाना प्रभारी को यदाकदा अंतिम शो की समाप्ति के समय संदिग्ध लोगों की चैकिंग भी करानी चाहिए क्योंकि अपराधी भी समय बिताने के लिए अंतिम शो में आते हैं और उसके बाद क्षेत्र में अपराध करते हैं।

(6) थाना क्षेत्र के बैंकों की जानकारी करना

- थाना क्षेत्र में कुल कितने बैंक हैं?
- बैंक कहां पर स्थित है और इनके नाम क्या हैं?
- इन बैंकों पर निजी गार्ड नियुक्त है या नहीं?
- इन बैंकों में सायरन की व्यवस्था है या नहीं?
- इन बैंकों पर पुलिस पिकेट/गश्त पर जाता है या नहीं?
- इन बैंकों के दूरभाष नंबर क्या-क्या हैं?
- यदि किसी बैंक पर लूट की घटना हुई हो, तो उसकी जानकारी करना कि लूट किस दिन व किस समय हुई और अपराधियों द्वारा क्या कार्य प्रणाली अपनाई गई?
- क्या बैंकों के बाहर वाहन चोरी की शिकायत है?

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए।

- जिन बैंकों पर उनके निजी सुरक्षागार्ड नियुक्त न हो वहां पुलिस गश्त अथवा पुलिस पिकेट की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- थाना प्रभारी को स्वयं भी अपने गश्त के दौरान इन बैंकों पर भ्रमण करना चाहिए।
- यदि बैंक में सायरन न लगा हो तो संबंधित बैंक मैनेजर को सायरन बैंक

में लगाने हेतु लिखा जाना चाहिए।

- यदि बैंक के बाहर वाहन चोरी की समस्या हो तो सादे वस्त्रों में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए।

(7) थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बसस्टैंडस की जानकारी करना

- प्रांतीय परिवहन विभाग का बसस्टैंड कहां पर स्थित है?
- प्राईवेट बसस्टैंड कहां-कहां पर स्थित हैं?
- इनके कारण आम यातायात में उत्पन्न होने वाली बाधा की जानकारी करना?
- बसस्टैंडस पर होने वाले अपराधों की जानकारी की जाए जैसे जेब काटना, उठाई-गिरी करना या मारपीट के अपराध।
- पुलिस की ड्यूटी वहां पर लगती है या नहीं?

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए :

- यदि बसस्टैंडस पर जेब काटने, उठाई-गिरी या मारपीट की घटनाओं की समस्या ज्ञात होती है तो थाना प्रभारी द्वारा इन बसस्टैंड पर पुलिस पिकेट/ पुलिस गश्त की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- जेब काटने वालों और उठाई-गिरी करने वाले लोगों की जानकारी करके उनके मौके पर पकड़ा जाना चाहिए या उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

(8) सरकारी शराब की दुकानों की जानकारी करना

- यह दुकानें कहां पर स्थित हैं?
- इनके खुलने व बंद होने का समय क्या है?
- क्या यह लोग समय का पालन कर रहे हैं?
- क्या इन दुकानों पर कोई टेलीफोन उपलब्ध है तो उसका नम्बर क्या है?
- क्या इन दुकानों पर अपराधियों के आने-जाने की कोई शिकायत है?

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई :

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए।

- जिन शराब की दुकानों पर अपराधियों की आने की सूचना प्राप्त हो वहां पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी नियुक्त किए जाने चाहिए और अपराधियों को गिरफ्तार किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- इन शराब की दुकानों पर अक्सर गुंडे और उपद्रवी लोग शराब पीकर उत्पात मचाते हैं। अतः शराब की दुकानें खुलने व बंद करने का समय का पालन कराया जाए और दुकान खुले होने के समय पुलिस गश्त के द्वारा इन दुकानों पर भ्रमण किया जाए और उपद्रव करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

(9) रेलवे स्टेशन के बाहर के क्षेत्र की स्थिति की जानकारी करना

- रेलवे स्टेशन थाना क्षेत्र के किस ओर स्थित है?
- रेलवे स्टेशन बाहर थाना क्षेत्र में बने होटल, धर्मशाला, पी.सी.ओ. कहां-कहां पर स्थित हैं?
- रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े होने वाले ठेलों, रिक्शा, ऑटो आदि के कारण यातायात बाधित होने की समस्या है या नहीं?
- स्टेशन के बाहर थाना क्षेत्र में पुलिस ड्यूटी जाती है या नहीं?

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई :

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए :

- यातायात को व्यवस्थित रखा जाना चाहिए, जिससे लोगों को रेलवे स्टेशन से शहर जाने में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
- टेक्सी, ऑटो व रिक्शा चालकों द्वारा जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए।
- इन कार्यों हेतु रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर एक पुलिस पार्टी की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए।
- थाना प्रभारी को रेलवे स्टेशन के बाहर बने होटलों व धर्मशालाओं को भी

चैक कर लेना चाहिए क्योंकि यहां भी अपराधी तत्व अपराध करने के लिए या अपराध करने के बाद आकर रुकते हैं।

(10) थाना क्षेत्र के बाजारों की जानकारी करना

- थाना क्षेत्र में बाजार कहां-कहां पर है?
- किस बाजार में क्या वस्तु प्रमुख रूप से बिकती है?
- बाजारों में सर्राफे की दुकानें कहां-कहां हैं और इन सर्राफे की दुकानों पर पहले कोई लूट या डकैती की घटना हुई हो, तो उसका समय क्या था व किस प्रकार के अपराधी उसमें सम्मिलित रहे थे और उस घटना में क्या कार्रवाई की गई।
- इन सर्राफे की दुकानों वाले क्षेत्र में पुलिस गश्त की क्या व्यवस्था है।
- इन सर्राफे की दुकानों पर प्राईवेट गार्ड रखे जा रहे हैं या नहीं?
- बाजार खुलने व बंद होने का समय क्या है?
- साप्ताहिक (छुट्टी) बंदी का दिन कौन सा है?
- क्या कोई साप्ताहिक बाजार लगता है?
- क्या यातायात बाधित होने की समस्या रहती है?
- क्या कोई गश्त या पिकेट बाजार में जाता है?

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई :

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्यवाही करनी चाहिए :

- यदि किसी बाजार में लूट की घटना होने की संभावना प्रतीत हो रही हो तो उस बाजार में पुलिस पिकेट या गश्त की व्यवस्था करनी चाहिए।
- बाजार में यदि यातायात बाधित होने की जानकारी प्राप्त हो तो अधिक भीड़ के समय यातायात को व्यवस्थित करने के लिए किसी तिराहे या चौराहे से मोड़ देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- थाना प्रभारी को अपने गश्त में प्रतिदिन इन बाजारों को सम्मिलित कर लेना चाहिए।
- इन कार्यों से आम जनता में थाना प्रभारी प्रारंभ में ही सुरक्षा की भावना उत्पन्न कर सकता है।

(11) थाना क्षेत्र के साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील मौहल्लों/चौराहों की जानकारी करना

- साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील मौहल्ले कौन-कौन से हैं और कहां पर स्थित हैं ?
- इन मौहल्लों में कौन-कौन से जातियों/धर्मों के लोग निवास करते हैं ?
- इन मौहल्लों में रहने वाले लोगों का जातिगत/धार्मिक जनसंख्या का अनुपात क्या है ?
- यदि कभी इन मौहल्लों में कोई साम्प्रदायिक/जातिगत झगड़ा हुआ हो, तो उसकी जानकारी की जाए कि वर्तमान समय में झगड़े के पक्षों में संबंध कैसे हैं, जिससे अग्रिम कार्रवाई की जा सके।
- कौन-कौन से चौराहे साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील हैं और कहां-कहां पर स्थित हैं।
- इन मौहल्लों/चौराहे पर पुलिस पिकेट की व्यवस्था है या नहीं ?

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाले कार्रवाई

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए :

- थाना प्रभारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके थाना क्षेत्र में कोई नया स्थान संवेदनशील हो गया हो तो उसको संवेदनशील स्थानों की सूची में जोड़ लिया जाए।
- थाना प्रभारी को यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी संवेदनशील चौराहों व मोहल्लों में पुलिस बल नियुक्त रहे, जिससे आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।
- प्रत्येक संवेदनशील चौराहे/मौहल्लों पर लगे पुलिस बल की प्रतिदिन थाना प्रभारी द्वारा अथवा उपनिरीक्षक पुलिस द्वारा चैकिंग होनी चाहिए, जिससे पुलिस बल लापरवाह व असावधान न हो जाए।

(12) थाना क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानकारी करना।

थाना प्रभारी को अपने थाना क्षेत्र के निम्नलिखित श्रेणी के लोगों की जानकारी व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि ये लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से

कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था के कार्यों से संबंधित होते हैं :

- थाना क्षेत्र में रहने वाले सांसद/विधायक के पते एवं दूरभाष नंबर की जानकारी करना।
- थाना क्षेत्र के स्कूल/कालेज के प्रधानाचार्यों के नाम एवं दूरभाष नंबर की जानकारी करना।
- थाना क्षेत्र के सरकारी अस्पताल के प्रभारी चिकित्साधिकारी के नाम एवं दूरभाष नंबर की जानकारी करना।
- थाना क्षेत्र में शांति समिति के पदाधिकारियों के नाम एवं दूरभाष नंबर की जानकारी करना।
- प्रमुख राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के नाम एवं दूरभाष नंबर की जानकारी करना।

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए :

- थाना प्रभारी को क्षेत्र में रहने वाले सांसदों और विधायकों से व्यक्तिगत रूप से जाकर संपर्क करना चाहिए और अपराध व अपराधियों के संबंध में इनके द्वारा दी गई जानकारी की जांच करके आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।
- स्कूल कालेज के प्रधानाचार्यों से ज्ञात समस्याओं की जांच करके समस्याओं के निवारण हेतु उचित कार्रवाई प्रारंभ में कर लेनी चाहिए।
- थाना क्षेत्र की शांति समिति के पदाधिकारियों की गोष्ठी प्रारंभ में ही करके उनसे थाना क्षेत्र में वर्तमान कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली समस्याओं के संबंध में विचार-विमर्श करके उनका हल निकालने का प्रयास करना चाहिए।
- थाना क्षेत्र की प्रमुख स्वयं: सेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों से संपर्क करके पुलिस कार्यों में उनके सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(13) थाना क्षेत्र की शस्त्र की दुकानों, तेजाब की दुकानों एवं आतिशबाजी की दुकानों की जानकारी करना

नवनियुक्त थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र में मौजूद शस्त्र, तेजाब, आतिशबाजी

के विक्रेताओं के संबंध में निम्नलिखित जानकारी कर लेनी चाहिए क्योंकि थाना क्षेत्र में सामाजिक एवं जातिगत झगड़ों के समय इन दुकानों को तत्काल सील मोहर करना होता है :

- थाना क्षेत्र में शस्त्र विक्रेताओं की दुकानें कहां-कहां और उनके मालिक का नाम एवं दूरभाष नंबर क्या है?
- थाना क्षेत्र में आतिशबाजी की दुकानें कहां-कहां पर है उनके मालिक का नाम व दूरभाष नंबर क्या है?
- थाना क्षेत्र में तेजाब विक्रेताओं की दुकानें कहां-कहां पर है एवं मालिक का नाम तथा दूरभाष नंबर क्या है?

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए :

- इन दुकानों को थाना प्रभारी को स्वयं जाकर चैक कर लेना चाहिए क्योंकि साम्प्रदायिक/जातिगत दंगों के समय व चुनाव के समय इन दुकानों को सील मोहर करना होता है।
- शस्त्र की दुकानों में यदा-कदा शस्त्रों की चोरी की घटनाएं हो जाती हैं इसलिए इन दुकानों के क्षेत्र को थाना प्रभारी को देखना चाहिए और यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दुकान के मालिक द्वारा दुकानों की सुरक्षा हेतु क्या व्यवस्था की गई है।
- यह भी चैक कर लेना चाहिए कि इन दुकानों के क्षेत्र में रात्रि के समय चौकीदार की व्यवस्था है कि नहीं।
- थाना प्रभारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस क्षेत्र में पुलिस गश्त की जाए, जिससे कोई अप्रिय घटना न होने पाए।

●

अध्याय द्वितीय

खुफिया नोट बुक का अध्ययन करना

प्रत्येक थाने पर थाना प्रभारी द्वारा एक खुफिया नोट बुक (Confidential Dairy) स्थायी रूप से रखी जाती है। स्थानांतरण पर जाते समय यह डायरी थाना प्रभारी द्वारा नवनियुक्त थाना प्रभारी को लिखित रूप में दी जाती है। इस डायरी में उन सूचनाओं को दर्ज किया जाता है, जिनको गोपनीयता की दृष्टि से थाने के अन्य अभिलेखों में दर्ज नहीं किया जाता है। खुफिया नोट बुक का अवलोकन करके नवनियुक्त थाना प्रभारी को यह देख लेना चाहिए कि इस डायरी के विभिन्न शीर्षकों में अंकित सूचनाएं उनके लिए तत्काल रूप से कितनी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इस रजिस्टर में दर्ज की जानेवाली सूचनाओं के निम्नलिखित शीर्षक होते हैं :

1. थाने का क्षेत्रफल, जनसंख्या, मौहल्ले/गांव, नदी व नहरें।
2. मुख्य-मुख्य मंदिर व मस्जिद।
3. थाना क्षेत्र में निवास करने वाली जातियों और उनकी अनुमानित संख्या।
4. थाना क्षेत्र में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार व मेलों।
5. थाना क्षेत्र में लगने वाले बाजार।
6. उन स्थानों का विवरण जहां त्यौहारों के समय झगड़े की संभावना रहती है।
7. थाना क्षेत्र में पड़ने वाले डाकखाने व डाकघर व उनके दूरभाषा नम्बर।
8. थाना क्षेत्र के शिकार करने के स्थान।
9. थाना क्षेत्र के निरीक्षण भावन।
10. थाना क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति मय दूरभाषा नम्बर, जितकी सहायता पुलिस प्राप्त कर सकती है।
11. नगर महापालिका/नगर पालिका के सदस्यों की सूची उनके दूरभाष नम्बर।
12. थाना क्षेत्र के प्रमुख चिकित्सकों के नाम व उनके दूरभाष नम्बर।
13. थाना क्षेत्र के प्रमुख मौलवी व पंडितों के नाम वे उनके दूरभाष नम्बर।
14. थाना क्षेत्र में लागू विधियों का विवरण।

15. विभिन्न जातियों के संगठनों का विवरण।
16. थाना क्षेत्र के मुख्य-मुख्य कारखाने व उनके दूरभाष नम्बर।
17. सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त (पुलिस पेंशनर्स) हुए लोगों की सूची।
18. उन लोगों के नाम, जो सांप्रदायिक मामलों में भाग लेते हैं।
19. आतिशबाजी के दुकानदारों की सूची।
20. प्रिन्टिंग प्रेस की सूची व उनके दूरभाष नम्बर।
21. थाने पर नियुक्त अच्छे व बुरे कर्मचारियों की सूची।
22. अच्छे-बुरे विभिन्न ठेकेदारों की सूची।
23. उन व्यक्तियों की सूची, जो पुलिस को सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं।
24. उन व्यक्तियों की सूची, जो पुलिस के विरुद्ध रहते हैं।
25. झगड़ालू किस्म के लोगों की सूची।
26. जुआ-सट्टा होने के स्थानों की सूची।
27. अवैध शराब बनाने के स्थानों की सूची।
28. शस्त्र अधिनियम का अपराध करने वाले व्यक्तियों की सूची।
29. उन वेश्याओं की सूची, जिनके संबंध अपराधियों से हैं।
30. चोरी के माल लेने वालों की सूची।
31. रेलवे चोरों की सूची।
32. पुलिस दलालों की सूची।
33. गुमनाम प्रार्थना पत्र देने वालों की सूची।
34. कूट-कूट सिक्के/फर्जी करेन्सी बनाने वालों की सूची।
35. छल करने वालों की सूची।
36. अपराधियों के शरण देने वालों की सूची।
37. बदमाशों के ठहरने के स्थानों की सूची।
38. उन अपराधियों की सूची, जो दूसरे थाना क्षेत्रों से जाकर अपराध करते हैं।
39. पलायित अपराधियों की सूची व उन पर घोषित पुरस्कार।
40. जेब काटने वालों की सूची।
41. झगड़ा-फसाद कराने वालों की सूची।
42. रजिस्टर्ड गैंग की सूची।
43. उन लोगों की सूची, जिनके यहां डकैती पड़ने की संभावना रहती है।
44. उन लोगों के नामों की सूची, जिनके यहां डकैत शरण पाते हैं।
45. उन शस्त्र धारकों की सूची, जिन पर शस्त्र या कारतूस अपराधियों को देने का संदेह हो।

46. उन स्थानों की सूची जहां पर डकैत एकत्रित होते हैं।
47. उन रास्तों की सूची, जहां से अपराधी गुजरते हैं।
48. कोई विशेष सूचना, जो डकैती के संबंध में हो।
49. क्षेत्र व क्षेत्र के बाहर के गृहभेदकों की सूची।
50. चोरों को शरण देने वालों की सूची।
51. पशु चोरी करने वालों की सूची।
52. पशुओं को जहर देने वाले व खाल उतारने वालों की सूची।
53. थाना क्षेत्र के चौराहों और मौहल्लों की सूची।

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए :

- थाना प्रभारी उन लोगों से गोपनीय रूप से संपर्क कर सकते हैं, जो पुलिस को अपराध और अपराधियों के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं।
- थाना प्रभारी उन व्यक्तियों से सतर्क रह सकते हैं, जो पुलिस के विरुद्ध रहते हैं।
- थाना प्रभारी झगडालू प्रकार के लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई कर सकते हैं।
- क्षेत्र में अवैध शस्त्र निर्माण, अवैध शराब बनाने व जुआ सट्टा कराने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
- पुलिस के दलालों से संचेत रहा जा सकता है।
- अपराधियों को शरण देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
- उन शस्त्र लाईसेन्स धारकों के लाईसेन्स निरस्त कराए जा सकते हैं, जिनके संबंध अपराधियों से हैं।
- चोरी का माल खरीदने वालों पर दृष्टि रखी जा सकती है व आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
- थाना क्षेत्र में गृहभेदन की घटना होने पर दूसरे थाने के गृहभेदकों को तलाश करके उनसे पूछताछ की जा सकती है।

अध्याय तृतीय अपने अधीनस्थों का सम्मेलन करना

नवनियुक्त थाना प्रभारी को यथाशीघ्र अपने थाने में नियुक्त अधीनस्थों का परिचय प्राप्त करने के लिए और अपनी कार्यप्रणाली समझाने के लिए एक सम्मेलन थाने पर कर लेना चाहिए। यदि थाने पर सम्मेलन करना संभव न हो पा रहा हो तो प्रत्येक चौकी पर जाकर कर्मचारियों से बात की जा सकती है और उनके कार्य के संबंध में समुचित निर्देश निर्गत किए जा सकते हैं। यह इसलिए आवश्यक है कि अधीनस्थ कर्मचारी थाना प्रभारी की कार्यशैली से परिचित हो सके और तदनुसार कार्य कर सकें।

थाना व चौकियों के कर्मचारियों के सम्मेलन में निम्नलिखित तथ्यों को चैक कर लेना चाहिए :

- कितने कर्मचारी थाना व चौकी पर रहते हैं?
- कितने कर्मचारी प्राईवेट मकान लेकर थाना/चौकी से बाहर रहते हैं?
- प्राईवेट मकान लेकर रहने वाले कर्मचारियों की संख्या थाना व चौकी पर रहने वाले कर्मचारियों की संख्या की तुलना में अधिक तो नहीं है?
- थाना व चौकी की बैरक कर्मचारियों के रहने के लिए पर्याप्त है या नहीं?
- थाना व चौकी का कोई भवन जर्जर हालत में तो नहीं है।
- थाना पर नियुक्त उपनिरीक्षक पुलिस किस-किस क्षेत्र का कार्य देख रहे हैं।
- उनके कार्यक्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है।
- क्या उनके क्षेत्र में कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या विद्यमान है।
- उपनिरीक्षकों के स्तर पर अपराध की रोकथाम हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है।
- मुख्य आरक्षियों अथवा आरक्षियों द्वारा आपराधिक सूचनाएं एकत्रित करने का स्तर क्या है।
- थाना पुलिस में अनुशासन की क्या स्थिति है।

- जन सहयोग प्राप्त करने हेतु थाना पुलिस द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं।

उक्त जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

उक्त बिंदुओं पर जानकारी करने के पश्चात थाना प्रभारी अपने स्तर से प्रारंभ में ही निम्नलिखित कार्रवाई कर सकते हैं।

- थाने या चौकी के नियतन से कर्मचारी कम हो और उनकी पूर्ति के लिए जनमद के पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।
- यदि थाना या चौकी का भवन जर-जर हालत में हो तो उसकी मरम्मत के लिए रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।
- अपराध से प्रभावित क्षेत्र में अपराध की रोकथाम हेतु समुचित गश्त व्यवस्था की जानी चाहिए।
- अपराध संबंधी सूचनाओं को एकत्र करने हेतु पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- क्षेत्र में विद्यमान कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु शीघ्र योजनाबद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।
- मानवाधिकार के संरक्षण हेतु पुलिस कर्मियों को निर्देश निर्गत किए जाने चाहिए।
- जनसहयोग प्राप्त करने हेतु पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

●

अध्याय चतुर्थ थाने के मालखाने में मौजूद सरकारी संपत्ति का सत्यापन करना

नवनियुक्त थाना प्रभारी को थाने का कार्यभार ग्रहण करते समय ही थाने के मालखाने में मौजूद सरकारी संपत्ति का सत्यापन व्यक्तिगत रूप से लेना चाहिए। केवल कागज पर सरकारी संपत्ति का कार्यभार ग्रहण करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि कभी-कभी थाने की सरकारी संपत्ति गायब होती है और कागजों में उसे मौजूद दिखा दिया जाता है। यह कमी जब कभी पकड़ी जाती है तो जांच की एक लम्बी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और कई थाना प्रभारी जांच के दायरे में आ जाते हैं, जिनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय थाने की संपत्ति को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करके प्राप्त नहीं किया जाता है।

थाना प्रभारी को नवनियुक्त के समय सरकारी संपत्ति की सत्यापन की कार्रवाई सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत पुलिस लाइन से प्राप्त सरकारी संपत्ति की सूची से एक विवरण पत्र तीन प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिए और प्रत्येक संपत्ति को चैक करके उसका सत्यापन करना चाहिए। यदि कोई संपत्ति कम पाई जाए तो उसका विवरण पत्र में अंकित किया जाना चाहिए और उसका उल्लेख थाना की जनरल डायरी में भी अंकित किया जाना चाहिए। सरकारी संपत्ति की कमी की सूचना जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जानी चाहिए, जिससे अग्रिम कार्रवाई की जा सके। इस विवरण पत्र की समस्त प्रतियों पर कार्यभार ग्रहण करने वाले व कार्यभार देने वाले थाना प्रभारी को हस्ताक्षर करने चाहिए और एक-एक प्रति दोनों अधिकारियों के पास रिकार्ड हेतु सुरक्षित रहनी चाहिए।

सत्यापन के लिए बनाए जाने वाले विवरण पत्र के शीर्षक

- क्र. सं. संपत्ति
- संपत्ति का नाम
- संपत्ति की संख्या, जो जारी हुई।
- संपत्ति संख्या, जो मौजूद मिली।
- संख्या संपत्ति, जो कन्डम पाई गई।
- संख्या संपत्ति, जो ठीक पाई गई।
- संख्या संपत्ति, जो कम पाई गई।

●

अध्याय पंचम् थाने के अपराध संबंधी अभिलेखों का निरीक्षण करना

नवनियुक्त थाना प्रभारी को थाने का कार्यभार ग्रहण के बाद प्रारंभ में ही थाने के अपराध संबंधी प्रमुख अभिलेखों को देख लेना चाहिए कि उनका रखरखाव अद्यावधिक है या नहीं? यदि रखरखाव में कोई त्रुटि पाई जाए तो उसके संबंध में संबंधित कर्मचारी को उचित निर्देश देकर उसको पूर्ण कराया जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।

अपराध रजिस्टर (रजिस्टर नं.-4)

यह रजिस्टर प्रत्येक थाने पर प्रति वर्ष नया बनाया जाता है। इसमें 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक थाने पर पंजीकृत होने वाले संज्ञेय अपराधों की सूचना को क्रमानुसार अंकित किया जाता है। इस रजिस्टर का पुलिस फार्म नं. 170 है। यदि प्रिन्टेड फार्म का रजिस्टर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के रिकार्डरूम में उपलब्ध न हो तो यह सादे कागज पर भी तैयार किया जा सकता है। इस रजिस्टर में अपराध की सूचना की क्रम संख्या, अपराध संख्या, अपराध की धारा, अपराध की घटना का दिनांक व समय, सूचना का दिनांक व समय, वादी का नाम पता, अभियुक्त का नाम पता, विवेचक का नाम, विवेचक द्वारा लिखी गई अभियोग दैनिकी (केस डायरी) का विवरण व विवेचना का परिणाम अंकित किया जाता है। इस रजिस्टर में अपराध के तुलनात्मक पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, षट्मासिक एवं वार्षिक आंकड़ों के विवरण तैयार किए जाते हैं। इनके अवलोकन से अपराध की स्थिति का सही मूल्यांकन किया जा सकता है।

नवनियुक्त थाना प्रभारी द्वारा थाने के अपराध रजिस्टर के अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं :

- अपराध बढ़ रहा है या घट रहा है?
- अपराध किस क्षेत्र में अधिक हो रहा है?
- किस प्रकार का अपराध हो रहा है?
- अपराध किस समय घटित हो रहा है?
- किस प्रकार के अपराधी अपराध में सक्रिय हैं?
- अपराधों के अनावरण में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?
- कितने अपराधी गिरफ्तार हुए हैं?
- कितने अपराधी वांछित हैं?
- कितने अपराधों की विवेचनाएं लम्बित हैं?

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए :

- यदि अपराध गश्त पार्टी जाने से पहले या आने के बाद हो रहा है तो गश्त का समय थाना प्रभारी द्वारा आवश्यकतानुसार कुछ समय के लिए परिवर्तित किया जा सकता है।
- थाना का जो क्षेत्र अपराध से अधिक प्रभावित पाया गया हो तो उसे क्षेत्र में गश्त की सघन व्यवस्था की जाए और यदि आवश्यकता हो तो आने-जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी करके संदिग्ध लोगों को चेक किया जाए।
- जो अपराधी अपराध में पकड़े गए हों उन पर निगरानी की जाए, जिससे उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाए।
- यदि तुलनात्मक दृष्टि से थाने के अपराध में वृद्धि होना ज्ञात हो तो थाना प्रभारी को प्रत्येक प्रकार के अपराध की रोकथाम के लिए अपने अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके अपराध की रोकथाम हेतु परंपरागत व वैधानिक उपाय प्रयोग में लाने चाहिए।
- यदि वांछित अपराधियों की संख्या अधिक पाई जाए तो उनको गिरफ्तार करने के लिए प्रत्येक उपनिरीक्षक को गिरफ्तारी का कार्य बांट कर उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

थाने की निरोधात्मक कार्रवाई की समीक्षा करना

नवनियुक्त थाना प्रभारी को अपराध रजिस्टर में उपलब्ध निरोधात्मक कार्रवाई

के विवरण एवं पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक निरोधात्मक कार्रवाई के तुलनात्मक विवरण को देखकर निम्न बिंदुओं पर ध्यान लेना चाहिए :

- थाने की निरोधात्मक कार्रवाई पिछले वर्षों के मुकाबले में कम हुई है या अधिक है।
- जुआ, सट्टा, मादक पदार्थों की बिक्री, अवैध शस्त्र बनाने व बेचने में लिप्त व्यक्तियों तथा गुंडों के विरुद्ध पर्याप्त निरोधात्मक कार्रवाई की गई है या नहीं?
- सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध उनके आपराधिक इतिहास के आधार पर निरोधात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध हुई है या नहीं?

उक्त जानकारी करने के उपरांत नवविनियुक्त थाना प्रभारी उक्त लोगों के विरुद्ध थाना अभिलेखों में अंकित सूचनाओं के आधार पर निरोधात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित कर सकता है।

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई :

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्रवाई करके प्रारंभ में ही अपराधियों पर दबाव बनाने व अपराध की रोकथाम का प्रयास किया जाना चाहिए :

- थाना क्षेत्र में चल रहे जुआ सट्टों के अड्डों पर दबिश दी जाए और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए।
- थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री करने वालों को गिरफ्तार किया जाए और एन. डी. पी. एस. एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
- अवैध शस्त्र रखने वाले लोगों के विरुद्ध सूचना एकत्र करके उनकी गिरफ्तारी का अभियान चलाया जाए और अवैध शस्त्र रखने वाले लोगों को गिरफ्तारी करके उनके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किए जाए।
- अवैध शस्त्र लोगों से गिरफ्तारी के बाद यह पूछताछ की जाए कि वह अवैध शस्त्र कहां से खरीदते हैं। उनकी सूचना के आधार पर शस्त्र बेचने वालों को पकड़ा जाए व शस्त्र बनाने वालों को पकड़ा जा सकता है।
- थाना के अभिलेखों में सक्रिय अपराधी व गुंडों के विरुद्ध उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उनके विरुद्ध गुंडा नियंत्रण अधिनियम एवं

गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए।

संपत्ति का रजिस्टर (रजिस्टर नं.-5)

यह रजिस्टर प्रत्येक थाने पर रखा जाता है। इसमें 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चोरी, गृहभेदन, लूट, डकैती व संपत्ति संबंधी अन्य अपराधों द्वारा ले जाई गई संपत्ति का विवरण अपराधवार शीर्षकों के अंतर्गत क्रमानुसार अंकित किया जाता है। इस रजिस्टर में प्रत्येक माह के अंत में व वर्ष के अंत में एक विवरण तैयार किया जाता है, जिसमें यह दर्शाया जाता है कि अपराधियों द्वारा चोरी, लूट, डकैती, गृहभेदन व अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों में कितनी संपत्ति ले जाई गई और कितनी संपत्ति पुलिस द्वारा अपराधियों से बरामद की गई।

इस रजिस्टर के अध्ययन से थाना प्रभारी यह भली-भांति जान सकते हैं कि थाना पुलिस थाना क्षेत्र में लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करने में कितनी सफल रही। यदि पुलिस को सफलता नहीं मिली है तो संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु एवं संपत्ति को अपराधियों से बरामद करने हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की जानी चाहिए :

- नवनियुक्त थाना प्रभारी द्वारा थाना क्षेत्र में चोरी का माल खरीदने वाले लोगों की सूची थाना अभिलेखों व प्राप्त सूचनाओं के थाना पर तैयार करनी चाहिए।
- संपत्ति संबंधी अपराध होने पर इन चोरी का माल लेने वालों पर दृष्टि रखी जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इनके यहां सामान बेचने आता है तो उससे पूछताछ की जानी चाहिए, जिससे यह ज्ञात हो सके कि बेचे जाने वाला सामान किसी अपराध से संबंधित है या नहीं?
- विभिन्न अपराधों में चोरी गई अथवा लूटी गई नम्बर वाली संपत्ति को बरामद करने के प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि इस प्रकार कि संपत्ति के मिलने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार की संपत्ति में रिवाल्वर, बंदूक, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कैमरा, मोबाईल फोन इत्यादि हैं।
- संपत्ति की बरामदगी के लिए चोरी का माल खरीदने वालों के घरों की एक साथ तलाशी ली जाए और संपत्ति को बरामद करने का प्रयास किया जाए।

- चोरी गई/लूटी गई संपत्ति को बरामद करने के लिए मुखबिरों की भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

ग्राम अपराध पुस्तिका (रजिस्टर नं.-8)

ग्राम अपराध पुस्तिका को रजिस्टर नं.-8 भी कहा जाता है। यह रजिस्टर थाने के प्रत्येक गांव अथवा मौहल्ले का अलग-अलग होता है। यह एक स्थायी अभिलेख है। इस रजिस्टर के निम्नलिखित पांच भाग होते हैं। इसका ठीक प्रकार से रखरखाव कराना व अध्ययन करना नवनियुक्त थाना प्रभारी को अपराध की रोकथाम और विवेचना कार्य में बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर सकता है।

ग्राम अपराध रजिस्टर का प्रथम भाग

इस प्रथम भाग में संबंधित गांव या मौहल्ले की निम्नलिखित सूचनाएं दर्ज रहती हैं :

- थाने से गांव/मौहल्ले की दूरी व दिशा व जाने का रास्ता।
- गांव/मौहल्ले की जनसंख्या।
- गांव/मौहल्ले के मकानों की संख्या एवं पुरवों की संख्या।
- गांव/मौहल्ले के निवासियों की जातियों एवं उनकी संख्या।
- गांव/मौहल्ले में लगने वाले बाजार एवं त्यौहार के दिन व समय।
- गांव के चौकीदार का नाम।
- गांव/मौहल्ले के शस्त्रधारकों के नाम।
- गांव/मौहल्ले के संप्रदांत लोगों के नाम।
- गांव/मौहल्ले के आकार अर्थात् यह छोटा गांव/मौहल्ला है या बड़ा।
- जातिगत स्थिति का अनुपात क्या है?
- गांव की प्रतिरोधात्मक क्षमता क्या है? गांव या मौहल्ले में शस्त्रधारकों के होने या न होने से इसका पता चल सकता है।
- गांव/मौहल्ला सुरक्षा की दृष्टि से कितना संवेदनशील है?
- गांव/मौहल्ले से पुलिस को सहयोग मिलने की स्थिति क्या है?
- गांव/मौहल्ले में जाने से पहले तैयारी की जा सकती है?

ग्राम अपराध रजिस्टर का द्वितीय भाग

इस भाग में गांव या मौहल्ले में घटित होने वाले संज्ञेय अपराधों को वर्षवार

क्रमानुसार अंकित किया जाता है। इस रजिस्टर के अवलोकन से नवनियुक्त थाना प्रभारी को निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हो सकती है :

- गांव या मौहल्ले में अपराध की घटनाएं अधिक हो रही हैं या कम?
- किस प्रकार का अपराध अधिक हो रहा है?
- कौन-कौन लोग इसमें लिप्त पाए गए?
- गांव या मौहल्ले में होने वाले अधिकांश: अपराध का समय क्या है?
- विवेचना का क्या परिणाम रहा?

इस भाग के अध्ययन थाना प्रभारी द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- यदि अपराध अधिक हो रहा हो, थाने के अभिलेखों में अंकित सूचनाओं के आधार पर सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।
- पूर्व में प्रकाश में आए अपराधियों से पूछताछ करके वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं को खोलने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- गश्त/गाढ़ाबंदी व निगरानी का कार्य बढ़ाया जाना चाहिए।
- सक्रिय अपराधियों की निगरानी तत्परता से की जानी चाहिए।
- कुछ अन्य संदिग्ध लोगों को सक्रिय अपराधियों की सूची में लाया जा सकता है।

ग्राम अपराध रजिस्टर का तृतीय भाग

इस भाग में उस गांव या मौहल्ले के रहने वाले उन लोगों के नाम दर्ज रहते हैं, जिनको न्यायालय से अपराध के विचारण के पश्चात दंड मिल चुका होता है।

इस भाग के अध्ययन से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं :

- कितने सजा पाए लोग उस गांव/मौहल्ले में निवास करते हैं?
- उनकी वर्तमान स्थिति क्या है (जेल में, बाहर या लापता)?
- यदि वह बाहर है, तो क्या अपराध में सक्रिय है?
- क्या उसकी हिस्ट्रीशीट खुली है या खोलने की आवश्यकता है?
- यदि वह लापता है तो कहां मिल सकता है?

उक्त सूचनाओं के आधार पर नवनियुक्त थाना प्रभारी निम्नलिखित कार्य कर सकता है

- यदि वह सक्रिय है, तो उनको सक्रिय अपराधियों की सूची में लाकर उन पर दृष्टि रखी जाए और आवश्यकता पड़ने पर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए।
- यदि हिस्ट्रीशीट खुलवाने की आवश्यकता हो तो पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट देकर हिस्ट्रीशीट खुलवाई जा सकती है।
- किसी अपराधी की घटना होने पर उनसे पूछताछ करके अपराध को खोलने का प्रयास किया जा सकता है।
- यदि वह लापता है तो उनकी तलाश के प्रयास किए जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए।

ग्राम अपराध पुस्तिका चतुर्थ भाग

इस भाग में गांव/मौहल्लों में घटित हो चुके गम्भीर अपराधों का संक्षिप्त विवरण क्षेत्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात अंकित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस गांव/मौहल्ले में पहले उत्पन्न हुई साम्प्रदायिक/धार्मिक समस्या का भी विवरण अंकित रहता है। इस रजिस्टर के अध्ययन से निम्नलिखित बातों की जानकारी प्राप्त हो सकती हैं।

- गांव में गम्भीर अपराधों की घटनाओं की क्या स्थिति है?
- वह घटनाएं किन लोगों द्वारा की गईं?
- उन घटनाओं से पीड़ित लोग कौन हैं?
- उनमें पुलिस द्वारा आरोप पत्र दिया गया है या अंतिम रिपोर्ट
- मुकदमे का न्यायालय से क्या परिणाम रहा?

उक्त जानकारी के बाद नवनियुक्त थाना प्रभारी निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है :

- गम्भीर अपराधों के मुकदमों में सजा के बाद अभियुक्त जमानत पर है या जेल में है?
- यदि अभियुक्त जमानत पर है या मुकदमे से छूट गया है तो उसकी गतिविधियां क्या है?
- यदि मुकदमों के अपराधी जमानत पर आने के बाद अपराध में सक्रिय पाए जाएं तो उनके विरुद्ध तत्काल रोकथाम की कार्रवाई की जाए ताकि वह अपराध न कर सकें।
- यदि किसी साम्प्रदायिक मामले को लेकर गांव या मौहल्ले के लोगों में झगड़ें की सम्भावना प्रतीत हो तो संबंधित लोगों के विरुद्ध रोकथाम

की कार्रवाई की जानी चाहिए।

ग्राम अपराध रजिस्टर का पंचम भाग

रजिस्टर के इस भाग में 'अ' व 'ब' वर्ग के हिस्ट्रीशीटों का अलग-अलग विवरण रखा जाता है यह पुलिस निगरानी के अन्तर्गत रखे जाने वाले अपराधियों का व्यक्तिगत अभिलेख है। हिस्ट्रीशीट उन लोगों की खोली जाती है, जो या तो अभ्यस्थ अपराधी है या जिनके अभ्यस्थ अपराधी होने की सम्भावना रहती है और जो उनके उत्प्रेरक है। किसी अपराधी की हिस्ट्रीशीट उसके किसी अपराध में सजा होने या न्यायालय से छूटने या अपराध में संदिग्ध होने के कारण खोली जा सकती है। यह सभी हिस्ट्रीशीट ग्राम अपराध रजिस्टर के पंचम भाग में रखी जाती है। हिस्ट्रीशीट जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के आदेश से खोली जाती है और इनके खोलने का प्रस्ताव थाना प्रभारी द्वारा दिया जाता है। हिस्ट्रीशीट के 2 निम्नलिखित वर्ग हैं।

1. 'अ' वर्ग की हिस्ट्रीशीट :

इस श्रेणी की हिस्ट्रीशीट उन लोगों की खोली जाती है, जो डकैत हैं, सेंधमार हैं, पशु चोर हैं या जो माल गाड़ी में चोरी करते हैं या इनके उत्प्रेरक हैं।

2. 'ब' वर्ग की हिस्ट्रीशीट :

इस श्रेणी की हिस्ट्रीशीट निम्नलिखित अभ्यस्थ या व्यावसायिक अपराधियों की खोली जाती है।

- व्यावसायिक धोखेबाज।
- विष देने वाले।
- यात्री ट्रेन में चोरी करने वाले।
- साइकिल चोर।
- जेब काटने वाले।
- नकली सिक्के या करेन्सी बनाने वाले।
- तस्करी करने वाले।
- किराए के हत्यारे व गुंडे।
- तार काटने वाले।
- शराब बनाने वाले।
- इनके दुष्प्रेरक।

‘अ’ व ‘ब’ वर्ग की हिस्ट्रीशीट का विभाजन इस सिद्धांत पर आधारित है कि डकैत, संधमार, पशुचोर व मालगाडी में चोरी करने वाले लोगों में सुधार की सम्भावना रहती है और ‘ब’ वर्ग की हिस्ट्रीशीट से संबंधित अभ्यस्त व व्यावसायिक अपराधियों में सुधार की सम्भावना नहीं होती क्योंकि इस श्रेणी के लोगों ने अपराध को अपनी जीविकोपार्जन का साधन बना लिया होता है। यह विभाजन इसलिए किया जाता है कि ‘अ’ वर्ग की हिस्ट्रीशीटर की निगरानी व ‘ब’ वर्ग के हिस्ट्रीशीटर की निगरानी की अवधि में अन्तर रखा जा सके और निगरानी करने के तरीके भी इन दोनों के लिए अलग अलग अपनाए जाते हैं।

‘अ’ वर्ग के हिस्ट्रीशीट को 2 वर्ष तक निगरानी के अंतर्गत रखा जाएगा और यदि इन 2 वर्षों में वह हिस्ट्रीशीटर किसी अपराध में जेल नहीं गया, किसी अपराध में सजा नहीं हुई, किसी अपराध में संदिग्ध नहीं हुआ और अपने घर से संदिग्ध परिस्थितियों में अनुपस्थित नहीं हुआ तो उसकी निगरानी बंद कर दी जाती है जबकि ‘ब’ वर्ग के हिस्ट्रीशीटर को विशेष परिस्थितियों को छोड़कर उसको जीवनभर निगरानी के अंतर्गत रखा जाता है। यदि ‘अ’ वर्ग के हिस्ट्रीशीटर को अपराध में सक्रिय पाया जाता है तो उसकी हिस्ट्रीशीट को तारांकित कर दिया जाता है और 2 वर्ष तक तारांकित रहेगा। यदि उसे इन 2 वर्षों में किसी अपराध में सजा नहीं हुई, किसी अपराध में जेल नहीं गया, किसी अपराध में संदिग्ध नहीं हुआ और अपने घर से संदिग्ध परिस्थितियों में गैरहाजिर नहीं रहा तो उसकी तारांकित स्थिति समाप्त कर दी जाएगी। ‘ब’ वर्ग के हिस्ट्रीशीटर को तारांकित नहीं किया जाता क्योंकि वह सदैव निगरानी के अंतर्गत रहता है।

निगरानी बंद करने का अर्थ हिस्ट्रीशीट बंद करना नहीं है क्योंकि हिस्ट्रीशीट सूचनाओं का अभिलेख है, जिस हिस्ट्रीशीटर की निगरानी बंद की जाती है उस संबंध में नोट हिस्ट्रीशीट में लगा लिया जाता है और उसके बाद उस हिस्ट्रीशीट में की जाने वाले समयबद्ध प्रविष्टियाँ बंद कर दी जाती हैं जब तक कोई विशेष बात लिखने योग्य ज्ञान हो। ‘ब’ वर्ग की निगरानी बंद करने के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र की स्वीकृति आवश्यक है।

हिस्ट्रीशीटर की सामान्य ख्याति, आदतों, संगति, आय-व्यय और व्यवसाय के बारे में थाना प्रभारी या बीट उपनिरीक्षक पुलिस वर्ष में एक बार गहराई से जांच करके उसका नोट हिस्ट्रीशीट में लगाता है। यह जांच 6 माह या उससे भी पहले की जा सकती है यदि किसी हिस्ट्रीशीट की गतिविधियां संदिग्ध पाई जाती हैं।

किसी व्यक्ति की हिस्ट्रीशीट खुलने के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाती है :

- संदिग्ध अनुपस्थिति का विवरण।
- संज्ञेय व असंज्ञेय अपराध का विवरण, जो उसके विरुद्ध पंजीकृत हुआ हो।
- उन अभियोगों का विवरण, जिनमें वह संदिग्ध हुआ हो।
- समयबद्ध जांच का परिणाम, जो हिस्ट्रीशीटर की आदतों आदि के बारे में की गई हो।

उक्त भाग के अवलोकन से नवनियुक्त थाना प्रभारी द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- 'अ' वर्ग के सक्रिय हिस्ट्रीशीटर को तारांकित कराया जा सकता है।
- हिस्ट्रीशीटर के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
- जो हिस्ट्रीशीटर शांत पाई जाए उनकी निगरानी बंद की जा सकती है।
- जो हिस्ट्रीशीटर मर गए हैं उनकी हिस्ट्रीशीट नष्ट कराई जा सकती है।
- जिन हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी बंद हो गई है और वह जांच से अपराध में सक्रिय पाए जाएं तो उनकी निगरानी पुनः प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

पलायित अपराधियों का रजिस्टर

इस रजिस्टर में उन अपराधियों के नाम अंकित किए जाते हैं, जो अपराध करने के बाद कहीं भाग जाने के कारण गिरफ्तार नहीं हो पाते। इस रजिस्टर में अंकित होने वाले अपराधी 'अ' व 'ब' प्रकार के होते हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :

(1) 'अ' वर्ग के पलायित अपराधी

इस वर्ग में उन अपराधियों का नाम अंकित किया जाता है, जिनके नाम पते सत्यापित होते हैं। इनकी तलाश घटना की दिनांक से 30 वर्ष तक की जाती है और यदि इस अवधि में वह गिरफ्तार नहीं हो पाते तो उनका नाम पुलिस अधीक्षक की अनुमति से इस रजिस्टर से निकाला जा सकता है।

(2) 'ब' वर्ग के पलायित अपराधी

इस वर्ग में उन अपराधियों का नाम अंकित किया जाता है, जिनका नाम पता सत्यापित नहीं होता है अर्थात् इसमें वह अपराधी आते हैं, जो किसी थाना

क्षेत्र में कहीं बाहर से आकर कहीं रुके होते हैं और अपराध करने के बाद भाग जाते हैं। इनकी तलाश घटना की दिनांक से पांच वर्ष तक की जाती है और यदि यह गिरफ्तार नहीं हो पाते हैं तो इनका नाम पुलिस अधीक्षक की अनुमति से इस रजिस्टर से हटाया जा सकता है।

इस रजिस्टर में इन पलायित अपराधियों को तलाश करने की कार्रवाई का विवरण अंकित किया जाता है। इस रजिस्टर में नाम अंकित करने के लिए भागे हुए अपराधी के विरुद्ध धारा 82 दं. प्र. सं. के अंतर्गत कार्रवाई की जानी आवश्यक है।

इस रजिस्टर का अवलोकन करके नवनियुक्त थाना प्रभारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं :

- कितने पलायित अपराधी उसके थाने में अंकित हैं?
- इन पलायित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?
- कितने पलायित अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई?
- कितने अपराधियों के विरुद्ध पंजीकृत अपराधों में मुख्य-मुख्य गवाहों की मृत्यु हो गई है?
- क्या सभी पलायित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार घोषित है?

नवनियुक्त थाना प्रभारी के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

- यदि किसी अपराधी पर पुरस्कार घोषित न हो तो जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से पुरस्कार घोषित कराया जा सकता है।
- जिस पलायित अपराधी से संबंधित अभियोग में मुख्य-मुख्य गवाह मर गए हों या पलायित अपराधियों के नाम अंकित रखे जाने की अवधि (30 वर्ष या 05 वर्ष) समाप्त हो गई हो तो उनके नाम जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक से अनुमति प्राप्त करके हटा देने चाहिए।
- पलायित अपराधियों के रजिस्टर में अंकित अपराधियों के विरुद्ध समयबद्ध तलाश एक साथ उनके निवास स्थान, उनके रिश्तेदारों के निवास स्थान व उनके सहयोगियों के निवास स्थान पर की जाए, जिससे वह गिरफ्तार हो सकें।

- पलायित अपराधियों की खोज करने के लिए थाने के उपनिरीक्षक पुलिस, मुख्य आरक्षी व आरक्षियों को उत्तरदायित्व सौपा जाना चाहिए।
- पलायित अपराधियों की खोज करने के लिए मुखबिरों (Informers) की सहायता प्राप्त की जानी चाहिए।

इंडैक्स प्रथम सूचना रिपोर्ट अहस्तक्षेपीय अपराध

यद्यपि अहस्तक्षेपीय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर बिना न्यायालय की अनुमति के विवेचना नहीं की जाती है परंतु थाने पर पंजीकृत होने वाली अहस्तक्षेपीय रिपोर्ट के आधार पर 02 प्रकार इंडैक्स रजिस्टर बना कर रखे जाते हैं।

इंडैक्स अहस्तक्षेपीय रिपोर्ट मौहल्लेवार

थाने पर पंजीकृत होने वाली सभी अहस्तक्षेपीय प्रथम सूचना रिपोर्टों को थाने पर बनाए गए मौहल्लावार रजिस्ट्रों में संबंधित मौहल्ले में क्रमवार अंकित किया जा सकता है। इस रजिस्ट्रों को देखने से थाना प्रभारी यह जान सकता है कि किस मौहल्ले में अहस्तक्षेपीय अपराध अधिक हो रहे हैं और यह भी पता लग सकता है कि किन-किन पक्षों में किस बात को लेकर विवाद हुआ है और कौन सा मौहल्ला/गांव इस प्रकार के अपराधों से अधिक प्रभावित हुआ है।

इंडैक्स अहस्तक्षेपीय प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त के नामवार

अहस्तक्षेपीय रिपोर्टों का एक रजिस्टर अभियुक्तों का नामवार बनाया जाता है। इस रजिस्टर में प्रत्येक अभियुक्त को रजिस्टर का एक पृष्ठ या आधा पृष्ठ आवंटित किया जा सकता है और उसके विरुद्ध थाने पर लिखाए जाने वाली समस्त अहस्तक्षेपीय रिपोर्टों को उसी पृष्ठ पर क्रमवार अंकित किया जाता है। इस रजिस्टर को देखने से थाना प्रभारी यह अनुमान लगा सकता है कि कौन व्यक्ति बार-बार अहस्तक्षेपीय अपराध करके समाज में आतंक फैला रहा है या व्यवस्था भंग कर रहा है।

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए।

- जिस मौहल्ले में अहस्तक्षेपीय अपराध अधिक हो रहे हों उस मौहल्ले

में विवाद और विवादित पक्षों से बात-चीत करके उनकी समस्याओं की जानकारी करने के पश्चात उनका समझौते द्वारा या वैधानिक उपायों द्वारा हल निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। जैसे 107/116, 110, 145 दं. प्र. सं. की कार्रवाई करके समस्या का हल निकाला जा सकता है।

- जिन व्यक्ति के द्वारा बार-बार लोगों के साथ मारपीट करने, धमकी देने या गाली-गलौच करने की घटनाएं की गई हों उसमें उन रिपोर्टों की न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करके विवेचना की जा सकती है और वारंट प्राप्त करके उसको गिरफ्तार किया जा सकता है।
- जिस व्यक्ति के खिलाफ कई बार अहस्तक्षेपीय अपराध की रिपोर्ट लिखी गई हो उसके खिलाफ रिकार्ड के आधार या गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा सकती है।

क्रियाशील अपराधियों का रजिस्टर

इस रजिस्टर में थाना पुलिस द्वारा उन अपराधियों के नाम क्षेत्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त अंकित किए जाते हैं जो थाना क्षेत्र में अपराध में सक्रिय पाए जाते हैं। इस रजिस्टर में अंकित किए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक पृष्ठ आवंटित किया जाता है और वर्ष भर उसके विरुद्ध थाने पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक हस्तक्षेपीय और अहस्तक्षेपीय अपराध की सूचनाओं को उसमें क्रमवार अंकित किया जाता है।

थाना प्रभारी इस रजिस्टर को देखकर यह अनुमान भली-भांति लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की अपराध में सक्रियता रही है या नहीं? यदि वर्ष भर में उसकी भागीदारी आपराधिक घटनाओं में रही है, तो उसके विरुद्ध रोकथाम की कार्रवाई (Preventive Action) उन घटनाओं के आधार पर की जा सकती है।

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए :

- थाना प्रभारी इस रजिस्टर में अंकित उन लोगों के विरुद्ध रोकथाम की कार्रवाई (Preventive Action) करनी चाहिए, जिन लोगों के विरुद्ध वर्षभर में अपराधिक घटनाओं की सूचनाएं निरंतर प्राप्त हुई हैं।

- जो लोग अपराध में सक्रिय पाए जाएं उनका नाम भविष्य में भी सक्रिय अपराधियों की सूची में रखा जाना चाहिए या उनकी हिस्ट्रीशीट खोली जानी चाहिए।
- जो लोग वर्षभर शांत रहे हों उनका नाम इस सूची से हटा देना चाहिए।

बीट सूचनाओं का रजिस्टर

प्रत्येक शहरी थाना चौकियों में बंटा होता है और चौकियां बीट में बटी होती हैं और ग्रामीण क्षेत्र के थाने बीट में बंटे होते हैं। दोनों प्रकार के थानों में थाना क्षेत्र से प्राप्त होने वाली अपराध व अपराधियों से संबंधित सूचनाओं का एक रजिस्टर प्रत्येक थाने पर रखा जाता है। इस रजिस्टर में अंकित सूचनाओं में जांचोपरांत आवश्यकतानुसार रोकथाम की कार्रवाई करके अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है।

थाना प्रभारी को इस रजिस्टर का अवलोकन करके निम्न बिंदुओं की जानकारी तत्काल कर लेनी चाहिए :

- क्या थाना/चौकियों के हैड कांस. और कांस. अपनी बीट से आपराधिक सूचनाएं लाकर थाने पर दर्ज करा रहे हैं?
- जो आपराधिक सूचनाएं बीट इन्फार्मेशन रजिस्टर में दर्ज कराई गई हैं उनकी जांच की गई है या नहीं?
- यदि आपराधिक सूचना जांचोपरांत सही पाई गई तो क्या रोकथाम की कार्रवाई की गई?
- आपराधिक सूचनाएं किन-किन विषयों पर एकत्रित की गई हैं?

थाना प्रभारी को अपने थाने के कर्मचारियों को यह बात समझानी चाहिए कि आपराधिक सूचनाएं केवल झगड़े संबंधी ही एकत्रित नहीं करनी है बल्कि यह सूचनाएं निम्नलिखित विषयों पर एकत्रित करने का प्रयास करना चाहिए :

- संभावित सांप्रदायिक तनाव के संबंध में।
- संभावित राजनैतिक तनाव के संबंध में।
- थाने पर पंजीकृत अभियोग के अज्ञात अभियुक्तों का पता लगाने के संबंध में।
- चोरी गई अथवा लूटी गई संपत्ति के किसी के पास होने के संबंध में।
- अवैध शस्त्रों के निर्माण और बिक्री के संबंध में।
- अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के संबंध में।

- मादक पदार्थों की बिक्री के संबंध में।
- नये अपराधियों के संबंध में।
- क्षेत्र में किसी अजनबी/संदिग्ध व्यक्ति के कहीं किसी के पास आकर ठहरने के संबंध में।
- हिस्ट्रीशीटर/क्रियाशील अपराधी के अपने घर से अनुपस्थित होने के संबंध में।

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए :

- यदि आपराधिक सूचनाएं एकत्र न की जा रही हों तो थाने पर नियुक्त मुख्य आरक्षी व आरक्षियों को सूचना एकत्र करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- यदि सूचनाओं की जांच में बिलम्ब किया जा रहा हो तो प्राप्त सूचनाओं की तत्काल जांच कराई जाए ताकि सत्यता का पता लग सके।
- यदि सूचना सही पाई जाए तो तत्काल उचित कार्रवाई कराने की व्यवस्था कराई जाए अन्यथा सूचना लाने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

गुंडों का रजिस्टर

प्रत्येक थाना क्षेत्र में रहने वाले गुंडों का रजिस्टर बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के गुंडों को अलग-अलग भाग में अंकित किया जाता है और उसके विरुद्ध प्राप्त होने वाली सूचनाओं के लिए एक पृष्ठ या आधा पृष्ठ आवंटित किया जाता है। उसके विरुद्ध प्राप्त होने वाली प्रत्येक आपराधिक सूचना को उस पृष्ठ पर क्रमवार अंकित किया जाता है। इस रजिस्टर के निम्नलिखित भाग होते हैं :

- किराये पर हत्या करने वाले गुंडे।
- दबाकर पैसा वसूलने वाले गुंडे।
- चाकू मारने वाले गुंडे।
- सांप्रदायिक गुंडे।
- महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले गुंडे।
- लोगों के साथ आदतन मारपीट करने वाले गुंडे।
- शराब पीकर गाली-गलौच व उत्पात मचाने वाले गुंडे।

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए :

- उक्त रजिस्टर के अवलोकन के पश्चात थाना प्रभारी को मारपीट करने वाले व उत्पात मचाने वाले लोगों के विरुद्ध शांति बनाए रखने के लिए धारा 107/116 दं. प्र. सं. की कार्रवाई करनी चाहिए।
- आदतन अपराध करने वाले या समाज के लिए घातक लोगों के विरुद्ध धारा 110 दं.प्र.सं. या गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए।
- सांप्रदायिक गुंडों को जनव्यवस्था बार-बार भंग करने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्ध कराया जा सकता है।
- यदि गुंडे जमानत पर हों तो उनकी जमानत निरुद्ध कराई जा सकती है।

जमानत का रजिस्टर

इस रजिस्टर में विभिन्न अपराधों में पकड़े गए अभियुक्तों की थाने से व न्यायालय से जमानत दिए जाने की तिथि का उल्लेख रहता है। इस रजिस्टर के अध्ययन से नवनियुक्त थाना प्रभारी को निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी हो सकती है :

- कितने अपराधी गिरफ्तारी के बाद थाने से जमानत पर छोड़े।
- कितने अपराधी गिरफ्तारी के बाद न्यायालय से जमानत पर छूटे।
- कितने अपराधी अजमानतीय अपराधों में रिमांड अवधि के पश्चात आरोप पत्र देने के कारण जमानत पर रिहा हुए।
- इनकी जमानत कराने वाले कौन-कौन लोग हैं।

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए :

- जमानत पर आए हुए अपराधियों की गतिविधियों पर दृष्टि रखी जा सकती है।
- सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध रोकथाम की कार्रवाई की जा सकती है।

- अपराध में पकड़े जाने पर उसकी पहले मुकद्दमे में हुई जमानत को निरस्त कराया जा सकता है।
- जमानत पर आए लोगों को सक्रिय अपराधियों की सूची में रखा जा सकता है।

त्यौहार रजिस्टर

प्रत्येक थाना पर थाने क्षेत्र में बनाए जाने वाले त्यौहारों के संबंध में नोट रखने हेतु एक त्यौहार रजिस्टर रखा जाता है, जिसमें थाना प्रभारी द्वारा प्रत्येक त्यौहार के संबंध में की गई पुलिस व्यवस्था का विवरण अंकित किया जाता है, जो आने वाले समय में पुलिस के लिए मार्ग दर्शन का कार्य करता है। इस त्यौहार रजिस्टर का अध्ययन नवनियुक्त थाना प्रभारी को प्रारंभ में ही कर लेना चाहिए और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए :

- थाना क्षेत्र में कौन-कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं।
- किन-किन त्यौहारों पर पिछले वर्षों में कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या उत्पन्न हुई।
- उन समस्याओं के निपटने के लिए क्या कार्रवाई की।
- त्यौहार के प्रबंध के लिए कुल कितना फोर्स प्राप्त हुई।
- फोर्स को कहां-कहां पर ड्यूटी पर लगाया।
- पूर्व थाना प्रभारी ने किस त्यौहार के बारे में क्या सुझाव दिए हैं।

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए :

- यदि निकट में आने वाले किस त्यौहार के संबंध में पिछले वर्ष में कोई समस्या उत्पन्न हुई हो तो संबंध में नवनियुक्त थाना प्रभारी को अपने स्तर से संबंधित लोगों से संपर्क करके वर्तमान स्थिति की जानकारी कर लेनी चाहिए।
- यदि शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु किसी रोकथाम की कार्रवाई की आवश्यकता हो तो वह कार्रवाई संपन्न कर लेनी चाहिए।
- यदि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक पुलिस बल की आवश्यकता हो तो उसकी मांग कर लेनी चाहिए।
- क्षेत्र में भ्रमण करके आने वाले त्यौहार के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित

कर लेना चाहिए कि कोई नई समस्या उत्पन्न तो नहीं हो गई और यदि कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न होनी पाई जाए तो उसके संबंध में उचित कार्रवाई समय रहते कर लेनी चाहिए।

- किए गए प्रबंध की विस्तृत टिप्पणी त्यौहार की समाप्ति के पश्चात त्यौहार रजिस्टर में अंकित की जानी चाहिए।

गृहभेदन के अपराध का मानचित्र

प्रत्येक थाना पर थाना क्षेत्र का एक मानचित्र बना कर रखा जाता है, जिसमें मौहल्ले या गांव अंकित किए जाते हैं। इस मानचित्र में गृहभेदन की विभिन्न घटनाओं को दर्शाया जाता है। नवनियुक्त थाना प्रभारी को अपनी नियुक्ति के पश्चात इस मानचित्र को देखकर निम्नलिखित बातों की जानकारी कर लेनी चाहिए :

- क्या कोई ऐसा मानचित्र थाने पर बना हुआ है?
- क्या गृहभेदन के अपराध उसमें दर्शाए गए हैं?
- कौन सा क्षेत्र गृहभेदन के अपराध से अधिक प्रभावित है?
- गृहभेदन किसी प्रकार के मकान/दुकान में किया गया?
- गृहभेदन का अनुमानित समय क्या ज्ञात हुआ है?
- गृहभेदन के अपराध में किस प्रकार की कार्यप्रणाली अपराधियों द्वारा अपनाई गई?
- क्या गृहभेदन की कई घटनाएं एक ही रात्रि में हुई हैं?
- इन गृहभेदन की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

थाना प्रभारी द्वारा की जानی वाली कार्रवाई

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए।

- गृहभेदन से प्रभावित क्षेत्र में प्रभावी गश्त की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- यदि गृहभेदन बाजार में हो रहा हो तो वहां प्राइवेट चौकीदारों की व्यवस्था दुकानदारों से मिलकर कराई जानी चाहिए।
- यदि अपराध फिर भी न रूक रहा हो तो प्रभावी क्षेत्र की नाकाबंदी कराई जानी चाहिए और संदिग्ध लोगों को चैक करना चाहिए, जिससे

अपराधी पकड़े जा सकते हैं।

- यदि एक ही रात में कई घरों में चोरियां हुई हों तो पूर्व अपराधी संवर्ग के थाना क्षेत्र में कहीं रूके होने के संबंध में छानबीन की जानी चाहिए।

विगत 10 वर्षों में प्रकाश में आए अपराधियों का रजिस्टर

प्रत्येक थाने पर विभिन्न प्रकार के अपराधों में पिछले 10 वर्षों में प्रकाश में आए अपराधियों का अपराधवार एक रजिस्टर रखा जाता है। इस रजिस्टर के रखने का उद्देश्य यह है कि यदि किसी अपराध की घटना में अभियुक्त का नाम, पता अज्ञात है तो इन 10 वर्षों में प्रकाश में आए अपराधियों में से उसी प्रकार के अपराध के अपराधियों की सूची बनाकर वर्तमान में घटी घटना के संबंध में पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि पूर्व अपराधियों द्वारा पुनः अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। नवनि्युक्त थाना प्रभारी को इस रजिस्टर का भी अवलोकन कर लेना चाहिए, जिससे इसका उपयोग होने वाली घटनाओं के अभियुक्तों का पता लगाने में किया जा सकता है।

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई

उक्त बिन्दुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए :

- थाना प्रभारी को देख लेना चाहिए कि यह रजिस्टर अद्यावधिक रखा जा रहा है या नहीं।
- यदि न रखा जा रहा हो तो उसे पूर्ण करा लेना चाहिए।
- यह भी चेक कर लेना चाहिए कि इस रजिस्टर का उपयोग विवेचकों द्वारा किया जा रहा है या नहीं। यदि न किया जा रहा हो तो विवेचकों को इस संबंध में उचित दिशा-निर्देश/मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए।
- इस रजिस्टर में अंकित सभी प्रकार में आए अपराधियों के संबंध में यह भी चैकिंग करा लेनी चाहिए कि उनमें से कौन-कौन अपराधी मर गए हैं, जिससे उनका नाम इस रजिस्टर से हटाया जा सके।
- यह भी चेक करा लेना चाहिए कि कौन-कौन अपराधी किस अपराध में जेल में है।
- यह भी चेक करा लेना चाहिए कि कौन-कौन से अपराधी लापता हैं और उन्हें तलाश करने की कार्रवाई करानी चाहिए।

संभावित झगड़े के प्रकरणों के स्थानों का रजिस्टर

यह रजिस्टर प्रत्येक थाने पर इसलिए रखा जाता है, ताकि क्षेत्र के संभावित झगड़ों के बारे में इसमें सूचना अंकित कराई जाए व समय रहते उसको रोकने की कार्रवाई की जाए। यदि इस प्रकार के प्रकरणों में तत्परता से कार्रवाई की जाए तो बहुत से मामलों के गंभीर अपराध होने से रूक सकते हैं।

नवनियुक्त थाना प्रभारी को इस रजिस्टर का अवलोकन करके निम्न बिंदुओं की जानकारी कर लेनी चाहिए :

- किन-किन मौहल्लों/गांवों से संभावित झगड़ों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं?
- इन सूचनाओं के संबंध में थाने से क्या कार्रवाई की गई?
- कितने मौहल्ले/गांव में संभावित झगड़े की सूचना प्राप्त होने के बाद की गई कार्रवाई से झगड़ा नियंत्रित हुआ?
- कितने मौहल्ले/गांव में संभावित झगड़े की सूचना प्राप्त होने पर कार्रवाई न होने के कारण आपराधिक घटनाएं हुई हैं?

नवनियुक्त थाना प्रभारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

- जिन-जिन संभावित झगड़े के प्रकरणों में जांच या कार्रवाई न हुई हो उसमें तत्काल जांच और कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।
- थाना प्रभारी संभावित झगड़े के प्रकरण वाले मौहल्ले/गांव में जाने वाले मुख्य आरक्षी व आरक्षी एवं उपनिरीक्षक के भ्रमण का विवरण फ्लाइंग शीट की तरह से रख सकते हैं, जिससे थाना का स्टाफ संभावित झगड़ों को रोकने के कार्य में लापरवाही नहीं बरतेगा और सचेत रहेगा।

राजनैतिक दलों का रजिस्टर

प्रत्येक थाना क्षेत्र में विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारी व सदस्य निवास करते हैं। यद्यपि राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारी जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु यदा-कदा पुलिस को कतिपय राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारियों और सदस्यों के विरुद्ध शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी पड़ सकती है। इस लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक थाना में राजनैतिक पार्टियों का रजिस्टर अद्यावधिक रखा जाना चाहिए। इस रजिस्टर में पार्टी पदाधिकारियों उनके मुख्य-मुख्य सदस्यों, पार्टी कार्यालय का स्थान और टेलीफोन नंबर अंकित किए

जाने चाहिए। इस रजिस्टर की पूर्ति में स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU) से सहायता प्राप्त की जा सकती है क्योंकि उक्त इकाई में राजनैतिक पार्टियों के संबंध में विस्तृत विवरण उपलब्ध रहता है।

नवनियुक्त थाना प्रभारी को राजनैतिक दलों के रजिस्टर का अवलोकन करके निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए :

- किस-किस राजनैतिक दल के लोग थाना क्षेत्र में निवास करते हैं?
- किस राजनैतिक दल के लोगों का बहुल्य थाना के किस क्षेत्र में है?
- विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रमुख व्यक्ति कौन-कौन से हैं?
- किस राजनैतिक दल के सांसद/विधायक थाना क्षेत्र में निवास करते हैं और उनका निवास स्थान कहां है और टेलीफोन नंबर क्या है?
- क्षेत्र के राजनैतिक दलों में कोई वैमन्यसता हो तो उसकी जानकारी की जाए।

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए :

- नवनियुक्त थाना प्रभारी को अपने थाना क्षेत्र में रहने वाले सांसद और विधायक से व्यक्तिगत संपर्क करके उनसे परिचय कर लेना चाहिए।
- यदि कोई समस्या सांसद या विधायक द्वारा बताई जाए तो उस पर समुचित कार्रवाई तत्काल की जानी चाहिए।
- थाने पर उनके आने पर उनसे मिलने में उन्हें वरीयता प्रदान की जाए।
- यदि दो राजनैतिक दलों के मध्य वैमन्यसता चल रही हो तो अधिकारियों से विचार-विमर्श करके उचित रोकथाम की कार्रवाई समय रहते की जानी चाहिए।

राजनैतिक दलों की सूचना का रजिस्टर

इस रजिस्टर में विभिन्न राजनैतिक दलों की थाना क्षेत्र में समय-समय पर होने वाली गतिविधियों (जुलूस, रैली, प्रदर्शन, बंद आदि) का विवरण तिथिवार अंकित किया जाता है और इसी आधार पर स्थानीय अभिसूचना इकाई को थाना प्रभारी द्वारा साप्ताहिक गोपनीय डायरी प्रेषित की जाती है। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर राजनैतिक दलों के भविष्य में होने वाले आंदोलन, जलसा एवं जुलूस और

प्रदर्शन आदि का समुचित प्रबंध किया जा सकता है अथवा इनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए रोकथाम की कार्रवाई की जाती है, जिससे कोई अप्रिय घटना न घटे।

नवनियुक्त थाना प्रभारी को इस रजिस्टर का अवलोकन करके निम्न कार्रवाई करना आवश्यक है :

- यह रजिस्टर सदैव अद्यावधिक रखा जाए।
- इस रजिस्टर को अद्यावधिक रखने के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल.आई.यू.) की सहायता भी प्राप्त की जा सकती है।
- किसी राजनैतिक दल द्वारा सभा करने, जुलूस निकालने अथवा प्रदर्शन करने की अनुमति मांगने के प्रार्थना पत्र पर संस्तुति करते समय इस रजिस्टर में अंकित उस दल की गतिविधियों को ध्यान में रखकर संस्तुति करने अथवा न करने का निर्णय लेना चाहिए।
- यदि इस रजिस्टर के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में किसी राजनैतिक दल के द्वारा सभा करने में जुलूस निकालने अथवा प्रदर्शन करने में कानून तोड़ कर उपद्रव किया गया है तो धारा 144 दं.प्र.सं. के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करा कर इस दल द्वारा की जाने वाली सभाओं, निकाले जाने वाले जुलूस अथवा किए जाने वाले प्रदर्शन पर रोक लगवाने की कार्रवाई की जा सकती है।

गैंग रजिस्टर

इस रजिस्टर में डकैतों, पशु चोरों या रेलवे वैन से चोरी करने वाले संगठित गिरोह को पुलिस अधीक्षक की अनुमति से अंकित किया जाता है। इस रजिस्टर में गिरोह के पंजीकरण का कारण, गिरोह का पूर्व इतिहास और उसकी कार्य पद्धति का विवरण प्रविष्ट किया जाता है। यह स्थायी अभिलेख है और पंजीकृत गिरोह को उसमें से कभी नहीं मिटाया जाएगा, परंतु यह निश्चित हो जाने पर कि गिरोह भंग हो गया है, इस गिरोह के संबंध में की जाने वाली पूछताछ पुलिस अधीक्षक के आदेश से बंद की जा सकेगी। यदि कोई गिरोह एक से अधिक जिलों में विभाजित हो गया है, तो उन सभी जिलों के अधीक्षकों के यहां उस गिरोह के पंजीकरण के लिए कार्रवाई की जाएगी।

इस गैंग रजिस्टर के अध्ययन से संबंधित थाना प्रभारी यह अनुमान लगा सकता है कि उसके थाना क्षेत्र में गिरोह की सक्रियता क्या है और तदनुसार वह

उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए योजना तैयार कर सकता है।

नवनियुक्त थाना प्रभारी को इस रजिस्टर का अवलोकन करके निम्न बिंदुओं पर कार्रवाई करनी चाहिए :

- गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए सभी संबंधित थानों में समयबद्ध तलाश एक साथ कराई जानी चाहिए।
- थाना प्रभारी को अपने थाने पर रजिस्टर्ड गैंग के संबंध में उन थाना प्रभारियों के साथ हर माह में एक मीटिंग कर लेनी चाहिए, जिनके क्षेत्र में उस गैंग का कोई मेम्बर रहता हो।
- गैंग के सदस्यों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए मुखबिरों का प्रयोग किया जाना चाहिए और उनकी सूचना पर उनको तलाश करके पकड़ने की योजना बनाई जानी चाहिए।
- गैंग के सदस्यों पर यदि पुरस्कार घोषित न हो तो उन पर पुरस्कार घोषित कराया जाना चाहिए।

आरोप पत्र रजिस्टर

इस रजिस्टर के माध्यम से विवेचना के उपरांत किसी अपराध के अभियुक्त को विचारण हेतु न्यायालय भेजा जाता है। इस रजिस्टर की उपयोगिता अपराध नियंत्रण में भी समय-समय पर प्रतीत होती है। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 110 दंड प्रक्रिया संहिता, गुंडा नियंत्रण अधिनियम या गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करनी हो, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में पूर्व में प्रेषित किए गए आरोप पत्र का विवरण इस रजिस्टर में उपलब्ध द्वितीय प्रतिलिपि के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है।

नवनियुक्त थाना प्रभारी को इस रजिस्टर का अवलोकन निम्न बिंदुओं पर करना चाहिए :

- क्या आरोप पत्र के सभी कालमों की पूर्ति की जा रही है?
- क्या अभियुक्तों के पूर्व दंड का उल्लेख आरोप पत्र में किया जा रहा है?
- क्या गवाहों के नाम के आगे यह अंकित किया जा रहा है कि कौन गवाह क्या साक्ष्य लेगा?
- क्या आरोप वाले कालम में चालान किए जा रहे अपराधियों पर सिद्ध हुए आरोपों को स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है?

- क्या अभियुक्तों वाले कालम में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है कि अभियुक्त जेल में है, जमानत पर है या भागे हुए हैं? यह विवरण चेक करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आरोप पत्र के आधार पर ही संबंधित न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तैयार किया जाता है और अभियुक्त को न्यायालय में निश्चित तिथि पर बुलाकर वह आरोप उसको पढ़कर सुनाया जाता है?
- नवनियुक्त थाना प्रभारी को यह भी चेक कर लेना चाहिए कि आरोप पत्र भेजने से पूर्व आवश्यक अभियोजन स्वीकृति संबंधित अधिकारी से प्राप्त की जा रही है अथवा नहीं। सुलभ संदर्भ हेतु उन अपराधियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है जिनमें आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित करने से पूर्व अभियोजन स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक है।

क्र.सं.	अपराध की धारा	स्वीकृति प्राप्त करने का प्रावधान	स्वीकृति किससे प्राप्त करनी है
1	धारा 153ए भा.दं.सं.	धारा 196 दं.प्र.सं.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार
2	धारा 295ए भा.दं.सं.	धारा 196 दं.प्र.सं.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार
3	धारा 505(1) भा.दं.सं.	धारा 196 दं.प्र.सं.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार
4	धारा 121से130भा.दं.सं.	धारा 196 दं.प्र.सं.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार
5	धारा 121 से 130, 153ए 295ए-505(1) भा.द.सं. में आपराधिक षड्यंत्रकारित होने पर धारा 120बी भा.दं.सं. के अपराध में	धारा 196 दं.प्र.सं.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार
6	धारा 121से 130, 153ए, 295ए-505(1) भा.दं.सं. के अपराध में उत्प्रेरण के अपराध धारा 108ए भा.दं.सं. में	धारा 196 दं.प्र.सं.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार
7	धारा 153बी व धारा 505 उपधारा 2 व 3 भा.दं.सं.	धारा 196 दं.प्र.सं.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार

8	धारा 153 बी व धारा 505 की उपधारा 2 व 3 में आपराधिक षड्यंत्र के अपराध में	धारा 196 दं.प्र.सं.	राज्य सरकार
9	धारा 120बी भा.दं.सं. के उन अपराधों में जो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या दो या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास दंडिय अपराध के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न हैं।	धारा 196 दं.प्र.सं.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट
10	किसी जज या मजिस्ट्रेट या लोक सेवक के विरुद्ध उस कार्य के लिए जो उसने अपने कर्तव्य के निर्वहन में किया है।	धारा 197 दं.प्र.सं.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार
11	धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम	धारा 39 शस्त्र अधिनियम	जिला मजिस्ट्रेट
12	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3, 4, 5 व 6	धारा 7 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम	जिला मजिस्ट्रेट
13	खाद्य पदार्थ अपमिश्रण अधिनियम 1954	धारा 20 खाद्य पदार्थ अपमिश्रण अधिनियम	राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत चिकित्सा-धिकारी या स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी
14	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988	धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988	केंद्र सरकार/राज्य सरकार या पद से हटाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी
15	पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम 1922	धारा 5 पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम	जिला मजिस्ट्रेट
16	आवश्यक वस्तु	धारा 11 आवश्यक	जिला मजिस्ट्रेट

	अधिनियम 1955		
17	विदेशी मुद्रा अधिनियम 1973 की धारा 44 व 58 के दंडनीय अपराध	धारा 61(2) विदेशी मुद्रा अधिनियम	केंद्रीय सरकार या प्रवर्तन निदेशक
18	पासपोर्ट अधिनियम 1967	धारा 15 पासपोर्ट अधिनियम	केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी
19	एण्टी हाई जैकिंग अधिनियम 1982	धारा 10 एंटी हाई जैकिंग अधिनियम	केंद्र सरकार
20	उ.प्र. दुग्ध अधिनियम 1776	धारा 18 उ.प्र. दुग्ध अधिनियम के अंतर्गत घटना की तिथि से 6 माह के भीतर	जिला मजिस्ट्रेट
21	कीटनाशी अधिनियम 1978	धारा 31 कीटनाशी अधिनियम	राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
22	उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप नियंत्रण अधिनियम 1986	शासनादेश-गृह (पुलिस) अनुभाग-9 सं. 3216 /आठ-9-1986 दिनांक 23 जून 1986	पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट से प्रथम सूचना दर्ज करने से पूर्व व जिला मजिस्ट्रेट का आरोप पत्र न्यायालय भेजने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना
23	अधिनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी अपराध में आरोप पत्र न्यायालय भेजने से पूर्व	उ.प्र.पुलिस रेग्युलेशन के प्रस्तर 486(4)के अनुसार	जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

शस्त्र रजिस्टर

प्रत्येक थाने पर शस्त्र रजिस्टर रखा जाता है जिसमें थाना क्षेत्र में रहने वाले शस्त्र धारकों के नाम, पते एवं उनके द्वारा रखे जाने वाले शस्त्र का विवरण अंकित रहता है। यह रजिस्टर थाने पर मौहल्लावार या गांववार बना लिया जाता है। इस रजिस्टर को अद्यावधिक रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में नियुक्त शस्त्र लिपिक से अपने थाने के नये शस्त्रधारकों के बारे से सूचनाएं प्राप्त की जाती

है। इस रजिस्टर का अध्ययन करके नवनियुक्त थाना प्रभारी निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं :

- किन-किन मौहल्लों या गांवों में शस्त्र के लाईसेंसधारक नहीं हैं।
- किस-किस मौहल्ले या किस-किस गांव में शस्त्र के लाईसेंस धारक कितने हैं।
- कौन सा मौहल्ला या गांव, जिसमें शस्त्र के लाईसेंस धारक नहीं है थाने से दूर स्थित है।

थाना प्रभारी द्वारा की जानी वाली कार्रवाई

उक्त बिंदुओं की जानकारी के पश्चात थाना प्रभारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए :

- जिन गांव या मौहल्लों में शस्त्र के लाईसेन्स धारक न हो वहां गश्त भेजने की व्यवस्था वरीयता के आधार पर की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे गांव या मौहल्लों में अपराधियों के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता शून्य होती है और अपराध होने की सम्भावना अधिक रहती है।
- जिन गांव या मौहल्लों में शस्त्रधारक न हो वहां पर योग्य लोगों को शस्त्र के लाईसेन्स लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और सहायता भी प्रदान करनी चाहिए।
- गांव सुरक्षा समितियों में शस्त्र के लाईसेन्स धारकों को अवश्य रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- शस्त्र धारकों को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- शस्त्र धारकों के बारे में गोपनीय रूप से यह भी जांच करनी चाहिए कि क्या कोई शस्त्रधारक अपराधियों से संबंध रखता है और शस्त्र या कारतूस उन्हें उपलब्ध कराता है। यदि ऐसी कोई बात सही पाई जाती है तो उन शस्त्रधारकों का लाईसेन्स निरस्त कराने के लिए तथ्यात्मक रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जानी चाहिए। जब कभी कोई व्यक्ति अवैध शस्त्र के साथ पकड़ा जाए तो उससे यह अवश्य ही पूछा जाए कि वह कारतूस कहां से प्राप्त करता है और यदि वह किसी शस्त्रधारक का नाम बताता है तो उसके बयान को आधार बनाकर शस्त्र लाईसेन्स धारक का लाईसेन्स निरस्त कराया जा सकता है।

दंगा नियंत्रण योजना की जानकारी करना

प्रत्येक नव नियुक्त थाना प्रभारी को थाने पर नियुक्त होने के पश्चात जनपद की दंगा नियंत्रण योजना का अध्ययन करके अपने थाने से संबंधित कार्रवाई हेतु उल्लिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेना चाहिए जिससे उसे दंगा होने पर असमंजस की स्थिति का सामना न करना पड़े। थाने से संबंधित दंगा नियंत्रण योजना के महत्वपूर्ण बिंदुओं निम्नलिखित हैं :

- साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील स्थानों की सूची जहां घटना होने पर पिकेट लगाए जाने आवश्यक हैं।
- धार्मिक स्थलों तथा मंदिर व मस्जिद की सूची जहां गश्त/पिकेट की आवश्यकता दंगे के समय रहती है।
- साम्प्रदायिक दंगे में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची।
- साम्प्रदायिक दंगा कराने वालों की सूची।
- सक्रिय अपराधियों की सूची।
- वाच टावर व सर्च लाइट लगाने के स्थानों की सूची।
- छतों पर ड्यूटी लगाने के स्थानों की सूची।
- शस्त्र विक्रेताओं की सूची।
- विस्फोटक सामग्री बेचने वालों की सूची।
- विस्फोटक सामग्री बनाने वालों की सूची।
- फायर हाईड्रेन्ट की सूची।
- अधिकारियों के टेलीफोन व थानों के टेलीफोन नंबरों की सूची।

थाना प्रभारी को दंगे के समय क्या-क्या कार्रवाई करनी आवश्यक है?

- घटना की सूचना मिलते ही कन्ट्रोल रूप को सूचित करना ताकि सभी अधिकारियों को सूचित किया जा सके।
- तत्काल घटनास्थल पर पहुंच कर स्थितियों को नियंत्रित करना।
- मृतकों/घायलों को तत्काल मोरचरी/अस्पताल भेजने की व्यवस्था करना।
- धारा 144 दं.प्र.सं. को प्रसारित कराएंगे व उसका पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराएंगे।
- घटना के दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करेंगे।

- अपराधी तत्त्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे।
- आग्नेयास्त्रों व विस्फोटक पदार्थों की बरामदगी करने का कार्य करेंगे।
- थाने के पुलिस बल को निवास स्थानों से बुलाने की कार्रवाई करेंगे।
- पिकेट व गश्त की व्यवस्था करेंगे, ताकि दंगा फैलने से रुक सके।
- वाच टावर व सर्च लाइट लगवाएंगे।
- छतों पर ड्यूटी लगाएंगे।
- शांति समिति के सदस्यों की सहायता दंगा नियंत्रण में लेंगे।

नोट : थाना प्रभारी के सुलभ संदर्भ हेतु जनपद की दंगा नियंत्रण योजना का विस्तृत विवरण अगले अध्याय में दिया गया है।



अध्याय षष्ठम् जनपद की दंगा नियंत्रण योजना

1. दंगा नियंत्रण योजना किन जनपदों में बनाई जाती है?

यह योजना उन जनपदों में बनाई जाती है जो जनपद सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील होते हैं। इन जनपदों में सांप्रदायिक दंगा छोटी-छोटी घटनाओं के कारण हो सकता है जैसे महिलाओं के साथ छेड़ाखानी, चाकूबाजी, मकान मालिक व किरायेदार का झगड़ा और अपहरण आदि। इस प्रकार के मामले में दंगा एक स्थान से शुरू होकर पूरे शहर में फैल जाता है। दोनों सम्प्रदाय के लोग एक घटना होने के बाद बदले की भावना से घटनाएं करते हैं और दंगा एक भीषण रूप ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के दंगों में जन व धन की हानि होती है और निर्दोष लोगों को इसका शिकार बनाया जाता है। दंगा नियंत्रण योजना इसी प्रकार के दंगे को नियंत्रित करने के लिए तैयार की जाती है।

2. दंगा नियंत्रण योजना बनाने का उद्देश्य

- दंगा होने के प्रारम्भिक काल में त्वरित कार्रवाई करने के लिए।
- दंगों को फैलने से रोकने के लिए।
- अधिकारियों व कर्मचारियों की जानकारी के लिए उन्हें दंगे के बाद क्या-क्या कार्रवाई करनी है।
- अधिकारियों व कर्मचारियों को दंगा क्षेत्र की जानकारी के लिए।
- दंगा नियंत्रण योजना के पूर्व अभ्यास के लिए।
- दंगा नियंत्रण की आवश्यक सामग्री के प्रबंध हेतु व आवश्यक सूचनाओं के संकलन हेतु।

3. दंगा नियंत्रण योजना में निम्नलिखित पुलिस इकाइयों व अधिकारियों के कार्य का समाविष्ट किया जाता है

- **नगर नियंत्रण कक्ष द्वारा की जाने वाली कार्रवाई**
 1. अधिकारियों को घटना की सूचना देना।
 2. कंट्रोल रूम से रिजर्व पुलिस बल को घटना स्थल व संवेदनशील स्थानों पर भेजना।
 3. पेट्रोल कारों व अधिकारियों के लोकेशन का रिकार्ड रखना।
 4. संदेश के आदान-प्रदान को संबंधित अधिकारियों को देना।
- **जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा की जाने वाली कार्रवाई।**
 1. घटनास्थल तत्काल पहुंचना।
 2. स्थिति का मूल्यांकन करना।
 3. स्थिति को नियंत्रित करने हेतु अतिरिक्त पुलिस बल को नियुक्त करने की व्यवस्था करना।
 4. धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कर्फ्यू लगाने का निर्णय लेना व उसके प्रचार की व्यवस्था कराना।
 5. यातायात की दिशा परिवर्तित करने का निर्णय लेना।
 6. वाच टावर व सर्च लाइट लगाने के निर्देश देना।
 7. घटना के दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी करवाना।
 8. साम्प्रदायिक व अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करना।
 9. पिकेट व प्रभावी गश्त की व्यवस्था करवाना।
 10. पुलिस बल के लिए वाहनों की व्यवस्था करवाना।
 11. पुलिस कर्मियों के अवकाश को निरस्त करने का निर्णय लेना।
- **क्षेत्राधिकारी/मजिस्ट्रेटों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई**
 1. घटनास्थल पर तुरंत पहुंच कर स्थिति को नियंत्रित करना।
 2. घटनास्थल से मृतकों/घायलों को मोरचरी/अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था कराना।
 3. दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करना।
 4. अपने सेक्टर में गश्त करना।
 5. धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता की निषेधाज्ञा का पालन सुनिश्चित कराना।
 6. जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आग्नेयास्त्रों व विस्फोटक सामग्री की बरामदगी के लिए तलाशी लिवाने का कार्य करेंगे।

7. वाच टावर व सर्च लाइट स्थापित करना।

● **थाना प्रभारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई**

1. घटना की सूचना मिलते ही तत्काल कन्ट्रोल रूम को सूचित करेंगे।
2. घटनास्थल पर तत्काल पहुंच कर स्थिति को नियंत्रित करेंगे।
3. मृतकों व घायलों को मोरचरी व अस्पताल भेजेंगे।
4. घटना के दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी करेंगे।
5. धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता की निषेधाज्ञा का प्रचार व कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करेंगे।
6. अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे।
7. आग्नेयास्त्रों व विस्फोटक पदार्थ की बरामदगी का कार्य करेंगे।
8. वाच टावर व सर्च लाइट स्थापित करवाएं।
9. पुलिस कर्मियों को उनके निवास स्थान से बुलवाने का कार्य करेंगे।

● **प्रतिसार निरीक्षक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई**

1. समस्त उपस्थित पुलिस बल को कमरबंदी में रखना।
2. समस्त छोटी-बड़ी गाड़ियों को मय ड्राइवर के तैयार रखना।
3. दंगा नियंत्रण योजना लागू होते ही पुलिस बल, टियर गैस स्क्वाड, पी.ए.सी. को निर्धारित स्थानों पर भेजना।
4. पुलिस लाइंस के बाहर रहने वाले पुलिस कर्मियों को उनके घरों से बुलवाना।
5. दंगा नियंत्रण उपकरण जैसे—टार्च, रस्सा, लाउड हेलर आदि को पर्याप्त संख्या में तैयारी की स्थिति रखना।
6. अतिरिक्त पी.ए.सी. व केंद्रीय बलों के रहने की व्यवस्था करना।

● **प्रभारी स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा की जाने वाली कार्रवाई**

1. घटना स्थल पर स्टाफ का तत्काल पहुंचना।
2. घटना का सही विवरण प्राप्त करना।
3. स्थानीय अभिसूचना इकाई के स्टाफ को उनकी बीट में भेजकर साम्प्रदायिक व्यक्तियों/संगठनों की गतिविधियों व महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर अधिकारियों को अवगत कराना।
4. जिला अस्पताल में घायलों व मृतकों के नाम, पते, घटनास्थल के बारे

में जानकारी प्राप्त करके एक रजिस्टर में नोट करेंगे व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक नगर को सूचित करेंगे।

- **मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई**

1. घटना की सूचना मिलते ही प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त अग्निशमन वाहन मय पुलिस बल के रवाना करेंगे।
2. फायर हाईड्रेन्ट्स की सूची सभी अग्निशमन वाहनों में उपलब्ध होगी।

- **दंगा नियंत्रण योजना में निम्नलिखित सूचनाएँ जनपद स्तर की रखी जाती हैं**

1. साम्प्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील स्थान की सूची पिकेट ड्यूटी के लिए।
2. साम्प्रदायिक व्यक्तियों की थानावार सूची।
3. सक्रिय अपराधियों की थानावार सूची।
4. सेक्टर स्कीम।
5. सर्च लाइट व वाच टावर के स्थानों की थानावार सूची।
6. छतों पर ड्यूटी लगाने के स्थानों की थानावार सूची।
7. यातायात की दिशा परिवर्तित करने का विवरण।
8. पब्लिक एट्रेस सिस्टम की उपलब्धता के स्थान।
9. शांति समितियों का कार्य।
10. फायर हाईड्रेन्ट की सूची।
11. शस्त्र विक्रेताओं की सूची।
12. विस्फोटक सामग्री बेचने वालों की सूची।
13. विस्फोटक सामग्री बनाने वालों की सूची।
14. धार्मिक स्थलों की थानावार सूची।
15. अधिकारियों के टेलीफोन नम्बरों की सूची।

●

अध्याय सप्तम्

थाना प्रभारी द्वारा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई

कानून व्यवस्था का अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसमें पुलिस विभाग द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की अवांछनीय गतिविधियों को वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है और आपराधिक घटनाओं की रोकथाम की जाती है। इसीलिए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का कार्य अपराध की रोकथाम की श्रेणी में आता है क्योंकि जब-जब अपराध में वृद्धि होती है, तो लोग सामान्य रूप से कहते हैं कि “कानून एवं व्यवस्था की स्थिति शोचनीय हो गई है” इसी प्रकार जन सुरक्षा, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा, महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा व राज्य की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले कार्य कानून एवं व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। यद्यपि प्रत्येक अपराध से कानून एवं व्यवस्था भंग नहीं होती परंतु कानून द्वारा स्थापित व्यवस्था भंग होने पर अपराध अवश्य होता है। अतः कानून व्यवस्था भंग करने के प्रत्येक कार्य का परिणाम कानून भंग करने में परिणित हो जाए। अतः प्रत्येक थाना प्रभारी को अपनी नवनि्युक्ति के थाने में नियुक्त होने के पश्चात प्रारंभ में ही कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रकरणों की जानकारी कर लेनी चाहिए जिससे पहले से उन प्रकरणों के संबंध में रोकथाम की कार्रवाई की जा सके:

1. कानून व्यवस्था कब सही मानी जाती है, जब :

- स्कूल कालेज में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे।
- उद्योग धंधे ठीक प्रकार चलते रहे।
- त्यौहार शांति पूर्वक संपन्न हो जाएं।
- विभिन्न धर्मावलम्बियों में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे।
- जातिगत विवाद न हो

- विभिन्न राजनैतिक दलों के आंदोलन शांति पूर्वक निबट जाएं।
- बाजार, सिनेमाघर व बस स्टैंड पर उपद्रव न हो
- विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन सुरक्षित रूप से संपन्न हो जाए।
- विभिन्न प्रकार से चुनाव शांति पूर्ण संपन्न हो जाए।
- आम आदमी अपने को सुरक्षित महसूस करें।

2. थाना स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता और कानून व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले प्रकरण

प्रत्येक थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में कानून व्यवस्था भंग होने के विभिन्न कारण थाना क्षेत्र में मौजूद रहते हैं। यदि इन कारणों को समय रहते चिन्हित कर लिया जाए और निरोधात्मक कार्रवाई पहले से कर ली जाए तो कानून व्यवस्था भंग करने से बचायी जा सकती है। कानून-व्यवस्था को भंग करने के सामान्य रूप से प्रकाश में आए प्रकरण निम्नवत हैं :

1. साम्प्रदायिकता से संबंधित मामले।
2. राजनैतिक आंदोलन।
3. छात्र आंदोलन।
4. श्रमिक आंदोलन।
5. किसानों के आंदोलन।
6. संपत्ति (जमीन और मकान) के विवाद।
7. गुंडों का आतंक।
8. त्यौहारों पर होने वाले उपद्रव।
9. आम जनता की सुरक्षा के मामले।
10. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा।
11. महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा।

3. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लाभ

थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रकरणों को पुलिस यदि समय रहते चिन्हित करके यदि कार्रवाई कर लेती है, तो उसे निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकते हैं :

- पुलिस अपराध नियंत्रित करने में सफल हो जाएगी।
- विवेचना का कार्य कम हो जाएगा।

- आम जनजीवन व्यवस्थित रहेगा।
- लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाएगी।
- पुलिस के प्रति लोगों में विश्वास उत्पन्न हो जाएगा।
- पुलिस को जन सहयोग प्राप्त होगा।

4. कानून व्यवस्था में थाना की बीट, गश्त, गाड़ाबंदी (Picketing) एवं निगरानी का योगदान

थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना पूर्ण रूप से थाना प्रभारी का दायित्व है। इस कार्य को ठीक प्रकार से कराने के लिए थाने के पूर्व क्षेत्र को बीट्स में बांटना, थाने की प्रत्येक बीट में पुलिस गश्त को भेजना, थाना क्षेत्र में बीटवार संवेदनशील स्थानों पर पुलिस पिकेट लगाना व उपद्रव करने वाले विभिन्न लोगों की गतिविधियों पर गोपनीय रूप से निगरानी करना अति आवश्यक है क्योंकि इन सभी कार्यों से उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र को व उपद्रव करने वालों को चिन्हित किया जा सकता है, और उनके विरुद्ध समय रहते रोकथाम की कार्रवाई करके कानून व्यवस्था को भंग होने से बचाया जा सकता है। इन सभी पुलिस कार्यों के योगदान पर नीचे अलग से विवरण दिया जा रहा है जिनको ध्यान में रखकर थाना प्रभारी को अपने थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त, गाड़ाबंदी व निगरानी की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

1. थाने की बीट्स का कानून व्यवस्था में योगदान

पूरा थाना क्षेत्र शहर में चौकियों में बंटा होता है और चौकियां बीट्स में बंटी होती है। प्रत्येक बीट में चार पांच मौहल्ले होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के थानों में पूरा थाना क्षेत्र चार या पांच बीट में बंटा होता है और प्रत्येक बीट में 10 से 15 तक गांव होते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि थाना क्षेत्र का बीट सबसे छोटा कार्य क्षेत्र है। प्रत्येक बीट में कार्य करने के लिए 3-4 पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया जाता है। इससे पुलिस कर्मियों को कार्य करने में सुविधा भी होती है और उनका उत्तरदायित्व भी निश्चित किया जा सकता है।

कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में प्रत्येक बीट से नियुक्त कर्मचारियों के माध्यम से कानून व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाली निम्न सूचनाएं एकत्र कराई जा सकती है :

- आम जनता के विभिन्न मामलों से संबंधित संभावित झगड़ों के बारे में।
- साम्प्रदायिक तनाव के बारे में।

- छात्रों के आंदोलन के बारे में।
- श्रमिकों के आंदोलन के बारे में।
- त्यौहारों पर होने वाले संभावित उपद्रव के बारे में।
- वी.आई.पी. के आगमन के समय संभावित उपद्रव के बारे में।
- किसी अपराधिक घटना को लेकर संभावित धरना प्रदर्शन के संबंध में।
- राजनैतिक आंदोलन के संबंध में।
- आवश्यक सेवाओं (बिजली, पानी आदि) की आपूर्ति न होने के कारण जन आंदोलन के संबंध में।
- चुनाव के समय संभावित झगड़े के बारे में।

क. इन सूचनाओं की बीटवाइज उप निरीक्षक पुलिस की जांच कराकर कानून व्यवस्था भंग होने से रोकने के लिए आवश्यक रोकथाम की कार्रवाई की जा सकती है।

ख. विभिन्न वर्गों से विचार विमर्श करके झगड़ों को निपटाया जा सकता है अथवा समस्या का हल निकाला जा सकता है।

ग. आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में संबंधित विभाग से वार्ता की जा सकती है।

घ. शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 144 दं.प्र.सं. के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करवा कर सार्वजनिक स्थान पर सभा करने, जुलूस निकालने या धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगवाई जा सकती है।

ङ. विभिन्न प्रकार के उपद्रवों से निपटने के लिए दंगा नियंत्रण योजना का अभ्यास किया जा सकता है व अतिरिक्त बल की व्यवस्था की जा सकती है।

2. कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस गश्त का योगदान

गश्त में पुलिस दिन व रात में गतिशील रहकर थाने क्षेत्र में चौकसी बरतती है जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे और लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। शांति व्यवस्था बनाए रखने में गश्त के द्वारा पुलिस थाना क्षेत्र की विभिन्न बीट्स में निम्न कार्य करती है—

- यातायात को व्यवस्थित करती है।
- स्कूल कालेज के बाहर गुंडागर्दी को रोकती है।
- सिनेमाघरों पर, रोडवेज पर व शराब की दुकानों पर झगड़ों की रोकथाम करती है।

- बाजारों में आपसी मारपीट, उठाईगिरी व लूट की घटनाओं पर नियंत्रण लगाती है।
- सभाओं और जुलूसों का समुचित प्रबंध करती है ताकि कानून व्यवस्था कायम रहे।

3. पुलिस गाडाबंदी (Picketing) का कानून व्यवस्था बनाए रखने में योगदान

प्रत्येक थाना क्षेत्र में थाना पुलिस द्वारा कुछ संवेदनशील व महत्वपूर्ण चौराहों, मोहल्लों, संस्थानों एवं व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु पिकेट लगाए जाते हैं। पिकेट ड्यूटी में नियुक्त पुलिसकर्मी किसी निश्चित स्थान पर बैठकर उस स्थान विशेष या व्यक्ति की सुरक्षा का कार्य करता है। इस प्रकार की पिकेट व्यवस्था के द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने में काफी सहायता प्राप्त होती है।

पुलिस पिकेट कानून व्यवस्था की दृष्टि से प्रायः निम्न स्थानों पर लगाए जाते हैं :

- साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील चौराहों पर या मोहल्लों में।
- स्कूल कालेज के बाहर।
- बैंकों के बाहर।
- महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे—टेलीफोन एक्सचेंज, बिजली घर, रेलवे ब्रिज आदि।
- शहर से बाहर जाने वाले मार्गों पर।
- महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आगमन के समय हैलीपैड पर, सभा स्थल पर व निवास स्थान पर।

4. कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की निगरानी का योगदान

पुलिस में निगरानी करने से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर गोपनीय दृष्टि रखना और उसके द्वारा की जाने वाली अवैधानिक गतिविधियों का पता लगाना। थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था भंग करने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों पर आवश्यकतानुसार निगरानी की जाती है जिससे उनकी भावी गतिविधियों का पता लग सके और उन लोगों को उपद्रव करने से रोका जा सके। पुलिस निगरानी द्वारा निम्न व्यक्तियों की निगरानी कानून व्यवस्था के संबंध में प्रायः की जाती है।

- साम्प्रदायिक व्यक्तियों की।

- राजनैतिक व्यक्तियों की
- छात्र नेताओं की
- श्रमिक नेताओं की
- किसानों के नेताओं की
- क्रियाशील अपराधियों की
- स्थानीय गुन्डों की

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी से लाभ

- उपद्रव करने वाले लोगों की भावी योजनाओं की जानकारी की जा सकती है।
- उन्हें शांति बनाए रखने के लिए पाबंद जमानत मुचलका कराया जा सकता है।
- उन्हें धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करवा कर उनको सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने से रोका जा सकता है।
- उन्हें गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जनपद से निष्कासित कराया जा सकता है।
- उन्हें धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता में बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है।

●

अध्याय अष्टम्

कानून व्यवस्था बनाए रखने में जनता की भागीदारी की आवश्यकता व थाना प्रभारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

थाना प्रभारी को अपने थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था से संबंधित विभिन्न अवसरों पर जन सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि जन सहयोग प्राप्त हो जाता है, तो समस्याओं का निराकरण भी होता है और पुलिस के कार्य व आचरण के संबंध में आलोचना भी नहीं होती है। जन सहयोग न मिलने के कारण लोगों के मन में पुलिस के कार्यों के प्रति भ्रांतियां उत्पन्न होती है और विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। कानून व्यवस्था संबंधी निम्न अवसरों पर जन सहयोग प्राप्त हो जाने के कारण स्थिति नियंत्रण में रहती है और लोगों को अनावश्यक रूप से कुछ कहने का कोई मुद्दा नहीं मिल पाता है।

जनता का सहयोग प्राप्त करने के विषय

थाना प्रभारी को विभिन्न प्रकार के शांति व प्रशांति भंग की सूचना प्राप्त करने के संबंध में जन सहयोग प्राप्त करना :

थाना पुलिस को विभिन्न प्रकार के शांति प्रशांति भंग के मामलों में पूर्व सूचनाओं की आवश्यकता होती है जिससे वह समय रहते निरोधात्मक कार्रवाई करके संभावित हिंसात्मक कार्रवाई को रोक सकें। यह सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जनता का सहयोग अति आवश्यक है क्योंकि संभावित झगड़ों की सूचनाएं लोगों के पास होती है परंतु पुलिस से आपसी तालमेल न होने के कारण सूचना पुलिस तक नहीं पहुंच पाती है। थाना प्रभारी को निम्न प्रकार की पूर्व सूचनाओं की आवश्यकता होती है :

1. थाना क्षेत्र में लोगों के दो पक्षों, राजनैतिक दलों या विभिन्न संप्रदाय के लोगों में बलवा होने की संभावना की सूचना।

2. समाज के किसी वर्ग द्वारा शासन या प्रशासन के विरुद्ध किसी प्रकार के उपद्रव करने की योजना बनाने के संबंध में सूचना।
3. किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों द्वारा विभिन्न सम्प्रदायों में शत्रुता उत्पन्न करने के लिए प्रयास करने के संबंध में सूचना।
4. किसी कालेज या विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा हिंसक आंदोलन करने की योजना के संबंध में।
5. श्रमिक वर्ग द्वारा उद्योगपतियों के विरुद्ध हिंसक आंदोलन करने की तैयारी के संबंध में सूचना।
6. अवैधानिक भीड़ को तितर वितर करने व गिरफ्तार करने में जनसहयोग प्राप्त करना।
7. अभियुक्त की गिरफ्तारी में जनसहयोग प्राप्त करना।
8. किसी मकान की तलाशी में जनसहयोग प्राप्त करना।
9. त्यौहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में जनसहयोग प्राप्त करना।
10. बड़े मेलों में व्यवस्था हेतु जनसहयोग प्राप्त करना।
11. मेले में बड़ी संख्या में आए लोगों की आवागमन की सुचारु व्यवस्था के लिए जिससे वह दब कर घायल न हो अथवा मरे न।
12. नदी में स्नान के स्थान पर गहरे पानी को बताने के लिए चिन्ह लगाना जिससे कोई डूबने न पाए।
13. मेले में आई भीड़ का आवश्यकतानुसार मार्ग परिवर्तन करने के लिए जिससे कोई दुर्घटना न हो।
14. साम्प्रदायिक तनाव को सुलझाने में जनसहयोग की आवश्यकता।
15. साम्प्रदायिक दंगा होने के बाद पुनः शांति स्थापित करने में जनसहयोग की आवश्यकता।
16. ग्रामीण क्षेत्र में निवासियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जनसहयोग की आवश्यकता।
17. शहर में सुचारु यातायात व्यवस्था में जनसहयोग की आवश्यकता।
18. किसी थाना क्षेत्र में साम्प्रदायिक दंगा होने के बाद विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में जनसहयोग की आवश्यकता।
19. किसी कानून व्यवस्था की घटना में साक्षी के रूप में जनसहयोग की आवश्यकता।

थाना पुलिस को जनसहयोग क्यों नहीं मिलता ?

वर्तमान समय में यह देखने में आया है कि थाना पुलिस को उक्त मामलों में अपेक्षित जनसहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ कि निम्न कारणों से जनता का सहयोग या जनता की भागीदारी कानून व्यवस्था में नहीं हो पा रही है।

1. थाना पुलिस और जनता में स्वस्थ वार्तालाप का अभाव।
2. थाना पुलिस का लोगों के साथ त्यौहारों और उत्सवों पर सामाजिक स्तर पर मिलना-जुलना नहीं हो पा रहा है।
3. आम जनता का थाना पुलिस पर निम्नलिखित कारणों से विश्वास नहीं है—जिस कारण जनसहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है।
 - थाना पुलिस द्वारा अपराध की घटनाओं में कार्रवाई में विलम्ब करना।
 - थाना पुलिस द्वारा अपराध की घटना की कार्रवाई में पक्षपात करना।
 - निर्दोष लोगों को फर्जी मुकदमों में बंद करना।
 - आवश्यकता पड़ने पर लोगों की सहायता न करना।
4. थाना प्रभारी के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार न करना।

थाना प्रभारी को जनसहयोग प्राप्त करने के लिए क्या करना आवश्यकता है?

जनसहयोग की आवश्यकता और महत्व को ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारी को निम्न बातों को ध्यान में रखकर प्रारंभ में ही कार्य करना चाहिए जिससे अपेक्षित जनसहयोग प्राप्त होने का वातावरण तैयार हो सके।

1. थाना क्षेत्र में शांति समिति गठित की जाए और उसकी गोष्ठी समय समय पर करते रहना चाहिए जिससे समाज के विभिन्न वर्गों का संपर्क पुलिस से होता रहे और विद्यमान समस्याओं पर चर्चा हो सके व उनका हल खोजा जा सके।
2. कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रकरणों व उनसे संबंधित व्यक्तियों की सूचनाएं देने के लिए लोगों से अपील की जाए और उन्हें विश्वास दिलाया जाए कि उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा।
3. प्राप्त सूचनाओं की तत्काल जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
4. ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक गांव में ग्राम सुरक्षा समितियों को पुनर्गठित किया जाए और समय समय पर उनके साथ गोष्ठी करके उनकी समस्याओं को सुना जाए व उन पर कार्रवाई की जाए।

5. सूचना देने वालों की आवश्यकता पड़ने पर सहायता की जाए।
6. थाना पुलिस अपना व्यवहार आम लोगों के साथ अच्छा रखे जिससे आम लोगों का विश्वास प्राप्त किया जा सके।



अध्याय नवम्

नव नियुक्ति के स्थान पर थाना प्रभारी द्वारा मानवाधिकार के संरक्षण के संबंध में किए जाने वाले कार्य

मानवाधिकार का विषय वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण व संवेदनशील है। यदि एक छोटी-सी घटना मानवाधिकार के उल्लंघन की थाने में या पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में हो जाती है, तो थाना प्रभारी के लिए एक समस्या की स्थिति उत्पन्न हो सकती है इसलिए प्रत्येक थाना प्रभारी को प्रारंभ में ही अपने अधीनस्थों को मानवाधिकारों के उल्लंघन से विरत रहने का सख्त निर्देश दिया जाना चाहिए। यदि किसी अधीनस्थ पुलिसकर्मी के द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन का प्रकरण प्रकाश में आता है और जांच में सही पाया जाता है तो तत्काल उचित दंडनीय कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा न करने से भी थाना प्रभारी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है क्योंकि गलत पुलिसकर्मियों का हौसला इससे बढ़ेगा और वह गलत कार्य करने में प्रसन्न रहेंगे।

मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले

मानवाधिकार के उल्लंघन के प्रमुख मामले निम्नलिखित हो सकते हैं जिनका सामना एक थाना प्रभारी को करना पड़ता है।

- किसी व्यक्ति को थाना/चौकी पर अवैधानिक रूप से अभिरक्षा में रखना।
- किसी संदिग्ध या अभियुक्त को गिरफ्तारी के बाद थाना/चौकी में यातनाएं देना।
- किसी अभियुक्त या संदिग्ध का सिर मुडवाकर या मुंह काला करके थाने के गेट पर खड़ा करना।
- महिलाओं के साथ अभिरक्षा में होते हुए बलात्कार करना या छेड़छाड़ करना।

- पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त/संदिग्ध की मृत्युकारित करना।
- पुलिस अभिरक्षा में दुर्व्यवहार के कारण किसी अभियुक्त द्वारा आत्महत्या कर लेना।
- फर्जी मुठभेड़ दिखाकर हत्या करना।
- गिरफ्तारी में आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करना।
- अभिरक्षा में अभियुक्त को भूखा व प्यासा रखना।
- घायल अभियुक्त का उपचार न कराना।
- जमानतीय अपराध में जमानत मांगने पर न देना।
- गिरफ्तारी का कारण न बताना।

मानवाधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिए थाना प्रभारी द्वारा निम्नलिखित उपाय करने चाहिए

- अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी व कर्मचारी को यह बात स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिए कि उनके गलत कार्यों के लिए कोई सहायता थाना प्रभारी नहीं देंगे। यदि वह विधि का उल्लंघन करते हैं तो वह स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे।
- थाना प्रभारी को अपने अधीनस्थों के कार्यों पर निकट दृष्टि रखनी चाहिए जिससे वह मानवाधिकार का उल्लंघन न कर सकें। उन्हें स्वच्छंद रूप से कार्य न करने दिया जाए क्योंकि उनके कार्यों का प्रभाव थाने की कार्यशैली पर पड़ता है।
- थाना प्रभारी को अपने अधीनस्थ स्टाफ को समय समय पर मानवाधिकारों के उल्लंघन में दोषी पाए गए पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से अवगत कराते रहना चाहिए जिससे वह मानवाधिकार के उल्लंघन से दूर रह सकें।
- अपने अधीनस्थों को पूछताछ में तैयारी करने व वैज्ञानिक साधनों के उपयोग करने की बात बताकर वैधानिक उपायों के प्रयोग पर बल देना चाहिए। अपने अधीनस्थों को यह बात स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए कि मारपीट करने पर किसी अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है, तो कोई इसे सही कार्य की संज्ञा नहीं देगा और कोई उन पुलिस कर्मियों की सहायता करने को तैयार नहीं होगा।
- थाने में पूछताछ के लिए लाए गए व्यक्तियों का उल्लेख थाने की जनरल डायरी में करके उनकी अभिरक्षा का औचित्य दर्शाया जा सकता है। यदि

पूछताछ के बाद वह अभियुक्त की स्थिति में आता है तो जनरल डायरी में इसकी गिरफ्तारी का वर्णन लिखा जाए और यदि वह अपराधी स्थिति में नहीं पाया जाता है तो जनरल डायरी में लिखा-पढ़ी करके उसे छोड़ दिया जाए।

- थाने के पुलिस कर्मियों को बताया जाए कि उन्हें मानवाधिकार के संरक्षक की भूमिका निभानी है अन्यथा सेवानिवृत्ति होने के बाद वह भी अपने मानवाधिकार में किसी थाने की पुलिस द्वारा वंचित किए जा सकते हैं।
- यदि समय रहते पुलिस की सोच में परिवर्तन नहीं किया जाता तो पुलिस को समाज की जनता का सम्मान प्राप्त नहीं हो पाएगा व जनता पुलिस पर न तो विश्वास करेगी ना ही सहयोग प्रदान करेगी। आज भी सामान्य रूप से लोग पुलिस के पास जाने से संकोच करते हैं व पुलिस की असफलता का यह बहुत बड़ा कारण है।
- थाना प्रभारी को अपनी व अपने अधीनस्थों की कार्य क्षमता को बढ़ाने का कार्य करना होगा तभी पुलिस प्रभावी रूप से अपने अपराध निवारण व विवेचना के कार्य में सफल हो पाएगी।

●

अध्याय दशम्

थाना प्रभारी का मीडिया (समाचार पत्र व टी.वी. चैनल) के संवाददाताओं के संबंध में की जाने वाली जानकारी व व्यवहार

थाना प्रभारी को अपनी प्रत्येक नवनियुक्ति के स्थान पर मीडिया के संवाददाताओं से निकट संपर्क बनाए रखना चाहिए क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त समाचारों से लोग पुलिस के कार्यों के बारे में अपना मत बनाते हैं। इन समाचार पत्रों व टी.वी. चैनलों के माध्यम से संवाददाताओं की पहुंच जनता तक बनी हुई है। इसलिए थाना प्रभारी को भी नवनियुक्ति के स्थान पर प्रारंभिक कुछ दिनों में ही निम्नलिखित कार्य कर लेने चाहिए :

1. थाना क्षेत्र में कार्यरत समाचार पत्रों व टी.वी. चैनलों के संवाददाताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना

थाना प्रभारी को अपने थाना क्षेत्र में निवास करने वाले या समाचार एकत्र करने के लिए नियुक्त विभिन्न समाचार पत्रों व टी.वी. चैनलों के संवाददाताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए जिसमें दैनिक समाचार पत्र व साप्ताहिक समाचार पत्र के संवाददाताओं को सम्मिलित किया जा सकता है। इन संवाददाताओं के नाम, पते व टेलीफोन नंबर नोट करके रखे जाने चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके।

2. थाना क्षेत्र में अपराधी घटना के संबंध में तथ्यों की सूचना देना

थाना प्रभारी को इन संवाददाताओं को अपने थाना क्षेत्र में घटित आपराधिक और कानून व्यवस्था संबंधी घटनाओं के तथ्यों की सूचनाएं प्राप्त साक्ष्य के आधार पर उपलब्ध करानी चाहिए अन्यथा सूचनाओं के अभाव में उनके द्वारा मनमाने तरीके से समाचार प्रकाशित कर दिया जाएगा। इन्हें संदिग्ध अभियुक्तों और अपनी भावी

योजनाओं के बारे में कोई बात न बताई जाए क्योंकि इससे पकड़े जाने वाले अपराधी को पुलिस की कार्रवाई का पूर्वानुमान हो जाएगा और पुलिस को उसकी गिरफ्तारी में कठिनाई हो सकती है। इनको कोई ऐसी बात नहीं बताई जानी चाहिए जिसको सिद्ध न किया जा सके।

3. संवाददाताओं को मिलने में वरीयता दी जाए

यदि कोई संवाददाता थाना प्रभारी से मिलने आया तो उनसे मिलने में कोई अनावश्यक विलंब न किया जाए और जहां तक संभव हो उनसे वरीयता के आधार पर मिला जाए और उन्हें अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए। थाना प्रभारी प्रारंभिक काल में ही संवाददाताओं से मिलने का समय नियत कर सकते हैं जिससे संवाददाताओं से मिलने के लिए वह उपलब्ध रह सके।

4. संवाददाताओं के साथ वार्ता करते समय शांत व धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं

थाना प्रभारी या उनके द्वारा नियुक्त उप निरीक्षक पुलिस को संवाददाताओं से बातचीत करते समय धैर्यपूर्ण व शांत भाव रखना चाहिए और उत्तेजित होने व विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। कभी-कभी कोई संवाददाता थाना पुलिस की त्रुटियों का उल्लेख करते हुए पुलिस कार्य की आलोचना कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। ऐसे अवसर पर भी शांत भाव से उत्तर देना चाहिए और चेहरे पर क्रोध का भाव नहीं लाना चाहिए क्योंकि संवाददाता को पुलिस कार्यों के संबंध में सवाल पूछने का अधिकार प्राप्त है।

5. संवाददाताओं को उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं

थाना प्रभारी को अपनी नियुक्ति के दौरान यह ध्यान रखना चाहिए कि वह संवाददाताओं को थाने पर उचित सुविधाएं उपलब्ध कराएं जैसे बैठने का स्थान व जल की व्यवस्था आदि। थाना प्रभारी को अपनी ख्याति के प्रचार-प्रसार में उन्हें अनुचित सुविधाएं उपलब्ध कराकर अपने उत्तराधिकारी के लिए कठिनाईयां उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। अनुभव में यह आया है कि कुछ थाना प्रभारियों ने मीडिया के संवाददाताओं को अपनी ख्याति के प्रचार-प्रसार के लिए इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराई कि उनके उत्तराधिकारी द्वारा उतनी सुविधाएं उपलब्ध न कराने पर उन संवाददाताओं के कोप का भाजन बनना पड़ा।

6. थाना क्षेत्र के बारे में प्रकाशित समाचारों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना

यदि किसी समाचार पत्र का संवाददाता अपने समाचार पत्र में थाना क्षेत्र में अपराध के बढ़ने या कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने के संबंध में कोई समाचार प्रकाशित करवाता है तो थाना प्रभारी को इस प्रकार के समाचार से बहुत ज्यादा प्रभावित न होकर व उसे अपनी आलोचना न समझ कर उसे एक सूचना के रूप में लेना चाहिए व उसकी जांच की जानी चाहिए। यदि सूचना सही पाई जाती है, तो थाना प्रभारी को उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए जिससे स्थिति ठीक हो सके।

7. किसी संवाददाता से कठिनाई होने पर की जाने वाली कार्रवाई

यदि किसी थाना प्रभारी को किसी संवाददाता के क्रिया कलापों से अपने कार्य में कठिनाई का अनुभव हो रहा हो तो उस प्रकारण को जनपद के पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाया जाना चाहिए और उस संवाददाता से उलझने या बहस करने से बचना चाहिए। जनपद के पुलिस अधीक्षक समाचार पत्र के संपादक से उस संवाददाता के बारे में बात कर सकते हैं अथवा प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया (पीटीआई) को उस संवाददाता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु लिख सकते हैं।



अध्याय ग्यारह

थाने के उप निरीक्षक पुलिस को नव नियुक्ति के समय क्या-क्या करना आवश्यक है?

थाने पर कार्य के भार के अनुसार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस नियुक्त होते हैं। कुछ उप निरीक्षक ना.पु. थाने की विभिन्न चौकियों पर प्रभारी के रूप में नियुक्त होते हैं व कुछ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक की सहायता के लिए उनके साथ चौकी पर नियुक्त किए जाते हैं। यदि थाने में ग्रामीण क्षेत्र है, तो बीटवाइज (हलकेवार) उप निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। सभी उप निरीक्षक पुलिस अपनी चौकी या अपनी बीट के क्षेत्र के अपराध नियंत्रण एवं घटित अपराधों की विवेचना के लिए थाना प्रभारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इन दोनों कार्यों के कुशल संपादन हेतु नव नियुक्त उप निरीक्षक को निम्न कार्य प्रारंभ में ही कर लेने चाहिए जिससे उसे संबंधित क्षेत्र के कार्यों के बारे में जानकारी हो जाए और आवश्यक कार्रवाई करके अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन कर सकें। थाना प्रभारी को भी निम्न बिंदुओं की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह अपने अधीनस्थ उप निरीक्षकों की जानकारी व कार्यों के सम्पादन का सफल सम्पादन कर सकें।

1. अपने प्रभार के क्षेत्र की जानकारी करना

उप निरीक्षक पुलिस चाहे चौकी पर नियुक्त हो या देहात की किसी बीट का प्रभारी हो, उसे अपने प्रभार के क्षेत्र की जानकारी निम्न बिंदुओं पर कर लेनी चाहिए :

- उसकी चौकी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में कितने मौहल्ले/गांव हैं।
- उसके क्षेत्र में मुख्य धार्मिक स्थल कहां-कहां है।
- उसके क्षेत्र में सिनेमाघर कहां-कहां हैं और उनके दूरभाष नंबर।
- उसके क्षेत्र में बाजार कहां-कहां लगते हैं।
- उसके क्षेत्र में बैंक कहां-कहां हैं।
- उसके क्षेत्र में संवेदनशील मौहल्ले/चौराहे अथवा गांव कौन-कौन से हैं।

- उसके क्षेत्र में औद्योगिक स्थल कहां-कहां हैं।
- उसके क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैंड/टैक्सी स्टैंड कहां-कहां पर स्थित हैं।
- उसके क्षेत्र में सरकारी शराब की दुकानें कहां-कहां स्थित हैं।
- उसके क्षेत्र में निरीक्षण भवन कहां-कहां है और उनके दूरभाष नंबर।

2. अपने प्रभार क्षेत्र के अपराध की जानकारी करना

नव नियुक्त उप निरीक्षक को अपनी चौकी/ग्रामीण क्षेत्र के अपराध की जानकारी निम्न बिंदुओं पर अभिलेखों के आधार पर कर लेनी चाहिए :

- किस प्रकार का अपराध उस क्षेत्र में अधिक हो रहा है।
- क्षेत्र का कौन सा भाग अपराध से अधिक प्रभावित है।
- किस प्रकार के लोग अपराध में सक्रिय हैं।
- अपराधियों का आयु वर्ग क्या ज्ञात हुआ है।
- अपराध घटित होने का लगभग समय क्या है।

यह जानकारी करने के बाद उप निरीक्षक पुलिस अपने क्षेत्र में अपराध की रोकथाम हेतु योजना बनाकर थाना प्रभारी से विचार-विमर्श करने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

3. प्रभार क्षेत्र में साम्प्रदायिक अथवा जातिगत झगड़ों की जानकारी करना

उप निरीक्षक पुलिस को अपने प्रभार क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साम्प्रदायिक/जातिगत झगड़ों की स्थिति की निम्न जानकारी करके उनके समाधान हेतु सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि स्थिति की जानकारी न होने और समय रहते कार्रवाई न करने के कारण यह समस्या विस्फोटक हो सकती है।

- कौन-कौन से मौहल्ले/गांव साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील है।
- किन-किन मौहल्ले/गांव में पहले साम्प्रदायिक घटना हुई है।
- कौन-कौन लोग साम्प्रदायिक/जातिगत झगड़ों में भाग लेते हैं।
- कौन-कौन लोग इस प्रकार के झगड़ों को प्रोत्साहन देते हैं।
- क्या इस प्रकार की कोई समस्या वर्तमान में चल रही है।

यह जानकारी प्राप्त करने के बाद उप निरीक्षक पुलिस अपने क्षेत्र में होने वाले साम्प्रदायिक/जातिगत झगड़ों पर नियंत्रण लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई थाना प्रभारी से विचार-विमर्श करके कर सकता है। थाना प्रभारी को भी इन बिन्दुओं के संबंध में उप निरीक्षक पुलिस से निरंतर वार्ता करते रहना चाहिए, जिससे थाना

प्रभारी की जानकारी भी अद्यावधिक रह सके।

4. प्रभार क्षेत्र होने वाली अवैधानिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना

नव नियुक्त उप निरीक्षक पुलिस को अपने प्रभार क्षेत्र में होने वाली निम्न अवैधानिक गतिविधियों की जानकारी प्रारंभ में ही कर लेनी चाहिए जिससे उन पर अंकुश लगाया जा सके।

- प्रभार क्षेत्र में जुआ, सट्टा होने के बारे में।
- प्रभार क्षेत्र में अवैध शराब बनाने व बेचने के बारे में।
- प्रभार क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री के बारे में।
- प्रभार क्षेत्र में अवैध शस्त्रों के बनाने व बेचने के बारे में।
- प्रभार क्षेत्र में चल रहे वेश्यालयों के बारे में।
- प्रभार क्षेत्र में चोरी का माल खरीदने वालों के बारे में।

यह जानकारी प्राप्त करने के उपरांत उप निरीक्षक पुलिस को इन अवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने हेतु थाना प्रभारी से विचार-विमर्श करने के उपरांत प्रभावी कार्रवाई अपने क्षेत्र में करनी चाहिए। थाना प्रभारी को भी उप निरीक्षक पुलिस से उक्त बिन्दुओं पर बातचीत करते रहना चाहिए और इन अवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए निरंतर अपराधियों के ठिकाने पर दबिश देने की कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे इस प्रकार के अपराधी अपनी गतिविधियों से विरत हो सके।

5. प्रभार क्षेत्र के कर्मचारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना

उप निरीक्षक चौकी या देहात क्षेत्र को अपने कर्मचारियों के बारे में निम्न जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिससे आवश्यक कार्रवाई की जा सके :

- कर्मचारियों का नियतन कितना है।
- कितने कर्मचारी नियुक्त हैं।
- कितने कर्मचारी चौकी बैरक में रहते हैं।
- कितने कर्मचारी मकान लेकर मौहल्लों में रह रहे हैं, उनका पूरा पता और दूरभाष नंबर।
- उनको अपनी बीट की जानकारी है या नहीं।
- वह अपनी बीट में जा रहे हैं अथवा नहीं।
- उनके पास बीट बुक है या नहीं।

- उन कर्मचारियों में कोई शराब पीने का आदी तो नहीं है
- बीट सूचना लाने का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है या नहीं।
- उनको शासकीय कार्य में किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है।

यदि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध में कोई असामान्य बात ज्ञात होती है, तो उसको थाना प्रभारी के संज्ञान में तत्काल लाया जाना चाहिए जिससे आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

6. अपने प्रभार क्षेत्र के संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करना

नव नियुक्त उप निरीक्षक पुलिस को अपने प्रभार क्षेत्र से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करके यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके क्षेत्र की सूचना संबंधित अभिलेखों में दर्ज हो रही है या नहीं? चौकी प्रभारी उप निरीक्षक को अपनी चौकी पर रखे जाने वाले निम्न अभिलेखों का निरीक्षण कर लेना चाहिए :

- चौकी क्षेत्र का अपराध रजिस्टर अद्यावधिक है या नहीं।
- चौकी क्षेत्र की बीट सूचना का रजिस्टर बना है या नहीं, यदि बना है, तो उसमें सूचनाएं कर्मचारियों द्वारा अंकित कराई जा रही है या नहीं।
- कर्मचारियों का ड्यूटी रजिस्टर में यह चैक करने की आवश्यकता है कि कर्मचारियों की ड्यूटी निष्पक्षता से लगाई जा रही हैं या नहीं।
- सेक्शन बोर्ड पूर्ण है या नहीं, यदि पूर्ण नहीं है, तो उसे पूर्ण कराए जिससे एक दृष्टि में पूरी चौकी क्षेत्र के बीट पर आकर कर्मचारियों की जानकारी हो सकती है।

यदि चौकी के प्रभारी उप निरीक्षक को चौकी पर रखे जाने वाले अभिलेखों के संबंध में किसी त्रुटि का पता चलता है, तो उसको तत्काल अपने स्तर से ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। थाना प्रभारी को भी अपने थाना क्षेत्र की चौकियों पर जाकर उक्त बिंदुओं पर उल्लिखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए और यदि कोई त्रुटि पाई जाए तो उसको पूर्ण कराने हेतु समुचित निर्देश दिए जाने चाहिए।

7. प्रभार क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों की जानकारी करना और उनसे संपर्क करना

उप निरीक्षक पुलिस को अपने प्रभार क्षेत्र में रहने वाले मुख्य-मुख्य संभ्रांत लोगों से नव नियुक्ति के बाद प्रारंभ में ही समय निकाल कर संपर्क कर लेना चाहिए

और उनसे संबंध में निम्न जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके :

- चौकी क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख राजनीतिज्ञों के नाम, पते एवं दूरभाष नंबर की जानकारी करना।
- चौकी क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख समाज सेवी व्यक्तियों के नाम, पते एवं उनके दूरभाष नंबर की जानकारी करना।
- चौकी क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख समाज सेवा संस्थाओं जैसे रोटरी क्लब/ लायंस क्लब आदि के प्रमुख पदाधिकारियों के नाम, पते एवं दूरभाष नंबर की जानकारी करना।

थाना प्रभारी को प्रत्येक चौकी पर संप्रदांत व्यक्तियों की एक गोष्ठी समय-समय पर करते रहना चाहिए। इस कार्य में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक का सहयोग प्राप्त करना चाहिए और संप्रदांत व्यक्तियों के साथ निरंतर संपर्क रखने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, जिससे समय-समय पर कानून व्यवस्था के मामले में उनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

8. दंगा नियंत्रण योजना की जानकारी करना

प्रत्येक चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक को दंगा नियंत्रण योजना का अध्ययन कर लेना चाहिए और अपनी चौकी के क्षेत्र में उन स्थानों की जानकारी कर लेनी चाहिए, जिन स्थानों पर दंगों के समय पुलिस बल को नियुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उपनिरीक्षक पुलिस को उन लोगों की जानकारी कर लेनी चाहिए, जो उसकी चौकी क्षेत्र में निवास करते हैं और दंगा करने में या दंगा कराने में सक्रिय भाग लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत उन स्थानों की जानकारी भी कर लेनी चाहिए, जहां पर वाच टावर या सर्च लाईट दंगे के समय लगाने की आवश्यकता हो।

थाना प्रभारी को अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके साथ कार्य करने वाले सभी उपनिरीक्षक पुलिस को दंगा नियंत्रण योजना उनके स्तर से उपलब्ध कराई जाए।

●

अध्याय बारह

थाने के प्रधान लेखक को अपनी नव नियुक्ति के थाने पर प्रारंभ में क्या-क्या करना आवश्यक है ?

थाने का प्रधान लेखक मुख्य आरक्षी के पद का होता है। वह थाने के कार्यालय का लिपिक एवं रिकार्ड कीपर होता है। इसका कार्य अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखना, रोकड़ बही लिखना, जनरल डायरी लिखना और थाने पर रखी जाने वाली सरकारी संपत्ति, धन एवं मूल्यवान संपत्ति को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखना होता है। इसके अतिरिक्त वह थाने के सभी अभिलेखों का रख-रखाव करने के लिए उत्तरदायी है।

उक्त कर्तव्यों को दृष्टि में रखकर प्रधान लेखक को निम्न कार्य अपनी नव नियुक्ति के प्रारंभ में ही कर लेने चाहिए :

1. सरकारी संपत्ति का भौतिक रूप से सत्यापन करके उसको अपनी अभिरक्षा में लेना

प्रधान लेखक जब किसी थाने पर नियुक्त होता है तो वह निवर्तमान प्रधान लेखक से थाने की सरकारी संपत्ति का प्रभार लेता है। प्रायः देखने में आया है कि यह कार्य कागज पर किया जाता है जो सही नहीं है। प्रधान लेखक को प्रत्येक सरकारी संपत्ति व्यक्तिगत रूप से देखकर अपने प्रभार में लेनी चाहिए जिससे बाद में कोई परेशानी न होने पाए। सरकारी संपत्ति में कमी होना न्यास भंग का अपराध है और इस प्रकार की कमी पाए जाने पर धारा 409 भा.दं.वि. के अपराध कई थानों पर पंजीकृत हुए हैं। भौतिक रूप से चैक कर संपत्ति प्रभार में लेने पर यदि कोई कमी पाई जाती है, तो नव नियुक्त प्रधान लेखक को इस बात को थाना प्रभारी के संज्ञान में लाना चाहिए जिससे आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

2. मुकदमों से संबंधित संपत्ति को भी भौतिक रूप से चैक कर प्रभार में लेना चाहिए

थाने पर पंजीकृत अभियोगों से संबंधित संपत्ति थाने के मालखाने में रहती है। इसका प्रभार भी प्रधान लेखक के पास रहता है। अतः यह आवश्यक है कि निवर्तमान प्रधान लेखक से मुकदमों से संबंधित संपत्ति का प्रभार नव नियुक्त प्रधान लेखक को भौतिक रूप से चैक कर लेना चाहिए। यह बात देखने में आई है कि बहुत से मुकदमों का माल रजिस्टर में अंकित होने पर भी मालखाने से गायब मिलता है और गायब माल के संबंध में कई प्रधान लेखक के विरुद्ध वैधानिक व विभागीय कार्रवाई की जाती है।

3. धन का प्रभार रोकड़ बही के अनुसार लिया जाना चाहिए

थाने पर प्राप्त होने वाले सरकारी धन का लेखा जोखा प्रधान लेखक द्वारा रोकड़ बही में रखा जाता है। प्रधान लेखक का पद भार ग्रहण करते समय सरकारी धन को थाने की रोकड़ बही के अनुरूप लिखित रूप से प्राप्त करना चाहिए। इसका उल्लेख जनरल डायरी में करना चाहिए। यदि कोई अवितरित धन बहुत समय से किन्ही कारणों से रोकड़ बही में लंबित हो, तो उसको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आंकिक को लौटा देना चाहिए, क्योंकि धन को अकारण थाने पर रखना उचित नहीं है।

4. मालखाने में अभियुक्तों की व्यक्तिगत तलाशी और न्यायालय के आदेश से वापस किए जाने वाले माल को भौतिक रूप से चैक कर प्राप्त करना

थाने पर अभियुक्तों की व्यक्तिगत तलाशी का सामान/धन भी मालखाने पर रखा जाता है और इसका उल्लेख थाने के मालखाना रजिस्टर में किया जाता है। नव नियुक्त प्रधान लेखक को यह माल/धन भौतिक रूप से चैक करके प्राप्त करना चाहिए जिससे कोई कमी हो तो प्रकाश में आ जाए। थाने पर न्यायालय के निर्णय के बाद मुकदमों से संबंधित माल वादी अथवा अभियुक्त को वापस करने हेतु प्राप्त होता है। इस प्रकार के माल को नव नियुक्त प्रधान लेखक द्वारा थाने पर रखे जाने वाले अभिलेखों से मिलान करके प्राप्त करना चाहिए जिससे आने वाले समय में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

5. थाने पर रखी जाने वाली पुस्तकों का प्रभार थाने के रजिस्टर से मिलान कर लेना चाहिए

प्रत्येक थाने पर विधि एवं विभिन्न अधिनियमों की पुस्तकें जनपद के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से प्राप्त होती हैं और इनका थाने पर रिकार्ड रखा जाता है। प्रायः इन पुस्तकों में कमी पाई जाती है। नव नियुक्त प्रधान लेखक को इन पुस्तकों का प्रभार रजिस्टर से मिलान करके लेना चाहिए। यदि कोई कमी पाई जाए तो थाना प्रभारी के संज्ञान में लाना चाहिए।

6. हवालात व मालखाने के कक्ष के सुरक्षित होने की जांच कर लेनी चाहिए

हवालात व मालखाने की सुरक्षा का भार थाने के प्रधान लेखक पर होता है और इन दोनों कक्षों की चाबी उसी के पास रहती है। हवालात में रखे जाने वाले अभियुक्तों व मालखाने में रखी जाने वाली संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु नव नियुक्त प्रधान लेखक को इन दोनों कक्षों का निरीक्षण कर लेना चाहिए। यदि कोई कक्ष असुरक्षित प्रतीत होता हो, तो उसे थाना प्रभारी के संज्ञान में लाकर ठीक करवा लेना चाहिए जिससे कोई अनहोनी घटना न घटने पाए।

7. थाने पर रखे जाने वाले विभिन्न अभिलेखों का रख-रखाव कर लेना चाहिए

थाने पर रखे जाने वाले अपराध संबंधी, धन संबंधी एवं भूमि भवन संबंधी अभिलेख प्रधान लेखक व उसके साथ नियुक्त आरक्षी लेखक द्वारा तैयार किया जाता है। प्रधान लेखक का यह कर्तव्य है कि वह नई नियुक्ति के थाने पर प्रारंभ में ही यह देख ले कि थाने पर रखे जाने वाले अभिलेखों में आवश्यक सूचनाएं अद्यावधिक अंकित हैं या नहीं? यदि उसे लगता है कि अभिलेखों में सूचना अद्यावधिक नहीं है, तो इसकी सूचना थाना प्रभारी को देकर उसे यथाशीघ्र पूर्ण करे।

थाना प्रभारी को अपनी नियुक्ति के पश्चात उक्त बिंदुओं के संबंध में जांच करके यह पता लगा लेना चाहिए कि थाना का प्रधान लेखक अपने कर्तव्यों के संबंध में जागरूक है या नहीं और अपने कर्तव्यों का पालन सही प्रकार से कर रहा है या नहीं। यदि उसके कार्य में उन्हें कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होती है तो उसे उचित निर्देश देकर उसके कार्य को पूरा कराना सुनिश्चित किया जाए।



अध्याय तेरह

चौकी के भार साधक मुख्य आरक्षी को अपनी नव-नियुक्ति पर क्या-क्या करना आवश्यक है?

चौकी का भार साधक मुख्य आरक्षी चौकी पर नियुक्त आरक्षियों के कर्तव्यों का पालन, उनके आचरण व अनुशासन हेतु उत्तरदायी है। वह अपनी चौकी के आरक्षियों की ड्यूटी लगाता है और यह देखता है कि वह अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करे। वह चौकी क्षेत्र में होने वाले अपराधों एवं महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना थाना प्रभारी को देता है। वह अपराध का अन्वेषण नहीं करता, परंतु यदि वह पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कर दिया जाए, तो वह पंचायतनामा भरने की कार्रवाई कर सकता है।

चौकी के भार साधक मुख्य आरक्षी को उक्त कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी नव-नियुक्ति के स्थान पर निम्न कार्य प्रारंभ में ही कर लेने चाहिए :

1. चौकी क्षेत्र की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना

चौकी पर नव-नियुक्त मुख्य आरक्षी को चौकी क्षेत्र का भ्रमण करके निम्न स्थानों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए जिससे वह चौकी क्षेत्र से परिचित हो सके और वह आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई हेतु वहां पहुंच सके।

- चौकी क्षेत्र में कौन-कौन मौहल्ले हैं।
- उन मौहल्लों में जातिगत अनुपात क्या है।
- किन-किन मौहल्लों में साम्प्रदायिक या जातिगत झगड़ों की संभावना रहती है।
- कौन-कौन से चौराहे कानून-व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील है।
- मुख्य-मुख्य धार्मिक स्थल कहां-कहां पर स्थित हैं।
- स्कूल/कालेज कहां-कहां पर हैं।
- शराब की दुकानें कहां-कहां पर हैं।

- रोड बस स्टेशन कहां पर हैं।
- चौकी में कोई औद्योगिक क्षेत्र कहां पर हैं।
- चौकी क्षेत्र में बैंक कहां-कहां हैं।
- चौकी क्षेत्र में बाजार कहां-कहां पर हैं।
- चौकी क्षेत्र में आतिशबाजी की दुकानें कहां-कहां हैं।
- चौकी क्षेत्र में शस्त्र विक्रेताओं की दुकानें कहां-कहां हैं।

थाना प्रभारी को चौकी के प्रभारी मुख्य आरक्षी से समय-समय पर उक्त बिंदुओं के संबंध में पूछताछ करके यह पता लगाते रहना चाहिए कि चौकी का मुख्य आरक्षी इन बिंदुओं पर जानकारी रखता है या नहीं। यदि थाना प्रभारी को ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य आरक्षी इन बिंदुओं पर जानकारी नहीं रखता है तो उसे उचित दिशा निर्देश देकर इन बिंदुओं का पालन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए।

2. चौकी पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना

चौकी पर नियुक्त होने के बाद चौकी के मुख्य आरक्षी को वहां नियुक्त कर्मचारियों से बात करके जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए जिससे अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

- चौकी पर कितने कर्मचारियों का स्वीकृत नियतन है।
- चौकी पर कितने कर्मचारी नियुक्त हैं।
- चौकी क्षेत्र में कहां-कहां ड्यूटी रोजाना भेजी जाती है?
- कौन-कौन कर्मचारी किस-किस बीट में नियुक्त है।
- कितने कर्मचारी चौकी पर रहते हैं और कितने प्राईवेट मकानों में रह रहे हैं।
- कोई कर्मचारी ऐसा तो नहीं है जिसके शराब पीने या अपराधियों से मिले होने की शिकायत हो।

यदि चौकी के मुख्य आरक्षी को उक्त बिंदु में से किसी बिंदु पर कोई त्रुटि महसूस होती है तो वह उस बिंदु को अपनी चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक पुलिस के संज्ञान में लाकर उस त्रुटि को ठीक करा सकता है। थाना प्रभारी को भी उक्त बिंदुओं के संबंध में चौकी पर जाकर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उक्त बिंदुओं पर लिखित कार्य ठीक प्रकार से किए जाएं।

3. चौकी क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख व्यक्तियों से संपर्क करना

चौकी प्रभारी मुख्य आरक्षी को अपने चौकी क्षेत्र के प्रमुख सभ्रांत व्यक्तियों से प्रारंभ में ही समय निकाल कर संपर्क कर लेना चाहिए। उन लोगों से मिल कर चौकी क्षेत्र में हो रही अवैधानिक गतिविधियों की जानकारी कर लेनी चाहिए और उनसे पुलिस कार्यों में सहायता देते रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। थाना प्रभारी जब कभी अपने थाने की चौकी पर जाए तो उन्हें चौकी के मुख्य आरक्षी से यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि वह अपने क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख व्यक्तियों के नाम, पते व टेलीफोन नंबर की जानकारी रखता है या नहीं। यदि इस जानकारी में थाना प्रभारी को कोई कमी प्रतीत हो तो इस संबंध में चौकी के मुख्य आरक्षी को उचित निर्देश देकर इस कमी को पूर्ण करा लेना चाहिए।

4. चौकी क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर्स/सक्रिय अपराधियों की व्यक्तिगत जानकारी कर लेनी चाहिए

नव-नियुक्त मुख्य आरक्षी को अपने चौकी क्षेत्र के सभी हिस्ट्रीशीटर्स की व्यक्तिगत रूप से पहचान कर लेनी चाहिए जिससे उन पर निगाह रखी जा सके। इस कार्य हेतु उन्हें चौकी पर बुलाया जा सकता है अथवा उनके घर जाकर उनसे संपर्क किया जा सकता है यदि कोई हिस्ट्रीशीटर मर गए है अथवा शारीरिक रूप से अक्षम है तो इस संबंध में थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देकर उसकी हिस्ट्रीशीट में इस बात का नोट लगवाया जाना चाहिए जिससे उसकी हिस्ट्रीशीट नष्ट की जा सके अथवा उसकी निगरानी बंद की जा सके। थाना प्रभारी को चौकी के मुख्य आरक्षी की अपनी चौकी क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर्स और सक्रिय अपराधियों के संबंध में जानकारी को चैक करते रहना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्रीशीटर्स और सक्रिय अपराधियों की निगरानी करने का उत्तरदायित्व चौकी के मुख्य आरक्षी और आरक्षियों का ही होता है। यदि यह लोग अपने-अपने क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर्स और सक्रिय अपराधियों के घर नहीं जानते और उनको व्यक्तिगत रूप से पहचानते नहीं तो उनकी निगरानी या गिरफ्तारी करने में चौकी के कर्मचारियों को कठिनाई होगी। अतः थाना प्रभारी को इस बात पर जोर देना चाहिए कि चौकी के मुख्य आरक्षी अपने क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर्स को पहचान ले और उनके अन्य ठिकानों की जानकारी कर ले।

5. स्कूल/कालेज के प्रधानाचार्य से संपर्क करना चाहिए

मुख्य आरक्षी को अपनी चौकी क्षेत्र के स्कूल/कालेज के प्रधानाचार्यों से संपर्क

करके उनके स्कूल/कालेज की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने चौकी/थाना प्रभारी को सूचित करना चाहिए जिससे उनके स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जा सके। स्कूल/कालेज के दूरभाष नंबर नोट करके चौकी पर रखने चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर संपर्क स्थापित किया जा सके। थाना प्रभारी को अपने स्तर से चौकी पर नियुक्त मुख्य आरक्षी की उक्त जानकारी के संबंध में यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह अपने क्षेत्र के स्कूल/कालेज के प्रधानाचार्यों से परिचित हो।

6. आरक्षियों की बीट बुक चेक कर लेनी चाहिए

चौकी के प्रत्येक आरक्षी की बीट होती है जिससे संबंधित गश्त, निगरानी एवं तामील आदि का कार्य उस आरक्षी को दिया जाता है। मुख्य आरक्षी को यह चेक करना चाहिए कि प्रत्येक आरक्षी के पास बीट से संबंधित बीट बुक है या नहीं। यदि बीट बुक नहीं है, तो आरक्षियों की बीट बुक तैयार करा देनी चाहिए, क्योंकि बीट बुक में संबंधित बीट के अपराधियों, हिस्ट्रीशीटर्स, सक्रिय अपराधियों, शराब की दुकानों एवं भगौड़ों आदि के नाम अंकित होते हैं। थाना प्रभारी को प्रारंभ में अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके अधीनस्थ नियुक्त आरक्षियों के पास बीट-बुक है या नहीं। यदि बीट-बुक न हो तो उसे तैयार करा लेना चाहिए और उसमें आवश्यक प्रविष्टियां मुख्य आरक्षी चौकी के पर्यवेक्षण में करा लेनी चाहिए, जिससे आरक्षी कुछ जानकारी के साथ अपनी बीट में जाए।

7. चौकी के अभिलेखों को अद्यावधिक रखना चाहिए

नव नियुक्त मुख्य आरक्षी को चौकी के निम्न अभिलेखों को चेक कर लेना चाहिए और उन्हें अद्यावधिक रखा जाना चाहिए।

- चौकी का अपराध रजिस्टर
- चौकी का बीट इंफार्मेशन रजिस्टर
- चौकी के कर्मचारियों का ड्यूटी रजिस्टर
- सेक्शन बोर्ड

थाना प्रभारी को चौकी का निरीक्षण करते समय चौकी के अभिलेखों के रख-रखाव को देखना भी आवश्यक है क्योंकि यह अभिलेख चौकी की कार्यशैली को दर्शाते हैं।

8. चौकी की अपराधिक स्थिति का मूल्यांकन कर लेना चाहिए

नव-नियुक्त मुख्य आरक्षी को अपनी चौकी क्षेत्र की अपराध की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करके यह देख लेना चाहिए कि अपराध की स्थिति ठीक है या खराब है। यह भी देखना चाहिए कि चौकी क्षेत्र के कौन-कौन से मौहल्ले अपराध से अधिक प्रभावित हुए हैं और किस प्रकार के अपराध अधिक घटित हुए हैं। इस अध्ययन के बाद अपने चौकी प्रभारी उप निरीक्षक से विचार-विमर्श करके अपराध नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए।

थाना प्रभारी को प्रत्येक चौकी की अपराधिक स्थिति का मूल्यांकन चौकीबार हर माह के प्रत्येक पक्ष में कर लेना चाहिए, जिससे चौकी क्षेत्र में घटित होने वाले अपराधों व रोकथाम की कार्रवाई की जानकारी हो सके व इसके संबंध में आवश्यक निर्देश चौकी के पुलिस कर्मियों को दिया जा सके।



अध्याय चौदह

थाना/चौकी पर नव-नियुक्त आरक्षी नागरिक पुलिस को अपनी नियुक्ति के तत्काल बाद क्या-क्या करना आवश्यक है ?

नागरिक पुलिस के आरक्षियों का मुख्य कार्य अपराध की रोकथाम करना है। इनको इस कार्य हेतु थाना क्षेत्र में गश्त करने, अपराधियों की निगरानी करने, फरार अपराधियों का पता लगाने व अपराधियों के संबंध में सूचना एकत्र कर लाने हेतु निर्देशित किया जाता है। थाना व चौकी पर संतरी ड्यूटी का कार्य भी उन्हीं से लिया जाता है। प्रत्येक नव-नियुक्त आरक्षी को निम्न कार्य प्रारंभ में ही कर लेना चाहिए। थाना प्रभारी को समय समय पर अपने थाने के आरक्षियों की जानकारी निम्नलिखित बिंदुओं पर करके उनका आंकलन करते रहना चाहिए, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उनके साथ नियुक्त आरक्षी अपने कार्य में सचेत है या नहीं। यदि उन्हें कोई कमी ज्ञात होती है तो वह उन्हें निर्देशित करते रहें, क्योंकि आरक्षी काफी संख्या में थाने पर नियुक्त होते हैं और उनका ठीक से कार्य करना थाने की कार्यशैली पर सार्थक प्रभाव डालता है।

1. अपनी बीट (कार्यक्षेत्र) की भ्रमण जानकारी प्राप्त करना

प्रत्येक नव-नियुक्त आरक्षी को अपनी बीट में भ्रमण करके निम्न जानकारी करनी चाहिए :

- बीट में कितने मौहल्ले या गांव हैं।
- संवेदनशील मौहल्ले अथवा गांव कौन-कौन से हैं ?
- कौन-कौन से संभ्रांत व्यक्ति किस-किस मौहल्ले या गांव में निवास करते हैं।
- शस्त्र धारक कौन-कौन है।
- मुख्य-मुख्य धार्मिक स्थल कहां-कहां पर हैं।
- उसकी बीट में किस दिन बाजार कहां लगता है।

2. अपनी बीट (कार्यक्षेत्र) के अपराधियों की जानकारी करनी चाहिए

नव-नियुक्त आरक्षी को अपनी बीट में प्रारंभ में भ्रमण करके निम्न जानकारी करनी चाहिए :

- कौन-कौन हिस्ट्रीशीटर किस-किस मौहल्ले या गांव में रहते हैं और उनमें कौन-कौन सक्रिय है।
- कौन-कौन सक्रिय अपराधी कहां-कहां निवास करते हैं।
- अपने बीट में निवास करने वाले हिस्ट्रीशीटरों/सक्रिय अपराधियों को व्यक्तिगत रूप से देख लेना चाहिए जिससे उन पर दृष्टि रखी जा सके।

3. अपनी बीट बुक तैयार करनी चाहिए

प्रत्येक आरक्षी को अपनी बीट के संबंध में एक बीट बुक रखना आवश्यक है। यदि उसे कोई बीट बुक थाने या चौकी से बीट से संबंधित नहीं मिली हो, तो उसको अपनी बीट बुक निम्न बिंदुओं पर तैयार कर लेनी चाहिए और यदि मिली हो, तो निम्न बिंदु उसमें सम्मिलित कर लेना चाहिए।

1. बीट कान्सटेबल का विवरण

- बीट कान्सटेबल का नाम एवं पिता का नाम
- स्थायी पता।
- जन्म तिथि।
- जाति।
- शैक्षिक योग्यता।
- जनपद में नियुक्ति की तिथि।
- बीट में नियुक्ति की तिथि।

2. बीट का भौगोलिक विवरण एवं सामान्य जानकारी

- बीट की जनसंख्या।
- बीट में पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्थानों का विवरण।
- बीट में लगने वाले मेले या होने वाले त्यौहारों का विवरण।
- बीट में प्रति वर्ष घूमंतु लोगों द्वारा डेरा लगाने का विवरण।
- अन्य कोई महत्वपूर्ण विवरण।

3. बीट के अंतर्गत रहने वाले मौहल्लों/ग्रामों के प्रमुख व्यक्तियों, पुलिस मित्रों व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के नाम, पते एवं विवरण

- सांसद/विधायक का नाम यदि कोई हो।
- ग्राम प्रधान का नाम।
- सभासद का नाम।
- चौकीदार का नाम।
- लेखपाल का नाम।
- पुलिस पेन्शनरों के नाम।
- शस्त्र धारकों के नाम।
- ग्राम सुरक्षा समिति/मौहल्ला सुरक्षा समिति के सदस्यों के नाम।
- उन नवयुवकों के नाम जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं।

4. बीट में मौजूद विभिन्न विवाद/शत्रुता के प्रकरण

- भूमि विवाद।
- चक रोड या गली का विवाद।
- खेत की मेड़ का विवाद।
- मंदिर, मस्जिद तथा पारिवारिक विवाद।
- बंटवारे संबंधी पारिवारिक विवाद।
- पार्टीबंदी संबंधी विवाद।

5. बीट के आपराधिक ठिकानों का विवरण

- जुआघर, सट्टा घर का विवरण।
- वेश्यावृत्ति वाले स्थानों का विवरण।
- अवैध शराब बनाने वाले स्थान।
- अवैध शस्त्र बनाने व बेचने वाले स्थान।
- चोरी व लूट की संपत्ति क्रय करने वालों के स्थान।
- अश्लील साहित्य बेचने/वीडीओ दिखाने वालों के स्थान।
- मादक पदार्थ बेचने वालों के स्थान।

6. बीट में घटित अपराध

- बीट में घटित अपराधों का संक्षिप्त विवरण।

- उनमें की गई कार्रवाई का उल्लेख।
- उनके अपराधी जेल में है या बाहर या लापता।
- उन अपराधियों की वर्तमान स्थिति (सक्रिय या शांत)।

7. बीट के अपराधों में गत 10 वर्षों में जेल गए अपराधियों का विवरण

- डकैती में पकड़े गए अपराधियों का विवरण।
- लूट/रोड होल्डप में पकड़े गए अपराधियों का विवरण।
- फिरौती हेतु अपहरण में पकड़े गए अपराधियों का विवरण।
- हत्या के अपराध में पकड़े गए अपराधी का विवरण।
- गृहभेदन के अपराध में पकड़े गए अपराधी का विवरण।
- वाहन चोरी/तार चोरी/पशु चोरी व घर की चोरियों में पकड़े गए अपराधियों का विवरण।
- अवैध शस्त्र बनाने में पकड़े गए अपराधियों का विवरण।
- मादक पदार्थों की तस्कारी में लिप्त अपराधियों का विवरण।

8. महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

- वरिष्ठ अधिकारियों के टेलीफोन नंबर।
- समस्त थाना प्रभारियों के टेलीफोन नंबर।
- प्रतिसार निरीक्षक का टेलीफोन नंबर।
- नगर नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नंबर।
- जिला नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नंबर।

4. बीट सूचना लाने के विषय

- क्षेत्र के विभिन्न वर्गों में संभावित झगड़ों के संबंध में (मकान, दुकान, खेत, नाली आदि के झगड़े)।
- साम्प्रदायिक तनाव के संबंध में।
- विद्यार्थियों के भावी आंदोलन के संबंध में।
- श्रमिकों और उद्योगपतियों के विवाद के संबंध में।
- राजनैतिक पार्टियों में विवाद के संबंध में।
- अपराध में सक्रिय अपराधियों के संबंध में।
- चोरी की संपत्ति खरीदने वालों के संबंध में।

- अवैध शस्त्र बनाने व बेचने वालों के संबंध में।
- अवैध शराब बनाने व बेचने वालों के संबंध में।
- मादक द्रव्यों की बिक्री करने वालों के संबंध में।
- बीट में किसी बाहरी संदिग्ध व्यक्ति के आकर किसी के यहां ठहरने के संबंध में।
- हिस्ट्रीशीटर की घर से संदिग्ध अनुपस्थिति के संबंध में।
- नये अपराधियों के संबंध में।

5. संप्रान्त लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करना

बीट आरक्षी को अपनी बीट के संप्रान्त लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर परिचय प्राप्त करना चाहिए और उनके टेलीफोन नंबर नोट करने चाहिए। उनके मौहल्ले/गांव की समस्याओं के बारे में बात करके जानकारी प्राप्त करके उन समस्याओं को चौकी प्रभारी/थाना प्रभारी को बताना चाहिए।

6. स्कूल/कालेज की स्थिति की जानकारी व्यक्तिगत रूप से करना

बीट आरक्षी को अपनी बीट के स्कूल/कालेज में जाकर यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि वह कहां स्थित हैं और वहां आस-पास किस प्रकार का वातावरण है। लड़कियों के स्कूल/कालेज के बाहर उसे विशेष रूप से यह देखने की आवश्यकता है कि स्कूल/कालेज के शुरू होने के समय व बंद होने के समय लड़कियों के साथ कोई अभद्र व्यवहार करने की शिकायत है या नहीं।

7. सिनेमाघर और शराब की दुकानों को भी व्यक्तिगत रूप से जाकर देखना

बीट आरक्षी को अपनी बीट स्थित शराब की दुकान व सिनेमाघरों में जाकर यह देख लेना चाहिए कि इन स्थानों पर कानून व्यवस्था की दृष्टि से किस समय पुलिस के उपस्थित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दोनों स्थलों पर लोग आते-जाते रहते हैं और यदा-कदा झगड़ा-फसाद होता रहता है। यदि आरक्षी को इन स्थानों पर कानून-व्यवस्था के संबंध में कोई महत्वपूर्ण बात ज्ञात होती है तो उसे चौकी प्रभारी/थाना प्रभारी के संज्ञान में लानी चाहिए।

●

अध्याय पंद्रह साइबर क्राइम

अपराध अन्वेषण के संबंध में विवेचनाधिकारी को अपराध की नवीनतम शैली जिसे साइबर अपराध कहते हैं, का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि इस समय करोड़ों लोग कंप्यूटर नेट वर्क का प्रयोग कर रहे हैं। और साइबर अपराध की घटनाएं अपराधियों द्वारा की जा रही हैं। इन घटनाओं पर नियंत्रण लगाने के लिए थाना प्रभारी व अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को भी साइबर अपराध और उसकी विवेचना के संबंध में जानकारी होना नितान्त आवश्यक है।

2. इक्कीसवीं सदी में कंप्यूटर के प्रयोग से लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आ गए हैं। पहले जो कार्य कागज पर किया जाता था। अब वह कंप्यूटर पर किया जा रहा है। कंप्यूटर के प्रचलन से इंटरनेट का प्रयोग अब केवल कंप्यूटर विशेषज्ञों का ही साधन नहीं रह गए हैं बल्कि आम आदमी इंटरनेट से विभिन्न क्षेत्रों (सामाजिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक व कला) की सूचनाएं प्राप्त करने का कार्य कर रहे हैं। भारत वर्ष अब कागज रहित समाज की ओर अग्रसर हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार अभिलेख और हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक फार्म पर पूर्ण रूप से वैधानिक हैं।

3. यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संविदायों को वैधानिक बना दिया गया है परंतु इसी अधिनियम के द्वारा कुछ कार्यों को कंप्यूटर क्राइम के रूप में चिह्नित किया गया है और उसके लिए साइबर विधि (Law) बनाई गई है। इंटरनेट और अन्य नेटवर्क संबंधी उपभोक्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसा कोई कार्य न करें, जो साइबर अपराध की श्रेणी में आता हो। उक्त अधिनियम के पारित हो जाने के उपरांत कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख व्यवसायिक संचार के सामान्य साधन हो गए हैं। ज्यों-ज्यों लोग इसका अधिक प्रयोग करेंगे त्यों-त्यों प्रत्येक व्यक्ति स्वतः उन कानूनों के अंतर्गत आ जाएंगे, जो इसके प्रयोग के लिए बनाए गए हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विधि (Law) की जानकारी क्षम्य नहीं है। एक उत्तरदायी नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति

को साइबर कानून की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे वह कंप्यूटर अपराधी के रूप में नामांकित होने से बच सके। साइबर कानून की जानकारी ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नेटवर्क द्वारा प्रदत्त सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से या अन्य संपत्ति संबंधी नेटवर्क जैसे बैंक और स्टॉक ब्रोकर के साथ व्यवहार करता है। इस अधिनियम के कुछ मुख्य तत्व जानना प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि इंटरनेट तकनीक क्या है, डिजिटल हस्ताक्षर क्या हैं और डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या है?

4. इंटरनेट का संक्षिप्त इतिहास

मौलिक रूप से इंटरनेट कई स्थानों के कंप्यूटरों के जोड़ने के साधन के रूप में प्रारंभ हुआ जिससे विभिन्न कंप्यूटरों के उपभोक्ता आपस में सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं। यह कार्य विवरण के आदान-प्रदान को बिना किसी तार के किया जाता है। इस साधन का आविष्कार करते समय यह विचार किया गया कि कंप्यूटर किस प्रकार से आपस में जोड़े जाए जिससे इनके द्वारा सूचनाओं का आदान-प्रदान कई मार्गों से किया जा सके। पहले इंटरनेट का प्रयोग विदेशों में सेना के गोपनीय कार्यों के लिए किया गया। उसके उपरांत वर्ष 1980 में शिक्षा और सरकार की अन्य शाखाएं इस नेटवर्क में जुड़ गईं। वर्ष 1990 से इंटरनेट जन क्षेत्र में आ गए और उसके साथ में लाखों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। नेटवर्क से जुड़े हुए सभी कंप्यूटरों की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। कंप्यूटरों की एक (TCP/IP) तकनीकी होती है जो डाटा को इंटरनेट द्वारा दूसरे कंप्यूटरों से भेजती है और प्राप्त करती है। कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से लिखित रूप में और आवाज द्वारा दूसरे व्यक्ति से बातचीत की जा सकती है। यदि दोनों कंप्यूटरों में बेब कैमरा उपलब्ध हो, तो बातचीत करने वाले का चेहरा भी देखा जा सकता है। विगत कुछ वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के विकास में इंटरनेट को विश्व व्यापार के रूप में परिवर्तित कर दिया है।

5. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार निम्नलिखित कुछ अपवादों को छोड़कर जहां कहीं भी किसी विधि (Law) में यह विहित है कि अभिलेख लिखित, टंकित या छपा हुआ हो तो यह आवश्यकता पूर्ण मानी जाएगी, यदि ऐसा अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बना है और भविष्य में संदर्भ के लिए उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है, जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों से बनाया

जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, भेजा जाता है कि या प्राप्त किया जाता है। इसमें डाटा (विवरण), इमेज (चित्र), साउण्ड (ध्वनि) सम्मिलित है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर संचित किए जाते हैं जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या संचित करने की अन्य युक्तियां जैसे फ्लोपी, सी.डी. आदि। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंफार्मेशन सर्वर पर भी रखा जाता है जिस पर इंटरनेट द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों से भी संपर्क किया जाता है। जिन मामलों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मान्य नहीं है वे निम्न हैं।

- पराक्रम्य लिखत (Negotiable instruments)
- मुख्यतयारनामा।
- न्यास विलेख।
- वसीयत।
- अचल संपत्ति के अभिलेख।

इस अधिनियम के पारित होने के उपरांत भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु संशोधन किए गए हैं, जो निम्न हैं :

6. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधि (Legal) मान्यता

इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार जब कोई विधि उपबंधित करती है कि कोई सूचना या अन्य विषय लिखित में होंगे या टंकण लिपि में होंगे, तब ऐसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी अपेक्षाएं संतोषप्रद समझी जाएंगी यदि ऐसी सूचना या अन्य विषय इलेक्ट्रॉनिक रूप में निर्मित किए गए हैं या उपलब्ध हैं और पश्चात्पूर्ती संदर्भ के लिए उपयोग में लाए जाने हेतु सुगम हैं।

● डिजिटल हस्ताक्षरों की विधि मान्यता

इस अधिनियम की धारा 5 में डिजिटल हस्ताक्षरों की विधि मान्यता के बारे में उपबंध किया गए है जिसके अनुसार जहां कोई विधि यह उपबंधित करती है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या अन्य मामले हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे अथवा कोई दस्तावेज हस्ताक्षरित किए जाएंगे अथवा उस पर किसी के हस्ताक्षर होना अपेक्षित है, तब उस विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसी अपेक्षाएं संतोषप्रद समझी जाएंगी यदि ऐसी सूचना या विषय केंद्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किए गए हैं।

7. भारतीय दंड संहिता में किए गए संशोधन

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत भा.दं.सं. 1860 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

- **धारा 29-क, भा.दं.सं.** : इलेक्ट्रानिक अभिलेख-शब्द इलेक्ट्रानिक अभिलेख-सूचना तकनीकी अधिनियम-2000 की धारा-2 की उपधारा-1 (के खण्ड न) के लिए निर्दिष्ट अर्थ रखेगा—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (1)(न) इलेक्ट्रानिक अभिलेख से अभिप्रेत है—ऐसे आंकड़े, अभिलेख, उत्पन्न आंकड़े, प्रतिबिम्ब या आवाज का भंडारण अथवा प्राप्त करना अथवा किसी इलेक्ट्रानिक स्वरूप अथवा माइक्रो फिल्म अथवा कंप्यूटर संचालित माइक्रोपिच भेजना।
- **धारा 167 भा.दं.सं.** : इस धारा में लोक सेवक द्वारा क्षतिकारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज बनाने में इलेक्ट्रानिक रिकार्ड की रचना को भी सम्मिलित कर दिया गया है।
- **धारा 172 भा.दं.सं.** : इस धारा में लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति के नाम किसी न्यायालय में हाजिर होने या दस्तावेज को पेश करने के लिए निकाले गए सम्मन या सूचना में संशोधन करते हुए इलेक्ट्रानिक रिकार्ड पेश करने को भी जोड़ दिया गया है।
- **इस धारा में प्रयुक्त शब्द** : न्यायिक न्यायालय में अभिलेख प्रस्तुत करने के स्थान पर **अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख,** पढ़ा जाएगा।
- **धारा 175 भा.दं.सं.** : इस धारा में दस्तावेज पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोकसेवक को दस्तावेज पेश करने के लोप के अपराध में इलेक्ट्रानिक रिकार्ड को भी जोड़ दिया गया है।
- **धारा 192 भा.दं.सं.** : इस धारा में मिथ्य साक्ष्य बनाने में पुस्तक और रिकार्ड के साथ इलेक्ट्रानिक रिकार्ड को भी जोड़ दिया गया है।
- **धारा 204 भा.दं.सं.** : इस धारा के अनुसार साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज का पेश किया जाना निवारित करने के लिए नष्ट करने में इलेक्ट्रानिक रिकार्ड को भी जोड़ दिया गया है।
- **धारा 463 भा.दं.सं.** : इस धारा में मिथ्या दस्तावेज की कूट रचना में इलेक्ट्रानिक रिकार्ड की कूट रचना को भी सम्मिलित किया गया है।

- **धारा 464 भा.दं.सं.** : इस धारा में मिथ्या दस्तावेज की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड को भी सम्मिलित किया गया है।
- **धारा 466 भा.दं.सं.** : इस धारा के अनुसार न्यायालय के अभिलेख या लोक रजिस्टर की कूटरचना में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखा गए रिकार्ड भी सम्मिलित किया गया है।
- **468 भा.दं.सं.** : इस धारा में छल के प्रयोजन के लिए कूटरचना में अन्य दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड को भी सम्मिलित कर लिया गया है।
- **धारा 469 भा.दं.सं.** : इस धारा में ख्याति को हानि पहुंचाने के आशय से कूटरचना करने में इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड को भी सम्मिलित कर दिया गया है।
- **धारा 470 भा.दं.सं.** : इस धारा में कूटरचित दस्तावेज में इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड को सम्मिलित किया गया है चाहे वह पूर्ण रूप से कूटरचित हो या उसका कोई भाग कूटरचित हो।
- **धारा 471 भा.दं.सं.** : इस धारा में कूटरचित दस्तावेज का असली के रूप में उपयोग करने के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड भी सम्मिलित किया गया है।
- **धारा 474 भा.दं.सं.** : इस धारा में धारा 466 या 467 भा.द.सं. में कूटरचित वर्णित दस्तावेज को कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाए जाने के आशय रखते हुए कब्जे में रखने के प्रावधान में इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड को सम्मिलित किया गया है।
- **धारा 476 भा.दं.सं.** : इस धारा में शब्द, “कोई अभिलेख” के स्थान पर अभिलेख का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्द जोड़ा गया।
- **धारा 477-क भा.दं.सं.** : इस धारा में बुक, पेपर, लेख के स्थान पर, “बुक, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पेपर, लेख” शब्द प्रतिस्थापित किए गए।

8. भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किए गए संशोधन

साक्ष्य—साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं :

- वह सभी कथन जिनके, जांचाधीन तथ्य के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है। ऐसी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य कहलाती है।

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-3 में दी गई साक्ष्य की परिभाषा में उल्लिखित शब्द, “सभी अभिलेख, जो न्यायालय में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं” के स्थान पर, सभी अभिलेख मय इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के कोर्ट के सामने निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं” शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं।

9. स्वीकृति की परिभाषा

धारा-17 में प्रयुक्त शब्द, “मौखिक या अभिलेखीय” के स्थान पर शब्द मौखिक या अभिलेखीय या इलेक्ट्रॉनिक रूप में” प्रतिस्थापित किए गए।

धारा 22-क साक्ष्य अधि. : कब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तुओं से संबंधित मौखिक स्वीकृति सुसंगत है—

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु से संबंधित मौखिक स्वीकृति तब तक सुसंगत नहीं है जब तक कि प्रस्तुत किए गए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की असलीयत प्रश्नगत न हो।

धारा 34 साक्ष्य अधि. : इस धारा के अनुसार लेखा पुस्तकों की प्रविष्टि में वह प्रविष्टियां भी शामिल है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार की गई हो।

धारा 35 साक्ष्य अधि. : इस धारा में अभिलेख शब्द में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी सम्मिलित किए गए हैं।

धारा 39 साक्ष्य अधि. : जब कोई कथन, जिसका साक्ष्य दिया जाता है, किसी वृहतर कथन का या किसी बातचीत का भाग है या किसी एकल दस्तावेज का भाग है या किसी दस्तावेज में अंतर्विष्ट है, जो किसी पुस्तक का भाग है या भागतः इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट अथवा पत्रों या कागज पत्रों की संशक्त आवली का भाग है तब उस कथन, बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज-पत्रों या कागज-पत्रों की आवली के उतने का ही साक्ष्य दिया जाएगा, जितना न्यायालय उस कथन की प्रकृति और प्रभाव को तथा उन परिस्थितियों को, जिनके अधीन वह किया गया था, समझने के लिए आवश्यक विचार करता है।

धारा 47 साक्ष्य अधि. : इस धारा के अनुसार जब किसी न्यायालय को किसी व्यक्ति के अंकीय हस्ताक्षर (डिजिटल सिग्नेचर) के बारे में राय बनानी हो तो अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण जारी करने वाले अधिकारी की राय सुसंगत है।

धारा 59 साक्ष्य अधि. : इस धारा के अनुसार दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है।

धारा 65-क साक्ष्य अधि. : इस धारा के अनुसार धारा 59 साक्ष्य अधिनियम अभिलेखों की अंतर्वस्तुएं धारा 65-ख के प्रावधान के अनुसार साबित की जा सकेंगी।

10. डिजिटल हस्ताक्षर

इलेक्ट्रॉनिक युग के कारण यह आवश्यक हो गए हैं कि लोगों को इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के आदान-प्रदान करने के लिए इस प्रकार योग्य बनाया जाए कि यह पहचाना जा सके कि उस व्यक्ति द्वारा भेजा गया है, जिसका नाम उस पर लिखा गया है और उस अभिलेख में वही अंकित हुआ है जो भेजने वाला चाहता है। इस प्रक्रिया में आवश्यक तत्व हस्ताक्षर को बनाया होता है जैसा कि समाज में कागज पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जो उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को और उसमें लिखी हुई विषय वस्तु को प्रमाणित कर सके और हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को उस पर लिखी हुई बातों के लिए उत्तरदायी ठहरा सकें। इस बात को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि समाज द्वारा कागज पर हस्ताक्षर का क्या महत्व है और उसके उपरांत ही डिजिटल सिगनेचर को समझा जा सकता है।

कागज पर कार्य करने वाले समाज में सभी लेन देन का कार्यों में हस्ताक्षर उसका आधार होता है। यद्यपि मौखिक संविदा विधि में वैध है परन्तु यह एक स्थापित अभ्यास है कि संविदा को लिखा जाए और उस पर हस्ताक्षर किए जाएं जिसके द्वारा विवाद होने पर तृतीय पक्ष संविदा करने वाले दोनों पक्षों की नीयत को जान सकें। हस्ताक्षर करने की धारणा में किसी भाषा में नाम लिखना, अंगूठा निशान लगाकर अभिलेख के प्रति अपनी सहमति प्रदान करने से है। उद्योग जगत के उद्योगपतियों द्वारा एक सामान्य सील का प्रयोग भी हस्ताक्षर के बराबर होता है। नाम लिख कर हस्ताक्षर करने की प्रथा अभिलेखों में चली आ रही है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति किसी के हस्ताक्षर करता है, तो उन्हें **कूटरचित** हस्ताक्षर कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर ऐसी दशा में प्राप्त किए गए हैं जब उसका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं था या वह अन्य कारणों से अभिलेख में लिखी हुई बातों को समझने में असमर्थ था तो वह इस बात को न्यायालय में सिद्ध कर सकता है और न्यायालय साक्ष्य लेने के उपरांत इस निर्णय पर आ सकता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हस्ताक्षर वास्तव में हस्ताक्षर है या नहीं।

जब कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख नेटवर्क के अंतर्गत केबल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है तो वह भेजने वाले कंप्यूटर के द्वारा दूसरे अपेक्षित कंप्यूटर की ओर चला जाता है। जब नेटवर्क में कई कंप्यूटर उपलब्ध हों, तो संकेतों को

रुटर के माध्यम से निकलना आवश्यक होता है। जब संकेत प्राप्त हो जाते हैं तो उनके गंतव्य स्थान के पते पढ़े जाते हैं और भेजे गए संकेतों को सही केबिल के माध्यम से भेजा जाता है। जब संदेश इंटरनेट द्वारा यात्रा करता है तो उसको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पूर्व कई नोड्स (संधियों) से गुजरना पड़ता है।

टीसीपी (संदेशों के नियंत्रण की मूल लिपि) इंटरनेट की मूल लिपि, जो इंटरनेट को प्रचारित करती है, में भेजे जाने वाले अभिलेख को गन्तव्य स्थान तक पहुंचने से पूर्व कई भागों में विभाजित किया जाता है। ये कई भाग विभिन्न मार्गों से गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं (यह सब कार्य कुछ क्षणों में हो जाते हैं) गन्तव्य स्थान पर यह पुनः संदेश मूल रूप में लाने के लिए व्यवस्थित किए जाते हैं। इस पद्धति को दृष्टिगत रखते हुए यह संभव है कि भेजे गए संदेश का कोई भाग मार्ग में खो जाए या गलत स्थान पर पहुंच जाए। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति प्रसारण के मार्ग में उसके कुछ भाग को चुरा कर पढ़ने का प्रयास कर सकता है। इस प्रकार का अवरोधक व्यक्ति संविदा के किसी एक पक्ष से मिल कर उस संविदा की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है, जो संविदा अन्यथा दोनों पक्षों को स्वीकार है।

संदेश के प्रसारण की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि संदेश के डाटा को गुप्त संदेश के रूप में भेजा जाए, जिससे यदि वह गलत व्यक्ति के हाथों में आता है तो वह पढ़ा न जा सके। यह बात स्पष्ट है कि संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को गुप्त संदेश को पढ़ने के उपाय की जानकारी होनी चाहिए। जिससे वह संदेश को मूल रूप में देख सके। यह गोपनीय संदेश भेजने का विज्ञान है और डिजिटल हस्ताक्षर का आधार स्तम्भ है।

किसी संदेश को गोपनीय बनाने के दो तरीके हैं। परम्परागत तरीके को Symmetric crypto system और अधिक सुरक्षित विधि को Asymmetric crypto system

- **Symmetric crypto system**

इस प्रक्रिया में एक कुंजी (Key) होगी, जिसकी जानकारी संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले को होगी। इस कुंजी द्वारा संदेशों को गोपनीय रूप से भेजा जा सकता है और उसे खोल कर पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार की प्रक्रिया हैस # सहित अथवा रहित हो सकती है। फिर भी सभी सुरक्षित संदेश हैस के द्वारा ही गोपनीय बनाए जाते हैं।

अभिलेख को गोपनीय बनाने की मूल भूत प्रक्रिया उसके शब्दों के मौलिक कम को परिवर्तित कर देगा और जब उसको प्राप्त करने वाला खोलेगा तो वह

मौलिक क्रम में आ जाएगा।

हैस # के द्वारा अभिलेख की व्याख्या की जाएगी और उसको अद्भुत मूल प्रदान किया जाएगा, जिससे संदेश अक्षरों और शब्दों का मौलिक क्रम ज्ञात हो सकेगा। जब प्राप्तकर्ता संदेशों को ग्रहण करता है तो वह **हैस #** मूल्य को समाप्त करे और संदेश के मौलिक तथ्यों को प्राप्त करे। वह हैस वैल्यू को पुनः जोड़कर प्राप्त प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश का मिलान कर सके। इस प्रकार यह **Symmetric crypto system** सुनिश्चित करता है कि संदेश भेजने के उपरांत परिवर्तित नहीं हुआ और इसकी गोपनीयता प्रसारण के मध्य बनी रही।

फिर भी चूंकि एक कुंजी संदेश को गोपनीय बनाने और खोलने में प्रयुक्त की जाती है और इसके लिए संदेश भेजने वाले को संदेश प्राप्त करने के पास कुंजी को भेजना भी आवश्यक है। इस प्रक्रिया में कुंजी की चोरी का खतरा बना रहता है। इसके अतिरिक्त जब संदेश भेजने वाले, प्राप्त करने वाले के मध्य एक ही कुंजी का प्रयोग होता है तो तृतीय पक्ष (न्यायपालिका) पूर्ण रूप से यह निश्चित नहीं कर सकती है कि गोपनीय रूप से भेजा गए अभिलेख प्रेषक द्वारा बनाया गए है अथवा प्राप्त करने वाले द्वारा बनाया गए है।

● **Asymmetric crypto system**

इस सिस्टम को पब्लिक कुंजी सिस्टम भी कहते हैं। यह Symmetric सिस्टम की त्रुटियों पर नियंत्रण लगाने का वैकल्पिक उपाय है। इस सिस्टम में दो कुंजियां होती हैं जो प्रारम्भिक रूप से अभिलेख बनाने वाले द्वारा तैयार की जाती हैं एक कुंजी सदैव अभिलेख बनाने वाले के पास रहती है जिसे निजी कुंजी कहते हैं और दूसरी कुंजी किसी भी ऐसे व्यक्ति को दी जा सकती है, जिसको सुरक्षित संदेश या अभिलेख भेजना हो। इस सिस्टम में संदेश पहली कुंजी द्वारा गुप्त रूप से भेजा जाता है और दूसरी कुंजी द्वारा उसे खोल कर पढ़ा जाता है। दोनों कुंजियां अलग-अलग होते हुए भी एक ऐसा कुंजियों का जोड़ा है जिसमें पहली कुंजी से अभिलेख को गोपनीय बनाया जाता है और दूसरी कुंजी से खोला जाता है। जिससे पब्लिक कुंजी कहा जाता है।

यदि किसी गुप्त अभिलेख को पब्लिक कुंजी रखने वाले द्वारा सफलतापूर्वक खोल कर पढ़ लिया जाता है, तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि पब्लिक कुंजी के समानांतर निजी कुंजी द्वारा यह अभिलेख गुप्त बनाया गए है क्योंकि अभिलेख भेजने वाले के अतिरिक्त किसी और के पास निजी कुंजी नहीं होती है इसलिए यह निश्चित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस अभिलेख को भेजने वाले ने ही बनाया है।

हैस # क्रिया को **Symmetric crypto system** में यह परखने के लिए प्रयोग किया जाता है कि संदेश वाहक द्वारा संदेश भेजे जाने के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

इस प्रकार **Asymmetric crypto system** इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख बनाकर भेजने वाले की पहचान सुनिश्चित करने, उसकी सत्यता और गोपनीयता का संदेश प्रसारण के समय बनाए रखने में प्रयोग किया जा सकता है। अतः डिजिटल हस्ताक्षर विचारधारा इसी **Asymmetric crypto system** के आधार पर विकसित हुई है।

11. डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया

1. किसी अभिलेख को भेजने वाला व्यक्ति **Asymmetric crypto system** का प्रयोग करके एक कुंजी का जोड़ा उस अभिलेख को सुरक्षित रखने के लिए बनाता है। उसके उपरांत वह दूसरी **कुंजी (पब्लिक कुंजी)** को अभिलेख प्राप्त करने वाले के पास इस प्रकार से भेजता है कि प्राप्त करने वाला यह जानता है कि यह कुंजी प्रेषक के अतिरिक्त किसी अन्य ने नहीं भेजी है। इसके पश्चात प्रेषक अभिलेख को गोपनीय बनाता है और **हैस #** वैल्यू का प्रयोग करके उसे प्राप्तकर्ता के पास भेजता है। प्राप्तकर्ता प्रेषक द्वारा भेजी गई पब्लिक कुंजी का प्रयोग करके गुप्त संदेश को मूल रूप से लाता है और हैस वैल्यू की गणना करके चेक करता है। इस सारी प्रक्रिया को डिजिटल हस्ताक्षर करने और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सुरक्षित करने के रूप में परिभाषित किया गया है। कुछ मामलों में कोई व्यक्ति पूरे अभिलेख को गुप्त बनाने को छोड़कर केवल हैस का प्रयोग करके उसे सुरक्षित बना सकता है। इससे संदेश की गोपनीयता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी परन्तु अभिलेख पर हस्ताक्षर करने वाले को हस्ताक्षर करने का उत्तरदायित्व निश्चित करेगा।

12. विश्वस्त मध्यस्थ की आवश्यकता

डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया में दो तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं पहला यह कि पब्लिक कुंजी किस प्रकार से भेजी जाए कि प्राप्तकर्ता सुनिश्चित हो सके कि कुंजी प्रेषक के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा नहीं भेजी गई है और दूसरा तथ्य यह है कि **स्टैंडर्ड क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम** क्या है जो वैधानिक प्रक्रिया में मान्य है। उक्त दोनों आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वैधानिक प्रक्रिया में एक विश्वसनीय तृतीय पक्ष को मान्यता प्रदान की गई है जो संदेश भेजने वाले को एक

प्रमाण पत्र जारी करता है और उसे एक अभिलेख के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है जिसमें प्राईवेट कुंजी द्वारा अभिलेख बनाने की **पब्लिक कुंजी** का उल्लेख रहता है। इस प्रमाण पत्र में प्राईवेट कुंजी द्वारा डिजीटल रूप से गोपनीय बनाने वाले प्रेषक की पब्लिक कुंजी का उल्लेख होता है।

उक्त बात प्रमाणित करने वाले की जांच सरकार की मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा की जाती है। जैसे : **कन्ट्रोलर सर्टिफिकेशन या उससे अधीनस्थ अधिकारी**। इस प्रकार मूल रूप से प्रमाणित करने वाला अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी होगा। जिसको दोनों पक्षों का विश्वास प्राप्त हो। अभिलेख की रचना करने वाला पब्लिक कुंजी को हस्तगत कराएगा और वह उस कुंजी को अभिलेख प्राप्तकर्ता को देगा।

13. प्रमाण पत्र देने वाला प्राधिकारी

यह मध्यस्थता का कार्य कानूनी प्रक्रिया में अनुमोदित प्रमाणन प्राधिकारियों को दिया गया है। यह प्रमाणन प्राधिकारी मूल प्राधिकारी के साथ पंजीकृत होते हैं जो इस वैधानिक प्रक्रिया पर नियंत्रण रखता है। इन सबकी पब्लिक कुंजी भी मूल अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाती है। विधि में मूल अधिकारी प्रमाणन प्राधिकारियों का नियंत्रक होता है जो सहायता प्राप्त करने के लिए उप नियंत्रक व सहायक नियंत्रक नियुक्त कर सकता है।

14. डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र

प्रमाणन अधिकारी उन लोगों के प्रार्थना पत्र प्राप्त करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर अभिलेखों पर करना चाहते हैं और जिन्हें इस संबंध में प्रमाण पत्र की आवश्यकता है जब ये डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र उपभोक्ता के कंप्यूटर में संस्थापित कर दिया जाता है तब उपभोक्ता के कंप्यूटर का ब्राउजर दो कुंजी एक ऐसे साफ्टवेयर से बनाता है जो प्रमाणन अधिकारी द्वारा अनुमोदित होता है। पब्लिक कुंजी को प्रमाणन अधिकारी के पास भेजा जाता है जिससे प्रमाणन अधिकारी उसको डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को अंतःस्थापित कर सके यह प्रमाण पत्र पब्लिक कुंजी को शामिल करने के उपरांत उपभोक्ता को वापस कर दी जाती है।

प्रत्येक प्रमाण पत्र पासवर्ड से सुरक्षित एक फाइल होती है जिसमें प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति का नाम, **ई.मेल** एड्रेस, सुरक्षित कुंजी, कंपनी का नाम जिसने प्रमाण पत्र प्रदत्त किया है और अवधि जिसके लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

जब भी उपभोक्ता अपने प्रमाण पत्र को प्रकाशित करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करता है उस प्रमाण पत्र को प्रमाणन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी

के **कोष** में रख दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र का प्रयोग करने वाला उपभोक्ता इसको तभी उपयोग में ला सकेगा जब उसे **डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त** अभिलेख को किसी को भेजना हो। इस प्रकार के प्रमाण पत्र का प्रयोग आन लाइन उपभोक्ता के पहचान के लिए किया जाता है जैसे **भौतिक संसार में ड्राईविंग लाइसेंस** से किसी व्यक्ति की पहचान हो जाती है।

प्रमाणन प्राधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व पर्याप्त सूचनाएं एकत्र करता है और इस प्रकार के **डिजिटल प्रमाण पत्र** के द्वारा तृतीय पक्ष को होने वाली हानि का उत्तरदायित्व भी अपने पर लेता है। प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में सभी आवश्यक व पर्याप्त सावधानियां सम्मिलित हैं।

15. क्या इंटरनेट का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को डिजिटल प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

इंटरनेट प्रयोग करने वाले कुछ लोग यह सोचते होंगे कि क्या डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त करना उपयोगी है और इसे केवल **साइबर सिटीजन** होने की पहचान प्राप्त होती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इंटरनेट का प्रयोग करने वाले लोगों को यह याद रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति द्वारा उनके नाम से अवांछनीय **ई.मेल** भेज कर उन्हें संकट में डालना कोई कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोई हानिकारक संदेश किसी के नाम से दूसरे को भेज कर किसी व्यक्ति के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। यदि इंटरनेट प्रयोग करने वाले लोगों को अपने सभी संदेश प्रमाणिक रूप से भेजने की आदत हो जाए, तो उन लोगों को एक सुरक्षित कवच प्राप्त हो जाएगा और वह किसी की शरारत के परिणाम के उत्तरदायी नहीं होंगे। इसी प्रकार विभिन्न कंपनियों में व्यापारिक प्रतिस्पर्द्धा होने के कारण कोई प्रतिस्पर्द्धा कंपनी किसी कंपनी के नाम से उसके ग्राहक को **ई.मेल** भेज कर अगले मिलने वाली संविदा को उसके हाथ से निकाल सकती है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है, कि इंटरनेट उपभोक्ता **डिजिटल प्रमाण पत्र** प्राप्त करके अपने को सुरक्षित कर लें और अपने प्रत्येक संदेश को इसके माध्यम से भेजे।

16. साइबर अपराध

साइबर अपराध व अन्य परंपरागत अपराध में मौलिक रूप से कोई अंतर नहीं है। साइबर अपराध परंपरागत अपराध का उच्चकृत रूप है। दोनों में ऐसे कार्यों को सम्मिलित किया गया जिनसे विधि का उल्लंघन होता है व जिनके लिए दंड की व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है। साइबर अपराध में कंप्यूटर को या तो

साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है या लक्ष्य (Target) के रूप में या दोनों प्रकार से प्रयोग किया जाता है। साइबर अपराध में कंप्यूटर का प्रयोग होना आवश्यक है।

17. अपराधों का विवरण जिनमें कंप्यूटर एक लक्ष्य (Target) होता है।

इस प्रकार के अपराध सरकारी कार्यालयों, व्यापारिक संस्थानों, प्रतिस्पर्धा वाले व्यक्तियों, विज्ञान और अनुसंधान वाले संगठनों द्वारा किया जाता है। इसमें निम्नलिखित प्रकार के अपराध आते हैं—

- **कंप्यूटर प्रणाली और नेटवर्किंग में अनाधिकृत प्रवेध (Hacking)**

इस प्रकार का अपराध करने में अपराधी नेट वर्क की प्रणाली की सुरक्षा में अनाधिकृत रूप से सेंध लगाकर प्रवेश करता है। अपराधी उन सूचनाओं तक पहुंच सकता है जो उसकी नहीं है और उनकी प्रतिलिपि बना सकता है, उसे परिवर्तित कर सकता है और उसे मिटा सकता है।

- **इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंप्यूटर पर उपलब्ध सूचनाओं की चोरी करना**

इस अपराध में कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और अन्य ऐसे साधनों (फ्लोपी, सी.डी. एवं पैन ड्राइव) पर उपलब्ध सूचनाएं भी सम्मिलित हैं। यह चोरी या तो व्यक्तिगत रूप से डाटा को प्राप्त करके या अन्य साधनों से सूचनाओं में हेराफेरी करके की जा सकती है।

- **ई.मेल बांम्बिंग**

इस प्रकार के कार्य का तात्पर्य बहुत बड़ी संख्या में पीड़ित व्यक्ति को ई.मेल भेजने से है। यह कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा और मेल सर्वर के द्वारा किया जा सकता है। जिसके स्वरूप कंप्यूटर सिस्टम नष्ट हो जाता है।

- **डाटा डिडलिंग**

इस प्रकार के कार्य में डाटा को कंप्यूटर के द्वारा बनाने से पहले बदल दिया जाता है और डाटा बन जाने के बाद पुनःवापस कर दिया जाता है। इस

प्रकार के प्रकरण वहां सामने आते हैं जहां पूरे विभाग के कार्य का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा हो।

- **सलामी अटैक**

इस प्रकार के अटैक सामान्य रूप से वित्तीय संस्थानों या वित्त संबंधी अपराध करने में प्रयुक्त होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता यह होती है कि इस अपराध में किया गया परिवर्तन इतना छोटा होता है कि वह ध्यान में नहीं आता है। जैसे कि बैंक के सिस्टम में इस प्रकार का अटैक किया जाए जिससे प्रत्येक खाते से एक निश्चित छोटी धनराशि निकल कर किसी विशेष खाते में जमा कर दी जाए।

उदाहरण : एक बैंक कर्मचारी जो बैंक से सेवामुक्त कर दिया गया था ने बैंक के कंप्यूटर प्रणाली में एक लौजिक बम प्रारम्भ कर दिया इस बम का प्रोग्राम इस प्रकार किया गया कि हर शनिवार को सभी बैंक के खातों से 10 सेन्ट की धनराशि निकाल कर उस व्यक्ति के खाते में डाल देगा जिसका नाम बैंक के खाते की वर्णमाला में अंतिम अक्षर से बना हो। उसके उपरांत उसने बैंक में Ziegler के नाम से खाता खोला सभी खातों से प्रत्येक शनिवार को 10 सेन्ट की राशि निकल कर इस खाते में जाने लगी। यह धनराशि इतनी कम थी कि किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। यह बात तब प्रकाश में आई जब इसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति ने बैंक में खाता खोला और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके खाते में एक बड़ी धनराशि प्रत्येक शनिवार को ट्रांसफर के माध्यम से जमा हो रही है। इसके उपरांत जांच प्रारंभ हुई और रहस्योद्घाटन हुआ कि यह कार्य पदमुक्त किए गए कर्मचारी द्वारा किया गया है।

- **डिनायल आफ सर्विस अटैक**

इस प्रकार के अपराध में पीड़ित व्यक्ति के कंप्यूटर को उसकी क्षमता से अधिक संदेशों से भर दिया जाता है जिससे उसका कंप्यूटर कार्य करने के योग्य नहीं रहता है। इसमें अपराधी अधिक संख्या में हो सकते हैं और कई जगह फैले हो सकते हैं।

- **वायरस/वार्म अटैक**

वायरस एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर से या किसी कंप्यूटर की किसी फाइल से अपने आपको जोड़ लेते हैं और तब अन्य फाइलों और नेटवर्क

के कंप्यूटरों में फैल जाते हैं। प्रायः कंप्यूटर के डाटा को बदल कर या मिटा करके उसे प्रभावित करते हैं। वार्मस को वायरस की तरह कंप्यूटर के डाटा या फाइल की आवश्यकता नहीं होती है ये अपना कार्य करने वाले प्रतिरूप स्वयं बनाते हैं और इस कार्य को बार-बार तब तक करते रहते हैं जब तक कंप्यूटर की मेमोरी पर उपलब्ध स्थान समाप्त हो न जाए।

- **लौजिक बॉम्बस**

कुछ वायरस को लौजिक बॉम्बस का नाम दिया गया है क्योंकि यह पूरे वर्ष भर सुप्तावस्था में रह सकते हैं और किसी विशिष्ट तिथि पर सक्रिय होते हैं। इस प्रकार के प्रोग्राम किसी विशेष अवसर पर कुछ करने के लिए बनाए जाते हैं।

- **ट्रोजन अटैक**

इस शब्द की उत्पत्ति 'ट्रोजन हार्स' शब्द से हुई है। साफ्टवेयर के क्षेत्र में इसके अनुसार किसी अनाधिकृत प्रोग्राम का दूसरे के सिस्टम पर अपने को अधिकृत प्रोग्राम के रूप में प्रस्तुत करके नियंत्रण करने से है। अधिकांश रूप से ई-मेल के माध्यम से ट्रोजन अटैक को स्थापित किया जाता है।

उदाहरण : राहुल और मुकेश नाम के दो मित्रों का एक राधा नामक लड़की के कारण झगड़ा हुआ जिसे वह दोनों पसंद करते थे। जब लड़की से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया तो उसने मुकेश को चुन लिया तब राहुल ने बदला लेने की ठान ली उसने मुकेश को एक नकली ई-कार्ड भेजा जो राधा के ई-मेल से भेजना दर्शाया गया। ई-कार्ड में ट्रोजन वायरस था जैसे ही मुकेश ने ई-कार्ड खोला ट्रोजन उसके कंप्यूटर में स्थापित हो गए और उसके बाद राहुल का पूर्ण नियंत्रण मुकेश के कंप्यूटर पर हो गया और वह उससे मुकेश का उत्पीड़न करने लगा।

- **इंटरनेट टाइम की चोरी**

सामान्य रूप से इस प्रकार की चोरी में पीड़ित व्यक्ति के इंटरनेट प्रयोग करने के समय को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह तब किया जाता है जब किसी इंटरनेट उपभोक्ता की लागिन आईडी और पासवर्ड तक किसी अपराधी की पहुंच हो जाती है अर्थात् वह उसकी जानकारी प्राप्त कर लेता है।

- **वेब जैकिंग**

इसमें हैकर की पहुंच और नियंत्रण दूसरे की वेबसाइट पर हो जाता है। अपराधी साइट पर उपलब्ध सूचना को नष्ट कर सकता है या बदल सकता है। यह कार्य राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या पैसे या धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अपराधी किसी की वेबसाइट पर अश्लील विषय डाल सकता है या किसी विषय की सूचना को बदल सकता है। इस प्रकार का अपराध किसी विचार को ध्यान में रख कर किया जाता है।

18. कंप्यूटर को अपराध के साधन के रूप में प्रयोग करना

इस प्रकार में मामलों में कंप्यूटर का प्रयोग अपराध कारित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर का प्रयोग, नग्न चित्रों के प्रदर्शन, जुआ और धन के अवैधानिक हस्तांतरण आदि के संबंध में किया जा रहा है। कंप्यूटर का प्रयोग अपराधियों द्वारा अपनी आपराधिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए किया जाता है। इन अपराधों का विवरण निम्नलिखित है :

- **ई-मेल द्वारा उत्पीड़न**

ई-मेल द्वारा उत्पीड़न कोई नई अवधारणा नहीं है। यह पत्रों के द्वारा उत्पीड़न की तरह ही है। इसमें अपराधी महिलाओं को ई-मेल भेजकर धमकी दे सकता है व भावनात्मक रूप से उत्पीड़ित कर सकता है।

- **अश्लील विषय वस्तु को फैलाना (Pornography)**

इस प्रकार के प्रकरण में इंटरनेट पर अश्लील विषय वस्तु, नग्न चित्र आदि दिखाए जा सकते हैं। इस मामले में ऐसी वेबसाइट को भी सम्मिलित किया जा सकता है जिसमें इस प्रकार की प्रतिबंधित विषय वस्तु सम्मिलित हो। इस प्रकार की विषय वस्तु बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। वर्तमान समय में इंटरनेट शीघ्रता से घरेलू वस्तु बनता जा रहा है। बच्चे भी इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं और उनकी पहुंच महिलाओं के नग्न चित्र तक हो गई है जो इंटरनेट पर सुगमता से उपलब्ध है। इस प्रकार के अपराधी चेट रूम के माध्यम से गलत पहचान बताकर संपर्क में आते हैं और उनसे मित्रता बढ़ा कर और विश्वास प्राप्त करके उनकी व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं और फिर उनको अश्लील व नग्न चित्र भेज कर यह समझाने

में मदद करते हैं कि जो कुछ उनको दिखाया जा रहा है वह सामान्य बात है और अंत में घर के बाहर उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं और अपने जाल में फंसा लेते हैं। उसके उपरांत उनका यौन शोषण किया जाता है या उन्हें यौन शोषण के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

उदाहरण : बाल भारती स्कूल दिल्ली में एयरफोर्स के एक छात्र को उसके साथी छात्रों द्वारा अश्लील चित्रों के माध्यम से परेशान किया गया। इस प्रकार के क्रूर मजाक से परेशान होकर उसने उन्हें सबक सिखाने का निश्चय किया उसने अपने सहपाठियों द्वारा भेजे गए चित्रों को स्केन किया और उनको नग्न चित्रों के रूप में परिवर्तित किया और उन्हें निशुल्क वेबसाइट पर डाल दिया। इन अश्लील चित्रों को उसकी कक्षा की एक लड़की के पिता ने बेवसाइट पर देखा और उसके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई जिससे इस अपराध का रहस्योद्घाटन किया।

● सरकारी संस्थाओं के विरुद्ध साइबर आतंकवाद

इस प्रकार के आतंकी अटैक कंप्यूटर इंटरनेट पर होते हैं जिसमें कार्य होना बंद हो जाता है इस प्रकार के अटैक को निम्न भागों में बांटा जा सकता है।

- कार्य करना बंद हो जाना।
- घृणास्पद वेबसाइट तैयार करना।
- घृणास्पद ई-मेल भेजना।

साइबर आतंकवाद में अपराधी द्वारा कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग एक साधन के रूप में निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है :

- जनता या उसके किसी वर्ग को भयभीत करना।
- समाज के विभिन्न धर्मावलंबियों या जातियों या क्षेत्रवासियों के सौहार्द पर विपरीत प्रभाव डालना।
- विधि द्वारा स्थापित सरकार को भयभीत या विवश करना।
- राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डालना।

● साइबर स्टेकिंग

इस अपराध में साइबर अपराधी द्वारा उत्पीड़न या धमकी के कार्य की पुनरावृत्ति पीड़ित व्यक्ति के साथ इंटरनेट सर्विस से की जाती है। इस प्रकार के कार्य आन लाइन या आफ लाइन पीड़ित के जीवन पर नियंत्रण करने की इच्छा से किए जाते हैं। इस प्रकार के अपराधियों में अधिकतर निराश प्रेमी या पूर्व प्रेमी होते हैं जो पीड़ित को इसलिए उत्पीड़ित करना चाहते

हैं क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सफल नहीं हो पाए हैं। अधिकतर अपराधी पुरुष होते हैं और पीड़ित महिला होती हैं।

● धोखा व छल

आन लाइन धोखा व छल वर्तमान समय में चल रहे व्यवसायों में से सबसे अधिक लाभदायक धंधा साइबर स्पेस का है। यह कई प्रकार से हो सकता है जैसे क्रेडिट कार्ड अपराध, नौकरी देने का फर्जी प्रस्ताव करना या संविदा संबंधी अपराध। हाल ही में मैट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट दिल्ली ने 24 वर्षीय काल सेंटर के एक इंजीनियर को धोखे से अन्य व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड का विवरण प्राप्त करके सोनी की वेबसाइट से टेलीविजन व कार्डलेस फोन खरीदने के छल के अपराध में दंडित किया है। सबसे प्रथम कंप्यूटर फ्राड दिल्ली विश्व विद्यालय में एम.बी.बी.एस. प्रवेश परीक्षा के अंकों में हेरफेर करने के संबंध में 1984 में हुआ। इस प्रकरण में कंप्यूटर प्रोग्राम को अभ्यर्थियों के अंकों में हेरफेर करने के लिए लगाया गया था। इसके अतिरिक्त रेलवे विभाग में आरक्षण अभिलेखों में हेरफेर करने के प्रकरण भी प्रकाश में आए हैं। इस प्रकरण में बुकिंग क्लर्क ने कंप्यूटर की प्रविष्टियों को बदल कर एक झूठा विवरण तैयार किया जिसमें उच्च श्रेणी के मासिक व त्रैमासिक टिकटों को द्वितीय श्रेणी का टिकट दिखाकर धन का दुर्विनियोग कर लिया। इसके अतिरिक्त पूरे भारत वर्ष में कालेजों के बाहर कंप्यूटर और उच्च गुणवत्ता के स्कैनर तथा प्रिंटर द्वारा बनाई गई फर्जी मार्कशीट शिक्षा के प्रमाण पत्रों की बिक्री लोगों द्वारा की जाती है और इन फर्जी प्रमाण पत्रों के लिए लाखों रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

● बौद्धिक सम्पदा के अपराध

बौद्धिक सम्पदा में कई अधिकार समाहित हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई अवैधानिक कार्य करके उस बौद्धिक सम्पदा के स्वामी को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उसकी बौद्धिक सम्पदा के अधिकार से वंचित करता है तो वह बौद्धिक सम्पदा का अपराध है। यदि कोई व्यक्ति किसी साफ्टवेयर की अनाधिकृत रूप से नकल करके बेचता है तो वह बौद्धिक सम्पदा का अपराध है।

● मानहानि करना

इस कार्य के द्वारा किसी व्यक्ति पर इस आशय से कोई आरोप लगाया जाता

है जिससे वह समाज के सही सोच वाले व्यक्तियों की दृष्टि में गिर जाए या उसे घृणा का पात्र बनाया जाए। साइबर मानहानि का अपराध परंपरागत मानहानि के अपराध से भिन्न नहीं है सिवाय इसके कि इस प्रकार के अपराध में कंप्यूटर को साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

उदाहरण : सुरेखा नाम की एक नवयुवती का विवाह सूरज नाम के एक लड़के से होना था वह इस विवाह से बहुत खुश थी क्योंकि उसे लड़का पसंद था। एक दिन जब वह सूरज से मिली तो उसे सूरज कुछ परेशान और चिंतित दिखाई दिया पूछने पर उसने बताया कि उसके परिवार के सदस्यों को कई ई-मेल प्राप्त हुए हैं जिसमें सुरेखा के चरित्र को कलंकित करने की बातें हैं और इस कारण उसके माता-पिता उचित रूप से परेशान होने के कारण उसकी और सुरेखा की सगाई को तोड़ने पर विचार कर रहे हैं। सौभाग्यवश सूरज अपने माता-पिता को समझाने में सफल हुआ और उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। विवेचना के दौरान यह पता चला कि इस प्रकार का ई-मेल भेजने वाला व्यक्ति कोई और न होकर सुरेखा का सौतेला पिता था उसने यह ई-मेल सुरेखा का रिश्ता तोड़ने के लिए इसलिए भेजे थे क्योंकि शादी हो जाने के बाद उसके सौतेले पिता का उसकी संपत्ति पर नियंत्रण समाप्त हो जाता जिस पर नियंत्रण रखने का अधिकार उसको शादी होने तक प्राप्त था।

● ई-मेल स्फूफिंग

ई-मेल स्फूफिंग देखने में किसी एक स्रोत से आना प्रतीत होता है परन्तु वास्तव में वह किसी दूसरे स्रोत से भेजी गई होती है।

उदाहरण : पूजा का एक ई-मेल एड्रेस था puja@yahoo.com उसके एक दुश्मन दोस्त समीर ने उसके ई-मेल एड्रेस को स्फूफ किया और उसके सभी जानने वालों को अश्लील संदेश प्रेषित किया क्योंकि यह ई-मेल देखने से पूजा के ई-मेल एड्रेस से भेजा जाना प्रतीत होता था और उसके दोस्तों से उसके संबंध बिगड़ सकते थे अतः यह अपराध की श्रेणी में आता है।

● आनलाइन जुआ

आजकल बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जो आनलाइन जुए का अवसर प्रदान करती हैं वास्तव में यह विश्वास किया जाता है कि बहुत सी वेबसाइट धन के स्थानांतरण के साधन हैं।

● अवैधानिक वस्तुओं का विक्रय

अवैधानिक वस्तुओं के विक्रय में मादक पदार्थ, शस्त्र और जंगली जानवर आदि सम्मिलित हैं। इनका विक्रय वेबसाइट पर सूचना के माध्यम से होता है। इसके लिए नीलामी वेबसाइट प्रयोग की जा सकती है और ई-मेल का भी प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बहुत सारी नीलामी के वेबसाइट शहद के नाम कोकीन बेचने का कार्य करती हैं।

19. साइबर अपराध विवेचना

साइबर अपराध विवेचना में अभियुक्त की पहचान करने के लिए विवेचक को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए :

- प्राप्त ई-मेल को भेजने वाले का पता लगाने के लिए प्राप्त ई-मेल में अंकित भेजने वाले की आई.पी. के माध्यम से उसको तलाश किया जा सकता है। यह कार्य विवेचक द्वारा स्वयं भी किया जा सकता है यदि वह ई-मेल भेजने वाले को तलाश करना जानता हो यदि वह नहीं जानता है तो उसे किसी कंप्यूटर विशेषज्ञ की सहायता से यह कार्य सम्पन्न कराना चाहिए क्योंकि यदि किसी व्यक्ति ने कंप्यूटर के माध्यम से कोई अपराध किया है तो उसकी उपस्थिति कंप्यूटर में कई जगह दर्ज हो जाती है जो कंप्यूटर विशेषज्ञ द्वारा आसानी से खोजी जा सकती है।
- यदि कोई कंप्यूटर विशेषज्ञ नहीं मिल पाता है तो कंप्यूटर को और घटना स्थल पर मिले अन्य साधन जैसे पेन ड्राइव, सी.डी., फ्लोपी आदि को सावधानी से सील मोहर करके वांछित साक्ष्य प्राप्त करने हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला अति शीघ्र प्रेषित किया जाना चाहिए।
- विवेचक घटना स्थल के परिसर की तलाशी स्वयं लेकर साइबर अपराध से संबंधित साक्ष्य कब्जे में ले सकता है जैसे : पीड़ित का पास वर्ड, पीड़ित व्यक्ति को भेजे गए अश्लील चित्र, पीड़ित का बैंक एकाउंट नं. या अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी संबंधी अभिलेख।
- विवेचक संदिग्ध अभियुक्त से पूछताछ करके उससे अपराध करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकता है जैसे संदिग्ध अभियुक्त के कंप्यूटर का पासवर्ड, उसके बैंक एकाउंट का नंबर, उसके ई-मेल एकाउंट का नंबर आदि।

- घटना स्थल पर फिंगर प्रिंट्स की तलाश की जा सकती है और उसका मिलान संदिग्ध के फिंगर प्रिंट्स से कराकर साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
- संदिग्ध के पास से चोरी किया गए साफ्टवेयर बरामद किया जा सकता है।
- संदिग्ध के पास से दूसरे से चोरी की गई सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं।
- संदिग्ध और पीड़ित व्यक्ति के बीच पहले हुए किसी विवाद की जानकारी की जा सकती है जिसके कारण संदिग्ध पीड़ित को कंप्यूटर के माध्यम से प्रताड़ित कर रहा हो।

साइबर अपराध विवेचना के विवेचक में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए

- विवेचक को सामान्य ज्ञान से अधिक ज्ञान होना।
- विवेचना में विशेषज्ञ को सम्मिलित करना।
- साक्ष्य एकत्र करने की किट का प्रयोग करना।

ई-मेल के माध्यम से अभियुक्त का पता लगाना

ई-मेल के माध्यम से यदि कोई साइबर अपराध हुआ है, तो निम्नलिखित सूचनाएं ई-मेल के विश्लेषण से विवेचक को प्राप्त हो सकती हैं :

- ई-मेल किसके द्वारा भेजा गए।
- ई-मेल कहां से भेजा गए।
- ई-मेल किस किस को भेजा गए।
- ई-मेल की विषय वस्तु क्या है।

उक्त सूचनाएं प्राप्त करने के लिए निम्न कार्रवाई प्रयोग में लाई जानी चाहिए :

1. प्राप्त हुए ई-मेल संदेश को खोलें।
2. उसमें शो फुल हैडर लिंक पर क्लिक करें।
3. हैडर से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं :
 - ई-मेल भेजने वाले का आईपी एड्रेस प्राप्त करना।
 - ई-मेल प्राप्त होने का दिनांक व समय।
 - मैसेज यूजर आई.डी. प्राप्त हो जाएगी।

निम्न प्रक्रिया को अपनाकर आप मैसेज भेजने वाले की लोकेशन प्राप्त

कर सकते हैं।

- प्राप्त हुए ई-मेल संदेश को खोलें।
- उसमें शो फुल हेडर लिंक पर क्लिक करें।
- उस हेडर को सलेक्ट कर कापी कर लें।
- इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोलकर उसमें whatismyipaddress.com वेबसाइट को खोलें।
- उस वेबसाइट में Trace E-mail लिंक पर क्लिक करें।
- वेब पेज के निचले किनारे पर एक बाक्स मिलेगा, जिसमें कापी हुआ हेडर पेस्ट कर दें तथा Get Source Button पर क्लिक करें।
- इससे Source IP मिल जाएगा।
- अब उस Source IP को किसी पेज पर नोट करके, Back बटन पर क्लिक करें।
- वेब पेज पर IP Lookup लिंक पर क्लिक करें।
- Please enter the IP address you want to lookup below टेक्स्ट बाक्स में नोट की हुई आई.पी.को लिख कर Lookup IP address बटन पर क्लिक करें।
- एक नक्शा खुल जाएगा, जिसमें एक पानी की बूंद के जैसा आईकॉन दिखाई देगा।
- इस आईकॉन पर क्लिक करने से यह पता चलेगा कि वह लोकेशन भेजने वाले शहर के किस क्षेत्र में हैं।

किसी साइबर अपराध की विवेचना में विवेचक को कंप्यूटर की सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी होनी चाहिए जिससे वह उसका प्रभावी निरीक्षण कर सके व कंप्यूटर सिस्टम से डाटा को प्राप्त कर सके व डाटा के संचित करने के साधनों जैसे : फ्लोपी, टेप या हार्ड डिस्क आदि को कब्जे में ले सके।

जैसे-जैसे तकनीक में विकास होता है वैसे-वैसे उसका दुरुपयोग भी बढ़ जाता है। कंप्यूटर को किसी भी अपराध से जोड़ा जा सकता है जैसे : चोरी, छल, बच्चों का यौन शोषण आदि। कंप्यूटर पर उपलब्ध डाटा विवेचक को सफलता की कुंजी प्रदान कर सकता है। यदि अपराध कंप्यूटर नेट वर्क के द्वारा हुआ है तो विवेचना एक जटिल कार्य होगा क्योंकि साक्ष्य को तलाश करने के स्थान असीमित हो सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित अपराध में साक्ष्य विभिन्न फॉरमेट में मिल सकता है। उदाहरण के लिए बच्चों को अश्लील विषय के वितरण की

विवेचना में साक्ष्य को इमेज के रूप में विभिन्न फॉरमेट में संचित की गई हो सकती है। साधारण अपराधों में साक्ष्य को प्राप्त करने के स्रोत कुछ ही होते हैं जबकि साइबर अपराध में साक्ष्य कई रूप में रखा जा सकता है।

20. साइबर अपराध का साक्ष्य

कंप्यूटर अपराध की साक्ष्य एकत्र करने में विवेचक को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए :

21. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को सुरक्षित रखना

विवेचक को कंप्यूटर विशेषज्ञ को बुलाने से पहले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को छेड़छाड़ व नष्ट होने से बचाना होगा कंप्यूटर के अधिग्रहण के बाद भी डाटा को प्राप्त करके व विश्लेषण करके साक्ष्य के रूप में परिवर्तित करना होगा। कंप्यूटर की असीमित डाटा रखने की क्षमता व इस प्रकार के डाटा के आसानी से क्षय होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्य सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। इस कार्य में समस्या तब उत्पन्न होती है जब डाटा गोपनीय बनाकर रखा गया हो या कंप्यूटर सिस्टम में फाइल में प्रवेश पासवर्ड के कारण संभव न हो।

अन्य अपराधों में साक्ष्य कागज पर आधारित होता है और यह कई फारमेट में नहीं रखी जा सकती है और इसलिए कुछ अभिलेखों को देखना व उसके लेखक को निश्चित करना कोई कठिन कार्य नहीं होता है परन्तु इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कंप्यूटर में कई फारमेट में रखी जा सकती है जो या तो मूल रूप में या परिवर्तित रूप में या विभिन्न स्थानों पर अलग फारमेट में खोजी जा सकती है। कंप्यूटर सूचनाओं को छुपाकर संचित करने के लिए बहुत बड़ा स्थान उपलब्ध कराता है और दूसरों को ढूंढने के लिए कठिन बना देता है। बहुत से साफ्टवेयर विक्रेताओं ने उसमें सुरक्षा की विशेषताएं सम्मिलित कर रखी हैं जो उपभोक्ता को फाइलों को छुपाने व सुरक्षित रखने के योग्य बना देती है। कंप्यूटर के विशेषज्ञ को विवध प्रकार के साफ्टवेयर व हार्डवेयर का ज्ञान होता है और वह विवेचना में सहायता प्रदान कर सकता है।

22. साइबर अपराध की सूचना पर की जाने वाली कार्रवाई

यदि कोई साइबर अपराध थाने पर पंजीकृत होता है, तो उसके संबंध में निम्न कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है:

i. घटना स्थल पर जाने से पूर्व तैयारी करना

साइबर अपराध के घटना स्थल पर जाने से पूर्व निम्नलिखित तैयारी कर लेनी चाहिए :

- घटनास्थल के निरीक्षण के लिए एक टीम गठित की जाए।
- घटनास्थल के संबंध में क्षेत्रीय जानकारी प्राप्त कर ली जाए।
- टीम के सदस्यों को तलाशी, अभियुक्त को पकड़ने और घटनास्थल का सुरक्षित रखने आदि के संबंध में समझाया जाए।
- अन्य स्थानों पर तलाशी लेने के लिए एक अतिरिक्त टीम को भी तैयार कर लिया जाए।

ii. तलाशी लेने की योजना बनाना

साइबर अपराध के घटना स्थल पर जाने से पूर्व तलाशी लेने संबंध में निम्न प्रकार से योजना बना लेनी चाहिए :

- पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की जाए।
- जिसमें उन पुलिस कर्मियों को भी सम्मिलित किया जाए जो इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र करना जानते हों।
- तलाशी लेने के स्थान की भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और यह भी जानकारी कर लेनी चाहिए कि वहां क्यों प्रतिरोध हो सकता है।
- गवाहों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए।

iii. टीम में कार्य का वितरण करना

घटना स्थल पर जाने वाली पुलिस बल की टीम के लोगों में कार्य का वितरण निम्न प्रकार से पहले ही कर लेना चाहिए क्योंकि टीम के प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य का ज्ञान होना चाहिए :

- संदिग्ध को पकड़ने का कार्य।
- संदिग्ध की तलाशी लेने का कार्य।
- घटना स्थल को सुरक्षित रखने का कार्य।
- मानचित्र और फोटोग्राफी कार्य।
- परिसर में तलाशी लेने का कार्य।
- साक्ष्य एकत्रीकरण का कार्य।
- संदिग्ध से पूछताछ का कार्य।

- घटना स्थल को अभिलिखित करने का कार्य।

iv. साक्ष्य एकत्रीकरण की किट साथ ले जाना

साइबर अपराध के घटनास्थल पर जाते समय साक्ष्य को एकत्र करने के लिए एक किट ले जानी चाहिए जिसमें निम्न वस्तुएं सम्मिलित हैं :

- कैमरा, रूलर, नापने का टेप।
- लिखने के लिए पैड।
- वोलाटाइल डाटा व डिजिटल साक्ष्य एकत्रित करने की किट।
- सील करने व लेबिल लगाने का सामान।
- मार्कर।
- कब्जे में ली गई वस्तुओं को रखने का कंटेनर।
- एन्टीस्टैटिक बैग।
- टूल किट।
- दस्ताने।

v. घटनास्थल को सुरक्षित करने की कार्रवाई

जब पुलिस दल साइबर अपराध के घटनास्थल पर जाए तब उसको निम्न प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए :

- टीम को अचानक घटना स्थल पर प्रवेश करना चाहिए जिससे किसी को सावधान होने का अवसर न मिल पाए।
- कंप्यूटर पर काम करने वाले और साक्ष्य की सुरक्षा की जाए।
- कंप्यूटर को छूने से पूर्व एंटीस्टैटिक कलाई का बैंड और दस्ताने प्रयोग में लाए जाएं क्योंकि मनुष्य के शरीर में विद्युत का वोल्टेज कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक होता है और डाटा नष्ट होने की संभावना अधिक रहती है।

vi. घटना स्थल पर प्रवेश करने के बाद निम्न कार्रवाई की जानी चाहिए :

- परिसर को सुरक्षित किया जाए
- कंप्यूटर पर कार्य करने वाले को या परिसर में रहने वाले व्यक्ति को अपने अभिरक्षा में लिया जाए।
- व्यक्तिगत तलाशी गहनता से ली जाए।

- अनाधिकृत लोगों को व्यक्तिगत रूप से या नेटवर्क के माध्यम से आने से बचाया जाए।

vii. नेटवर्क से संबंधित घटना स्थल को सुरक्षित किया जाए इसमें नेटवर्क निम्नलिखित से संबंधित हो सकता है :

- वायरलेस।
- मॉडम।
- वाईफाई।
- कैट 5 कैबिल

viii. साक्ष्य की शुद्धता को बनाए रखना

चूंकि कंप्यूटर साक्ष्य नष्ट होने योग्य होते हैं अतः विवेचक को इस प्रकार के साक्ष्य की शुद्धता को बनाए रखने के लिए निम्न कार्य करने चाहिए :

- उचित सावधानी से स्पर्श किया जाए।
- साक्ष्य को ईएसडी से बचाया जाए।
- साक्ष्य को उचित तरीके से अभिलिखित किया जाए।
- सामान को कब्जे में लेने की प्रक्रिया को क्रमवार लिखा जाए।

ix. अपराध के घटना स्थल को अभिलिखित करना

- घटना स्थल पर पहुंच कर सुरक्षित करने के उपरांत उसके चारों तरफ के स्थानों को अभिलिखित किया जाए जिस दशा में वह पाए जाएं।
- घटनास्थल का फोटोग्राफ लिया जाए व मानचित्र तैयार किया जाए।
- घटना स्थल की गहराई से तलाशी ली जाए।
- घटना स्थल पर मिले व्यक्ति से या घटना स्थल से मिले सामान की फर्द बनाई जाए जिसमें उस सामान का पूरा विवरण लिखा जाए व यह भी लिखा जाए कि कौन सा सामान किस व्यक्ति के पास से या कहां से मिला है?

x. घटना स्थल पर बनाया जाना वाला मानचित्र और फोटो

घटना स्थल पर बनाए जाने वाले मानचित्र में व फोटोग्राफ में निम्न बातों पर ध्यान दिया जाए :

- प्रत्येक वस्तु को कब्जे में लेने से पहले उसका फोटो लिया जाए।

- नजदीक से फोटो लेने पर फ्लैश का प्रयोग न किया जाए अन्यथा फोटो सही नहीं आ पाएगा।
- कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध अभिलेख का फोटो लिया जाए।
- फोटो नजदीक से लिए जाए।
- पूरे घटना स्थल का एक मानचित्र बनाया जाए।

xi. घटना स्थल पर उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करना

घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्ति से निम्नलिखित बिंदुओं पर पूछताछ की जाए :

- कब्जे में ली जा रही वस्तुएं के नियंत्रण या मालिक होने के संबंध में पूछताछ करना।
- बूबी ट्रेप्स के बारे में पूछताछ करना।
- कंप्यूटर को प्रयोग करने के संबंध में नाम और पासवर्ड के संबंध में जानकारी करना।
- एनक्रिप्शन के बारे में जानकारी करना।
- रुचि वाली फाइल्स की जानकारी करना।
- ई-मेल एकाउंट व स्क्रीन के नाम के बारे में जानकारी करना।
- अन्य स्रोतों में संचित सूचनाओं के बारे में जानकारी करना।
- संचित करने के लिए छुपी डिवाइस के बारे में जानकारी करना।

xii. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की पहचान करना

- व्यक्तिगत डाटा सहायकों की पहचान करना।
- उन आइटम की पहचान करना जिनमें आवाज और चित्र से ज्यादा संचय करने की क्षमता होती है जैसे डिजिटल कैमरा, वीडियो रिकार्डर, एमपी थ्री प्लेयर।
- प्रिंटर में बफर मेमोरी और नेटवर्क आई.डी.

xiii. गुप्त रूप से संचित करने वाली डिवाइस और परंपरागत साक्ष्य की खोज करना

विवेचन को घटनास्थल पर निम्नलिखित साक्ष्य की खोज करनी चाहिए :

- मिसिंग पार्ट्स, प्रिंट आउटस, राइटप, साफ्टवेयर, पेन ड्राइव, फ्लैश कार्ड्स, मिनी हार्ड डिस्क जो हाथ की घड़ी, पैन, सिगरेट केस, पेपर वेट के रूप में हो सकती है।

xiv. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को कब्जे में लेने की विधि

- यदि कंप्यूटर चालू हालत में हो तो निम्नलिखित कार्य किए जाएं।
- कंप्यूटर की वर्तमान स्थिति को अभिलिखित किया जाए।
- वोलाटाइल डाटा एकत्र किया जाए।
- यदि कंप्यूटर की स्क्रीन खाली हो या स्लीप मोड में हो या स्क्रीन सेवर आ रहा हो तब निम्न कार्रवाई की जाए।
- कर्सर का प्रयोग किया जाए जो कंप्यूटर में अप डाउन, लेफ्ट राइट के कार्य में आती है।
- स्क्रीन और उस पर प्रदर्शित सूचना का फोटो लिया जाए।
- यदि कंप्यूटर बंद है तो उसे चालू न किया जाए।
- कंप्यूटर को बिना फॉरेन्सिक टूल्स के न चलाया जाए और न उसका परीक्षण किया जाए।
- सभी कनेक्टर्स और केबिल्स पर लेबिल लगाया जाए।
- एमटी लेबिल को उन पोर्ट्स और कनेक्टर्स पर लगाया जाए जो प्रयोग में नहीं लाए गए हैं।
- लेबिल लगी मशीन (CPU) का फोटो लिया जाए।
- CD/DVD ड्राइव में डिस्क को तलाश किया जाए।

xv. साक्ष्य को कब्जे में लेकर अभिलिखित करना

जो साक्ष्य कब्जे में ली जाए उसके संबंध में निम्न कार्रवाई की जानी चाहिए :

- प्रत्येक साक्ष्य में टैग लगाई जाए और उसमें नंबर डाला जाए।
- प्रत्येक टैग का नम्बर फर्द बरामदगी में दी गई क्रम संख्या से मेल खाता हो।
- साक्ष्य की मूल स्थिति और टैग लगाने के बाद की स्थिति के फोटो लिए जाएं।
- सीपीयू की कैबिनेट को खोला जाए और निम्नलिखित साक्ष्य को अभिलिखित किया जाए।
- कल पुर्जे जैसे मैमोरी कार्ड्स आदि
- हार्ड ड्राइव में मॉडल और सीरियल नंबर, क्षमता एवं उसके मास्टर या स्लैव होने को अभिलिखित किया जाए।

xvi. साक्ष्य को पैक करना व उसको भेजना

साक्ष्य एकत्र करने के उपरांत उसे किसी वस्तु में पैक करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने में निम्न कार्रवाई की जानी चाहिए :

- पैकिंग के लिए बबल रैप का प्रयोग करना।
- मैग्नेटिक मीडिया डिवाइस के लिए एंटीस्टैटिक बबल रैप प्रयोग किया जाए।
- इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को ले जाते समय कंप्यूटर को हुक में लटका देना चाहिए या वाहन के फर्श पर रख कर ले जाना चाहिए जिससे झटके न लगे।
- साक्ष्य प्राप्त होने वाले स्थान पर रेडियो और मोबाइल फोन आदि का उपयोग न किया जाए।

xvii. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को रखने का तरीका

- इस प्रकार के साक्ष्य को ठंड व शुष्क स्थान में रखा जाए जहां पर जनरेटर और मैग्नेट न हो।

xviii. साक्ष्य के साधन के साथ कार्य करते समय बरती जाने वाली सावधानियां

- उसे सही ढंग से बंद किया जाए।
- उसके मूल रूप को बनाए रखा जाए।
- केवल इमेज पर कार्य किया जाए।
- इलेक्ट्रो मैग्नेटिक प्रभाव से बचाव करना।
- ESD से बचाव करना।

22. विवेचना, तलाशी व गिरफ्तारी आदि की शक्ति

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 के अंतर्गत विवेचना और गिरफ्तारी के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

- कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक के पद से अनिम्न नहीं है इस अधिनियम के अपराधों की विवेचना कर सकता है।
- कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक के पद से अनिम्न नहीं है या कोई अन्य अधिकारी जिससे केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गए है, किसी सार्वजनिक स्थान में तलाशी लेने और गिरफ्तारी के लिए प्रवेश कर सकता है।
- किसी भी व्यक्ति को जो वहां पाया जाए जिसने इस अधिनियम के

अंतर्गत कोई अपराध किया हो, अपराध कर रहा हो या करने वाला हो को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है।

- किसी मकान में प्रवेश, तलाशी व गिरफ्तारी के संबंध में द.प्र.सं. के प्रावधान लागू होंगे।
- विवेचना में विवेचक द्वारा कब्जे में ली गई हार्ड डिस्क विवेचना व विचारण हेतु सुरक्षित रखी जाएगी परंतु पुलिस द्वारा अभियुक्त को उसके बदले में एक डिस्क दी जाएगी जिसमें आपरेटिंग सिस्टम फाइल्स और अन्य सभी फाइलें जिनका संबंध विवेचना से नहीं सम्मिलित होगा।

मनुष्य के मस्तिष्क की क्षमता अगाध है साइबर अपराध को साइबर स्पेश में समाप्त नहीं किया जा सकता है परन्तु यह बिल्कुल संभव है कि उसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए निम्न कार्य किए जाने चाहिए :

- साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए लोगों में जागरूकता उत्पन्न की जाए।
- इस अपराध को रोकने के लिए बनाई गई विधि को कड़ाई से लागू किया जाए।
- इस प्रकार के अपराधों की विवेचना के लिए प्रशिक्षित पुलिसजनों को थाने पर नियुक्त किया जाए क्योंकि बिना कंप्यूटर और इंटरनेट की जानकारी के इस अपराध की विवेचना सफलतापूर्वक नहीं की जा सकती है।

यदि विवेचना करने में कोई कठिनाई आ रही हो, तो किसी कंप्यूटर विशेषज्ञ की सहायता लेने में कोई संकोच न किया जाए।

तलाशी के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई।

- घटना स्थल का फोटो तैयार करना।
- कंप्यूटर पर लेबिल लगाना।
- घटनास्थल को सुरक्षित करना।
- फिंगर प्रिंट की तलाश करना।
- कंप्यूटर में छोड़छाड़ को रोकना।
- कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से अलग करना।
- अगर कंप्यूटर आफ है, तो उसे आन न करना।
- अगर कंप्यूटर आन है, तो विशेषज्ञ की सहायता से उसका स्वीच आफ करना।

- सभी ड्राइव को सील करना।
- कंप्यूटर को विशेषज्ञ की सहायता से अलग करना।
- अगर कंप्यूटर अधिग्रहीत नहीं किया जा सकता तो ड्राइव से डाटा की प्रति तैयार करने के लिए वैज्ञानिक साधन का प्रयोग किया जाए।
- अपराध में प्रयुक्त कंप्यूटर का प्रयोग किसी अन्य कंप्यूटेशन के किसी कार्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- कंप्यूटर चलाने के लिए अपराध के संदिग्ध व्यक्ति की सहायता नहीं लेनी चाहिए बल्कि इस कार्य को करने में किसी कंप्यूटर विशेषज्ञ को उचित परिश्रमिक देकर उसकी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
- अपराध से संबंधित परिसर को विशेष रूप से ट्रेस बाक्सेज (कूड़ादान), की बोर्ड के नीचे का स्थान, मेजों और दराजों इत्यादि की तलाशी पास वर्ड, उपभोक्ता का नाम, प्रिंट आउट और हैण्ड आउट के लिए ली जानी चाहिए।
- वित्तीय लेन-देन के संबंध में संदिग्ध किताबों के लिए परिसर की तलाशी लेना।
- माउस और की बोर्ड को पालिथीन से बने कवर से ढकना चाहिए।
- कंप्यूटर को एक बाक्स में थर्मोकॉल का कुशन लगाकर उचित प्रकार से रखना और सील करना।
- कंप्यूटर को वैज्ञानिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अविलंब भेजना।
- परिवहन के दौरान कंप्यूटर को झटकों से बचना।

23. साइबर फॉरेंसिक का तात्पर्य

कंप्यूटर फॉरेंसिक का उद्देश्य है कंप्यूटर की सूचनाओं को एकत्र करना, उनका विश्लेषण करके उन्हें न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध कराना। फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा निम्न कार्य किए जा सकते हैं :

कंप्यूटर के हार्डवेयर और परिचालन के तरीके का परीक्षण

- कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क का निरीक्षण करना।
- कंप्यूटर उन सिस्टमों को चालू करना जो कार्य नहीं कर रहे हों।
- पासवर्ड को तोड़ना।
- हार्ड डिस्क का प्रतिरूप तैयार करना।

डाटा रिकवरी का तात्पर्य

- कंप्यूटर के डाटा रखने के विभिन्न साधनों का परीक्षण करना।
- डिस्क से मिटाए गए डाटा को पुनर्जीवित करना।
- डाटा फाइल्स की मल्टीयूजर सिस्टम से प्रतिरूप बनाना या बदलना।
- छिपे हुए डाटा या फाइलों को चिन्हित करना।
- गोपनीय डाटा को पढ़ना।
- वायरस द्वारा प्रभावित फाइलों से डाटा के पुनर्जीवित करना।

डाटा विश्लेषण द्वारा किया जाने वाला कार्य

- इसमें विवेचना से सुसंगत विभिन्न प्रश्नों पर आधारित फाइल्स और डाटा को एक साथ वर्गीकृत करना है। उदाहरण के लिए पीड़ित और अपराधी के मध्य ई-मेल के आदान प्रदान को तिथि और समय को क्रमवार वर्गीकृत करना। इससे विवेचक को घटनाक्रम विवरण प्राप्त होता है।

24. साइबर अपराध होने के कारण

विधि में यह कहा गए है कि मनुष्य को हानि पहुंचाई जा सकती है और उसकी सुरक्षा के लिए विधि व्यवस्था की आवश्यकता है। इसी बात को यदि साइबर स्पेश के संबंध में लागू करें तो यह कहा जा सकता है कि कंप्यूटर भी भेद्य (Vulnerable) है इसलिए साइबर अपराध रोकने के लिए भी विधि की आवश्यकता को देखते हुए उसका निर्माण किया गया है।

कंप्यूटर की भेद्यता अर्थात साइबर अपराध होने के निम्नलिखित कारण है :

- कंप्यूटर थोड़े स्थान पर डाटा को रखने की विशेषता रखता है। इसी कारण इस डाटा को व्यक्तिगत रूप से या किसी साफ्टवेयर की सहायता से मिटाया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है।
- कंप्यूटर में प्रवेश करना सरलता से हो सकता है। कंप्यूटर में अनाधिकृत प्रवेश होने की संभावना मानवीय भूल के कारण नहीं बल्कि इसकी जटिल तकनीक के कारण होती है। इसमें लौजिक बम्ब गोपनीय रूप से लगाए जा सकते हैं जो फायर बाल्स को पार करके सुरक्षा तंत्र

तक पहुंच सकता है और एक्सेस कोड को चुरा सकता है, वायस रिकार्ड को चुरा सकता है, रेटिना इमेजर को चुरा सकता है।

- कंप्यूटर को संचालित करने के कार्य में लाखों कोड होते हैं और यह संभव नहीं है कि इसको चलाने में मनुष्य कोई गलती नहीं करेगा। साइबर अपराधी इन गलतियों का फायदा उठाकर कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर जाता है।
- मानवीय व्यवहार के साथ में उपेक्षा भी जुड़ी हुई है इसलिए इस बात की अधिक संभावना है कि जब कंप्यूटर को सुरक्षित किया जा रहा हो तब कोई चूक हो सकती है जो साइबर अपराधी को कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करके उस पर नियंत्रण करने का अवसर प्रदान करता है।
- **साक्ष्य का नष्ट हो जाना** : साक्ष्य का नष्ट हो जाना बहुत सामान्य समस्या है कि सभी प्रकार का डाटा साधारणतः नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरे क्षेत्र से डाटा का एकत्रीकरण भी साइबर अपराधी की विवेचना को बाधित करते हैं।

25. साइबर अपराध की रोकथाम

साइबर अपराध को रोकने का आसान तरीका कंप्यूटर प्रयोग करने वालों में जागरूकता उत्पन्न करना है। किसी संस्था या कंपनी के कार्यालय में सुरक्षा के लिए गाडर्स एवं सी.सी.टी.वी. आदि की व्यवस्था की जाती है जिससे उस संस्था के कार्यालय की सुरक्षा को कोई खतरा न उत्पन्न होने पाए परंतु सूचना तकनीक की चोरी (डाटा की चोरी, साफ्टवेयर की चोरी या बौद्धिक संपदा की चोरी में खतरा दो प्रकार से होता है)

बाह्य खतरा : इस प्रकार खतरा इंटरनेट के माध्यम से आता है। इसको एक साधारण उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे कि एक घर है (सरवर) और एक चोर है (हैकर) जो आभूषण (डाटा) चुराना चाहता है। इसके लिए वह सबसे पहले दरवाजे व खिड़कियों (आई.पी., टी.सी.पी. पोर्ट्स) को चेक करता है और यदि कोई दरवाजा खुला मिलता है तो वह घर में प्रवेश करके अपना कार्य करता है।

यदि हैकर को कोई रास्ता खुला नहीं मिलता है तो वह सबसे कमजोर दरवाजे या खिड़की की तलाश करता है (आपरेटिंग सिस्टम की भेदता) और यदि कोई कमजोर दरवाजा मिल जाता है तो वह प्रवेश करके कार्य कर लेता है।

यदि हैकर घर के बारे में या नौकर के बारे में (नेट वर्क ई-मेल आदि)

अधिक सूचना चाहता है और जिसमें वह प्रवेश कर सकता है तो वह वहां अटैक करके कार्य करता है।

आंतरिक खतरा : आंतरिक खतरे हानि के संबंध में अधिकतर आंतरिक लोगों द्वारा उत्पन्न किया जाता है जैसे—डाटा या सूचनाओं को लीक करना, डाटा को हानि पहुंचाना, बौद्धिक संपदा की चोरी, या एम.आई.एस. आदि।

कार्यप्रणाली डाटा रखने के आधार, ई-मेल सरवर डाटा लॉग्स व कई अन्य उपाय नेट वर्क व स्रोतों को सुरक्षा प्रदान करते हैं परन्तु वास्तविक जीवन सुरक्षा के उपायों को बहुत कम उपयोग में लाया जाता है।

आंतरिक सुरक्षा के खतरों की कुछ समस्याएं निम्नवत हैं :

1. डाटा की नकल प्राप्त करने के लिए डाटा संचित करने के द्वितीय साधनों तक पहुंच होना।
2. उपभोक्ता के कंप्यूटर तक पहुंच होना।
3. व्यक्तिगत ई-मेल तक पहुंच होना।
4. चैटिंग तक पहुंच होना।
5. पासवर्ड तक पहुंच होना।
6. बैकप का न होना।

इलाज से परहेज अच्छा होता है इसलिए बहुत आवश्यक है कि इंटरनेट पर कार्य करते समय कुछ सावधानियां बरती जाएं और इन्हें साइबर जीवन का हिस्सा बना लिया जाए। इंटरनेट पर कार्य करने वालों को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए :

- साइबर स्टैंकिंग से बचने के लिए अपने बारे में कोई सूचना नेट पर देने से बचना चाहिए क्योंकि इंटरनेट पर किसी को सूचना देना वैसा ही होगा जैसे किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी अजनबी व्यक्ति को अपनी पहचान बताना।
- किसी अजनबी व्यक्ति को आन लाइन फोटोग्राफ भेजने से बचना चाहिए क्योंकि फोटो के दुरुप्रयोग की घटनाएं हुई हैं और आगे भी दुरुप्रयोग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
- सदैव नवीनतम एन्टी वायरस साफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए जिससे वायरस अटैक सुरक्षा प्राप्त हो सके।
- कभी किसी वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड का नंबर नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से धोखाधड़ी के अपराध होने की संभावना रहती है।

- बच्चों द्वारा देखे जाने वाली वेबसाइट पर निगाह रखी जानी चाहिए जिससे कोई उनको अश्लील चित्र दिखाकर उनके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव न डाल सके। यह कार्य परिवार में माता-पिता द्वारा स्कूल-कालेजों में शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक स्कूल-कालेज के विद्यार्थियों को कंप्यूटर की वेबसाइट पर होने वाले धोखे से उन्हें अवगत कराया जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट पर एडवांस शुल्क की मांग की जाती है और वह वेबसाइट अधिकृत नहीं होती है। छात्रों को बताया जाना चाहिए कि प्रारम्भ में वेबसाइट पर आई बात को सत्य न माना जाए और उस पर अपना व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध न कराया जाए।
- हमेशा कंप्यूटर के डाटा को बैकप के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहिए जिससे वायरस के कारण डाटा से वंचित न होने पाए।
- कंप्यूटर में फायरवाल प्रोग्राम का प्रयोग करना लाभकारी होगा।
- वेबसाइट के प्रबंधकों को सूचनाओं के संचालन पर दृष्टि रखनी चाहिए और अनियमितताओं को चेक करते रहना चाहिए। वेबसाइट पर अतिक्रमण को चेक करने के लिए निर्धारित युक्ति का प्रयोग सरवर पर किया जाना चाहिए।

26. साइबर अपराध संबंधी वैधानिक प्रावधान

भारत वर्ष में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अध्याय 11 में उन वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किया गए है जो साइबर अपराध से संबंध रखते हैं।

● कंप्यूटर और कंप्यूटर स्रोत कोड के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ (धारा 65)

जो कोई व्यक्ति जानबूझ कर एवं आशय पूर्वक कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर कार्यक्रम, प्रणाली अथवा कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर स्रोत कोड को छिपाएगा, नष्ट करेगा या परिवर्तित करेगा या ऐसा करने देगा उसे 3 वर्ष तक के कारावास अथवा दो लाख रुपये तक के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकेगा।

धारा 65 के अनुसार कंप्यूटर स्रोत कोड से तात्पर्य निम्न से है :

क. कार्यक्रमों को सूचीबद्ध करना।

- ख. कंप्यूटर कमांड।
- ग. डिजाइन।
- घ. ले-आउट।
- ड. कार्यक्रम-विश्लेषण।

27. कंप्यूटर प्रणाली को काटना (धारा 66)

यह धारा कंप्यूटर प्रणाली को काटने का दंडनीय अपराध घोषित करती है : जो कोई व्यक्ति जन साधारण को या किसी व्यक्ति को नुकसान अथवा हानि करने के आशय से या यह जानते हुए कि इससे जन साधारण अथवा किसी व्यक्ति को नुकसान अथवा हानि कारित होना संभाव्य है, कंप्यूटर स्रोत में अवस्थित किसी सूचना को नष्ट करता है, मिटाता है, परिवर्तित करता है, उसके मूल्य या उपयोगिता को कम करता है, या किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त करता है तो यह माना जाएगा कि वह कंप्यूटर प्रणाली को काटने का अपराध करता है। ऐसे व्यक्ति को धारा 66 (2) के अंतर्गत 3 वर्ष तक का कारावास अथवा 2 लाख रु. तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

28. अश्लील सूचना प्रकाशित करना (धारा 67)

इस धारा के अनुसार जो कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में ऐसी कोई सामग्री जो कामुक या कामुकता प्रदर्शित करती है या ऐसे व्यक्तियों को भ्रष्ट करती हो जो ऐसी सूचनाएं पढ़ते हैं या देखते या सुनते हैं, प्रकाशित करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को प्रथम दोष सिद्धि पर 05 वर्ष का कारावास और एक लाख रु. तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है यदि ऐसा व्यक्ति किसी अपराध की पुनरावृत्ति करता है, तो दोष सिद्ध होने पर उसे 10 वर्ष तक का कारावास और दो लाख रु. तक जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

29. नियंत्रक की निदेश देने की शक्ति का अनुपालन न करना (धारा 68)

इस धारा के अनुसार नियंत्रक द्वारा आदेश जारी कर किसी प्रमाणन अधिकारी अथवा उसके किसी कर्मचारी को ऐसे कार्य करने अथवा करने से प्रवृत्त रहने अथवा रोकने का निदेश दिया जा सकता है जिनका अनुपालन किया जाना इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे निदेशों का पालन करने में असमर्थ रहता है, तो दोष सिद्धि पर 3 वर्ष तक का कारावास अथवा

दो लाख रु. के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

30. सूचना पारेषित करने से रोकना (धारा 69)

यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि यदि भारत की संप्रभुता अथवा अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, किसी संज्ञेय अपराध के कारित करने की उत्प्रेरणा के निवारण के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक हो, तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए सरकार के किसी भी अधिकरण (एजेंसी) को निर्देश दे सकेगी कि वह कंप्यूटर स्रोत से किसी सूचना को पारेषित करने से रोकने हेतु कदम उठाए।

उक्त निर्देशानुसार जब अधिकरण द्वारा किसी उपभोक्ता अथवा कंप्यूटर स्रोत के भारसाधक व्यक्ति को बुलाया जाता है, तो ऐसी सूचना को कूटानुवाद करने में सभी सुविधाएं और सहायता दें। यदि उपभोक्ता द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अधिकरण को सहायता नहीं दी जाती तो उसे 07 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है।

31. संरक्षित प्रणाली तक पहुंचना (धारा 70)

यह धारा संरक्षित प्रणाली अथवा व्यवस्था के बारे में उपबंध करती है। इसके अनुसार समुचित सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा किसी भी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली अथवा कंप्यूटर नेटवर्क को संरक्षित प्रणाली (व्यवस्था) घोषित कर सके उसके उपरांत समुचित सरकार अपने लिखित आदेश के द्वारा संरक्षित प्रणाली तक पहुंचने के लिए ऐसे व्यक्तियों को जो सुरक्षित प्रणाली तक पहुंचने के लिए प्राधिकृत है, तो प्राधिकृत कर सकेगी। यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करके संरक्षित प्रणाली तक पहुंचेगा या पहुंचने का प्रयास करेगा उसे 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकेगा।

32. दुर्व्यपदेशन के लिए दण्ड (धारा 71)

जो कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति या डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए नियंत्रक से अथवा प्रमाणन अधिकारी से किसी सार भूत तथ्य को छिपाएगा या दुर्व्यपदेशन करेगा उसे 02 वर्ष तक की अवधि तक का कारावास अथवा एक लाख रु. तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

33. दुर्व्यपदेशन क्या है?

उस बात का प्रख्यान जो सत्य नहीं है जो व्यक्ति उसे करता है यद्यपि वह बात जानकारी से समर्थित हो, परन्तु उस बात को सत्य होने का विश्वास करता है।

34. गोपनीयता एवं एकांतता को भंग करने के लिए दंड (धारा 72)

इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम, नियम अथवा विनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक, रजिस्टर, पत्र व्यवहार सूचना, दस्तावेज अथवा अन्य सामग्री तक पहुंच सकता और ऐसे अभिलेख पुस्तक रजिस्टर, पत्र व्यवहार, सूचना, दस्तावेज अथवा सामग्री से संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना उन्हें प्रकट करता है, तो उसे दो वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास अथवा एक लाख रु. तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

35. डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र में मिथ्या विशिष्टियों के प्रकाशन के लिए दंड (धारा 73)

इस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति निलंबन अथवा विखंडन से पूर्व सृजित डिजीटल हस्ताक्षर के सत्यापन के प्रयोजन के सिवाय, डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को प्रकाशित नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराएगा, यह जानते हुए कि प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध प्रमाणन अधिकारी द्वारा इसे जारी नहीं किया गया अथवा प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध उपभोक्ता द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया अथवा प्रमाण पत्र निलंबित या विखंडित कर दिया गया है, जो कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसे दो वर्ष तक की अवधि तक का कारावास अथवा एक लाख रु. जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

36. कपटपूर्वक प्रयोजन के लिए प्रकाशन का दंड (धारा 74)

जो कोई व्यक्ति कपटपूर्वक अथवा अवैध प्रयोजन के लिए जानबूझकर डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र सृजित करेगा, प्रकाशित करेगा अथवा अन्यथा उपलब्ध कराएगा उसे दो वर्ष तक की अवधि का कारावास व एक हजार रु. जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

37. भारत से बाहर किए गए अपराधों अथवा उल्लंघनों पर अधिनियम का लागू होना (धारा 75)

इस धारा के अनुसार यह अधिनियम भारत के बाहर किए गए अपराधों एवं उल्लंघनों पर भी लागू होगा। लेकिन यह आवश्यक है कि ऐसा अपराध एवं उल्लंघन भारत में अवस्थित कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली अथवा कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में हो। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि यह अधिनियम केवल भारत में ही नहीं, अपितु भारत से बाहर किए गए ऐसे अपराधों एवं उल्लंघनों पर लागू होता है, जो भारत में अवस्थित कंप्यूटर नेटवर्क से या कंप्यूटर प्रणाली से जुड़े हुए हैं।

38. कंप्यूटर आदि का अधिहरण (जब्ती) (धारा 76)

इस धारा के अनुसार ऐसे किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, फ्लॉपी, काम्पेक्ट डिस्क, टेप ड्राइव अथवा अन्य सहायक उपकरणों को जब्त किया जा सकेगा, जिसके बारे में इस अधिनियमों के उपबंधों, नियमों अथवा विनियमों का उल्लंघन किया जाता हो।

39. शास्तियों एवं अधिहरणों का अन्य दंडों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना (धारा 77)

इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति अथवा अधिहरण तत्समय पर प्रवृत्त लागू किसी विधि के अधीन दिए जाने वाले दंड को निवारित नहीं करेगा। इससे अभिप्रायः यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए किसी अन्य विधि के अधीन दंड का भागी है, तो वह मात्र इस आधार पर मुक्त नहीं हो सकेगा कि उसे इस अधिनियम के अंतर्गत दंड से दंडित कर दिया गया है अथवा उसकी किसी संपत्ति कंप्यूटर आदि का अधिग्रहण कर लिया गया है।

40. अपराधों के अन्वेषण की शक्तियां (धारा 78)

इस धारा के अनुसार इस अधिनियम की परिधि में आने वाले अपराधों का अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक की पंक्ति से निम्न अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकेगा। इससे यह स्पष्ट है कि इस अधिनियम की परिधि में आने वाले अपराधों का अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक की पंक्ति के अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है।

41. अन्वेषण की प्रक्रिया के प्रावधान

इस अधिनियम के अनुसार पुलिस के अन्वेषण करने की प्रक्रिया उसी प्रकार से है जिस प्रकार से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 से 176 तक में अन्वेषण की शक्तियों व प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। अन्वेषण की प्रक्रिया

में धारा 166-क व धारा 166-ख का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

● धारा 166-क

इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी अपराध के अन्वेषण के अनुक्रम में अन्वेषण अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी की पंक्ति से वरिष्ठ कोई अधिकारी यह आवेदन करता है कि भारत के बाहर किसी देश या स्थान में साक्ष्य उपलब्ध हो सकता है तो कोई दाण्डिक न्यायालय को अनुरोध पत्र भेज कर उसे देश या स्थान के ऐसे न्यायालय के प्राधिकारी से, जो ऐसे अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, यह अनुरोध कर सकेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की मौखिक परीक्षा करे, जिसके बारे में यह अनुमान है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत है और ऐसी परीक्षा के अनुक्रम में उसके कथन को अभिलिखित करे और ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से उस मामले संबंधित ऐसे दस्तावेजों या चीज को पेश करने की अपेक्षा करे जो उसके कब्जे में हैं और इस प्रकार लिए गए या संग्रहीत किए गए सभी साक्ष्य या उसकी अभिप्रमाणित प्रतिलिपि और इस प्रकार संग्रहीत चीज को ऐसा पत्र भेजने वाले न्यायालय को अग्रेषित करे। इस प्रकार अभिलिखित प्रत्येक कथन व प्राप्त प्रत्येक दस्तावेज या चीज इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान संग्रहीत साक्ष्य समझा जाएगा।

● धारा 166-ख

भारत के बाहर किसी देश या स्थान के ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी से, जो उस देश या स्थान में अन्वेषणाधीन किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए या किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने के लिए उस देश या स्थान में ऐसा पत्र भेजने के लिए सक्षम है, अनुरोध पत्र की प्राप्ति पर, केंद्रीय सरकार यदि उचित समझे तो :

- (i) उसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजि. को, जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे अपेक्षित करेगी जो तब उस व्यक्ति को अपने समक्ष सम्मन करेगा तथा उसके कथन को अभिलिखित करेगा या दस्तावेज या चीज को पेश करवाएगा या
- (ii) उस पत्र को अन्वेषण के लिए किसी पुलिस अधिकारी को भेज सकेगा जो तब उसी रीति में अपराध का अन्वेषण करेगा मानो वह अपराध भारत के भीतर किया गया हो।

42. प्रवेश, तलाशी आदि के संबंध में पुलिस अधिकारी की शक्तियां

सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 80 अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसमें किसी स्थान की तलाशी लेने, उसमें प्रवेश करने, अभियुक्त को गिरफ्तार करने के संबंध में पुलिस अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है। इसके अनुसार पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी अथवा केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गए राज्य सरकार को कोई अन्य अधिकारी किसी लोक स्थान में प्रवेश कर सकेगा, उसकी तलाशी ले सकेगा और ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा जिसके बारे में यह युक्तियुक्त संदेह है कि उसके द्वारा अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित किया गया है या किया जाने वाला है। 'लोक स्थान' शब्द में लोक वाहन, होटल, दुकान अथवा अन्य ऐसा कोई स्थान सम्मिलित किया गया है जो जन साधारण के उपयोग में आता है अथवा जहां जन साधारण की पहुंच है। इसी धारा में यह भी उल्लेख किया गया है कि किसी स्थान में प्रवेश करने, किसी स्थान की तलाशी लेने या किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंध (दं.प्र.सं. की धारा 2-त, धारा 41, धारा 56, 57 व धारा 100 दं.प्र.सं.) लागू होंगे।

43. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का अधिप्रभावी प्रभाव

इस अधिनियम की धारा 81 के अनुसार इस अधिनियम को अध्यारोही स्वरूप प्रदान किया गए है। इसके अनुसार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई अन्य उपबंध होते हुए भी अधिनियम के उपबंध लागू होंगे चाहे वह उससे असंगत ही क्यों न हो। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इस अधिनियम के उपबंध अन्य विधियों के उपबंध पर पूर्वतः रखते हैं।

44. सद्भावनापूर्वक किए गए कार्यों के लिए संरक्षण

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 84 अत्यंत महत्वपूर्ण है इसके अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावनापूर्वक किए गए कार्यों के लिए किसी वाद या अभियोजन से संरक्षण प्रदान किया गए है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को निडरता और स्वतंत्रतापूर्वक अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने का अवसर प्रदान करना है।

(i) केंद्रीय सरकार।

- (ii) राज्य सरकार।
- (iii) नियंत्रक।
- (iv) उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अधिकारी या व्यक्ति।
- (v) सहवर अपीलीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी।
- (vi) कर्मचारीवृंद।
- (vii) न्याय निर्णयन अधिकारी।

कंप्यूटर न्यायालय के कार्यों का एक साधन बन चुका है। निर्णय नियमित रूप से कंप्यूटर द्वारा तैयार किए जा रहे हैं और उसमें संचित किए जा रहे हैं। इस प्रकार कंप्यूटर न्यायालय में दायर किए गए, लंबित व निर्णीत किए गएवादों का एक महत्वपूर्ण आधार है और इस बात की पूर्व संभावना है कि सूचनाओं का संचय, तथ्यों का संचयन और निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपियों का भेजा जाना कंप्यूटर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाएगा। न्याय विभाग को प्रगति की गति के साथ तालमेल रखना आवश्यक है।



